खण्ड–31, अंक–04
मंगलवार, 01 चैत्र, शक संवत्, 1933
(22 मार्च, 2011 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2011)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 31 में 09 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर बसपा के सदस्यो द्वारा चर्चा कराये जाने की माग	1–3
प्रश्नोत्तर	3–50
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाए	50
जनपद अल्मोड़ा के कस्बा सोमेश्वर में स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बिजली कनेक्शन जोडने तथा आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद पौडी गढवाल के धूमाकोट को पृथक जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	51
प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावितो को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	52
प्रदेश में प्रशासनिक सुगमता के लिए छोटी–छोटी इकाईयों (जिलों) के गठन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	52–53
जनपद पौडी के अन्तर्गत कोटद्वार उप चुनाव (2005) के कारण एल0टी0 अभ्यर्थी पेंशन लाभ से वंचित हो जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	53
प्रदेश में निवास कर रहे जट सिक्खों को आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	53–54
प्रदेश में जल संस्थान के अधीन कार्यरत पी0टी0सी0 कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	54
नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाए	54–58
भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2009–10 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे (सदन के पटल पर रखा गया)	58

विषय	पृष्ठ–संख्या
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8(3) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2009–10 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	58
उत्तराखण्ड, राज्य विधान सभा भवन के निर्माण हेतु एक 05 सदस्यीय सर्वदलीय समिति गठित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	59
उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	60–61
उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	61
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	61–62
उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	62
उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	62–63
उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	63
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	63–82
वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण	82–121
विपक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री किशोर उपाध्याय द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर वार्ता किये जाने की मॉग	121–130
उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 (पारित)	130–209
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	209–210
विधान सभा सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	211
नत्थियॉं	212–259

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डे
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—श्री करन मेहरा
8—सुश्री कैरन मेगर
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री केदार सिंह रावत
11—श्री केदार सिंह फोनिया
12—श्री खजान दास
13—श्री खड़क सिंह बोहरा
14—श्री गगन सिंह
15—श्री गणेश जोशी
16—श्री गोपाल सिंह राणा
17—श्री गोपाल सिंह रावत
18—श्री गोविन्द लाल
19—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21—श्री चन्दन राम दास
22—श्री जोगा राम टम्टा
23—श्री जोत सिंह गुनसोला
24—हाजी तसलीम अहमद
25—श्री तिलक राज बेहड़
26—श्री दिनेश अग्रवाल
27—श्री दिवाकर भट्ट
28—श्री दिवान सिंह
29—श्री नारायण पाल
30—काजी मो0 निजामुद्दीन
31—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32—श्री प्रकाश पन्त
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35—श्री प्रेमानन्द महाजन
36—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37—श्री बलवीर सिंह नेगी
38—श्री बिशन सिंह चुफाल
39—श्री बंशीधर भगत
40—श्री बृज मोहन कोटवाल
41—श्री शेर सिंह गढ़िया
42—मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
43—श्री मदन कौशिक
44—श्री मनोज तिवारी
45—श्री मयूख सिंह
46—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"
47—श्री मातबर सिंह कण्डारी
48—श्री कुलदीप कुमार
49—श्री यशपाल आर्य
50—श्री यशपाल बेनाम
51—मो0 यशवीर सिंह
52—श्री रणजीत रावत
53—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
54—श्री राजकुमार
55—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
56—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
57—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58—श्रीमती वीना महराना
59—श्री शहजाद
60—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
61—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
62—श्री सुरेन्द्र राकेश
63—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
64—श्री सुरेश चन्द जैन
65—डा0 हरक सिंह रावत
66—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
67—श्री हरभजन सिंह चीमा
68—श्री हरिदास
69—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर बसपा के सदस्यों द्वारा चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' के समीप आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जब तक माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं करते, उनकी किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय।

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया आसन ग्रहण करें। प्रश्नकाल आपका ही है, आपके ही प्रश्न लगे हैं।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री शहजाद जी से अनुरोध करूँगा। मान्यवर, निश्चित रूप से यह हम सभी प्रतिपक्ष के विधायकों की पीड़ा है और गम्भीर विषय है कि हमारे विधान सभा क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिये। जो बात माननीय नारायण पाल जी और शहजाद जी कह रहे हैं, उससे मैं सहमत हूँ लेकिन जब हम लोगों ने यह तय किया है कि प्रश्नकाल चलना चाहिये तो मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में अनुरोध करना चाहता हूँ कि शून्य काल में इस बात को उठा लें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी आपसे अनुरोध किया है।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज बजट प्रस्तुत होना है, जब तक बजट माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, तब तक कैसे इसका शासनादेश हो सकता है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, तो क्या बजट से पहले यह सब घोषणायें करेंगे, इस बात को बता दीजिये, बजट तो सरकार का ही है। इसका बजट से क्या सम्बन्ध है, सदस्यों की पीड़ा थी और आपने आश्वासन दिया था, तो पहले उसे पूरा करिये।

(कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधाान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बिना बजट प्रस्तुत किये कैसे इसकी संस्तुतियों की बात की जा सकती है।

('वेल' के समीप खड़े माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, प्रश्नकाल आपका ही है। आज अल्पसूचित प्रश्न भी लगे हैं, तारांकित प्रश्न भी हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये)

"प्रश्नोत्तर"

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा भवन निर्माण हेतु स्थान चयन की प्रक्रिया, स्वीकृत धनराशि तथा गैरसैंण में विधान सभा भवन का निर्माण

**1–श्रीमती अमृता रावत–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में विधान सभा भवन के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है ?

यदि हॉं, तो यह धनराशि कब और कितनी स्वीकृत की गई है और विधान सभा भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है तथा इस भवन का निर्माण कहा और कब किया जायेगा ?

क्या उत्तराखण्ड राज्य निर्माण की अवधारणा के अनुसार राज्य सरकार, जनपद चमोली के स्थान गैरसैंण में भी विधान सभा भवन का निर्माण करवाएगी ?

यदि हॉं, तो गैरसैंण में विधान सभा भवन का निर्माण कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

जी हॉं।

नये विधान सभा भवन के निर्माण हेतु 13वॉं वित्त आयोग ने ₹ 88 करोड़ अनुदान की संस्तुति की है, जो वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक प्राप्त होने की सम्भावना है। विधान सभा भवन हेतु स्थान का अन्तिम चयन होने के पश्चात् निर्माण किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती अमृता रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जिस प्रकार उत्तर में आपने लिखा कि विधान सभा भवन हेतु स्थान का अन्तिम चयन होने के पश्चात् निर्माण किया जा सकेगा। मै माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या विधान सभा भवन हेतु अन्तिम चयन आप लोगो ने कर लिया है, या इसमें कोई आप लोगो ने कमेटी बनायी है चयनित करने के लिए या किसी को निर्देशित किया है अधिकारियो को ? मै जानना चाहती हूँ और दूसरा मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार भारतवर्ष के तीन राज्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे उत्तराखण्ड से जुडा हुआ राज्य है उसमे भी दो जगह सत्र चलाये जाते हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। महाराष्ट्र का जो सत्र है नागपुर और मुम्बई मे चलाया जाता है, हिमाचल का धर्मशाला और शिमला में चलाया जाता है और जम्मू–कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू मे चलाया जाता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन्ही तीनों राज्यों की तर्ज पर क्या उत्तराखण्ड राज्य में भी विधान सभा सत्र क्या शीतकालीन देहरादून में और ग्रीष्मकालीन गैरसैण मे चलाने की आप लोगो की कोई योजना है ? मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चूँकि राज्य गठन के उपरान्त राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था और राजधानी चयन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट सम्मानित सदन के समक्ष रखी जा चुकी है। चूँकि उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्थल चयन से सम्बन्धित उल्लेख नही किया गया था और इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय सदन में उसके सम्बन्ध में विचार–विमर्श माननीय सदन के माध्यम से आये तो उचित रहेगा। चूँकि आपके माध्यम से भी श्रीमन्, उसके सम्बन्ध मे प्रयास किये गये और आपने जो 18 फरवरी, 2011 को बैठक की थी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उसमें भी श्रीमन्, विस्तृत रूप से विचार–विमर्श हुआ है और सरकार को ज्यों ही स्थल चयन से सम्बन्धित निर्देश प्राप्त होगा, सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट थी, टोटल फर्जी रिपोर्ट थी। दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट ने घर मे बैठ कर रिपोर्ट बना दी।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, क्या वह रिपोर्ट सत्य थी ? मैं ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और उस पर यहाँ सदन में बहस हुई ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, रिपोर्ट सम्मानित सदन के समक्ष रखी जा चुकी है और उसका अध्ययन माननीय सदस्यों ने कर लिया होगा और उसके आधार पर अगर माननीय सदस्य चर्चा के लिए सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यहां पर रखते हैं तो उस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 13वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 88 करोड़ का अनुदान विधान सभा भवन के लिए दिया गया है। मान्यवर, हम सब लोग जानते है कि भवन बहुत छोटा है, जब तक राजधानी का चयन होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तक पंजाब से लेकर कई प्रदेशों में यह तय नहीं हो पाया है तो मान्यवर, क्या तब तक हम इस पैसे से बड़ा भवन देहरादून के अन्दर बनाना प्रारम्भ नहीं करेंगे। सारी इकाइयाँ देहरादून के अन्दर स्थापित हो चुकी है, विधान सभा भी आज 10 साल से ऊपर हो गये हैं चलते हुए, तो मान्यवर, क्या राज्य सरकार इस पैसे से यहां पर नये भवन का कार्य प्रारम्भ करेगी ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, उत्तराखण्ड की अस्थाई राजधानी बनाने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर लिया और देहरादून में अस्थाई राजधानी बनी और हाईकोर्ट नैनीताल में बना। आज देहरादून मे अस्थाई राजधानी के निर्णय को अभी तक परिवर्तित तो किया नहीं गया। आपने यहाँ पर करोडों करोड रुपये का मुख्यमंत्री आवास बना दिया, यहाँ पर राजभवन बना दिया और सचिवालय बना दिया, इस तरह से आप रोज विस्तार कर रहे हैं। तो क्या इस दड़बे में बैठने की आवश्यकता है, यहाँ पर आई०ए०एस० के लिए आई०पी०एस० के लिए आवास बन रहे हैं। (व्यवधान) मैं माफी चाहता हूँ, और अपने शब्द वापस लेता हूँ। जो आज स्थिति है, हमको विधान सभा भवन में बैठकर कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। मान्यवर, एक जाँच समिति पहले भी इस मामले में बैठ चुकी है। यहाँ पर जो अग्नि काण्ड हुआ था जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब कभी भी जो भी स्थाई राजधानी का निर्णय ले लेगा जहाँ कहीं पर ले लेगा वहाँ पर विधान सभा भवन बना ले दूसरा। लेकिन ₹ 88 करोड़ का यूटीलाइजेशन तो अविलम्ब होना चाहिए। मान्यवर, हमने आपके माध्यम से भी सुना है कि सरकार उसका यूटीलाइजेशन अविलम्ब करे, मैं तो चाहूँगा कि आपके द्वारा पीठ से सरकार को निर्देश हो जायें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देहरादून को अस्थाई राजधानी घोषित किया गया। इस अस्थाई राजधानी देहरादून में प्रशासनिक इकाईयों को स्थापित करने में सरकार ने अब तक कितना धन व्यय किया है ? क्या सरकार देहरादून में अस्थाई विधान सभा भवन का निर्माण करने जा रही है या नहीं करने जा रही है ?

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1994 से लेकर अब तक 17 साल का समय व्यतीत हो गया है। हमने उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन राज्य प्राप्ति के लिए लड़ा था न कि राजधानी के लिए, लेकिन 17 साल में लोगों की भावनायें और राज्य की परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसा कोई सर्वे कराने जा रही है ताकि जनता के हिसाब से राजधानी तय की जाय न कि विशेष दल के हिसाब से। क्या सरकार ऐसा सर्वे करायेगी ताकि जनता यह चाहे कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए न कि और जगह ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न करिये।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ, प्रश्न के लिए भूमिका तो बाँधनी पड़ेगी। मान्यवर, वर्ष 1994 से लेकर अब तक 17 साल हो गये हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है कि जनता गैरसैंण में राजधानी चाहती है या देहरादून में राजधानी चाहती है ?

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, राजधानी जैसा गम्भीर मसला है, सरकार कितनी गम्भीर है यह साफ दिखाई दे रहा है। (व्यवधान) मान्यवर, राज्य का जब पुनर्गठन विधेयक लाया जा रहा था उससे पहले तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसको कौशिक समिति का नाम दिया गया था। उसने भी पूरे प्रदेश में सर्वे किया था।

श्री अध्यक्ष–

श्री पुष्पेश जी, प्रश्न करेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं पिन प्वाइंटेड प्रश्न कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें। कौशिक समिति का कई बार उल्लेख हो चुका है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

मान्यवर, क्या सरकार दीक्षित आयोग के अलावा कौशिक समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए, राजधानी के चयन पर विचार करेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश में जितने राजनीतिक दल हैं चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या उत्तराखण्ड क्रांतिदल हो या इस सदन के अलावा भी अन्य कोई राजनीतिक दल हो उनका मत जानने के लिए कि इसका हल क्या है सभी दलों के सदस्यों की स्पष्ट राय जानने के लिए सरकार कोई अलग से बैठक बुलायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त—

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि विषय उत्तराखण्ड में विधान सभा भवन निर्माण के सम्बन्ध में है जिसका सीधा सम्बन्ध राजधानी से है। जहाँ तक प्रश्न विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थित किये गये हैं उसके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से मेरे माध्यम से बताया जा चुका है कि राजधानी निर्माण के चयन के लिए जो आयोग गठित हुआ था उस आयोग ने अपनी संस्तुतियाँ और अपनी रिपोर्ट सरकार के माध्यम से इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत की थी। जहाँ तक यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि राजधानी की विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के लिए राज्य निर्माण के पश्चात् अभी तक कितनी धनराशि किस-किस मद में व्यय की गई है, चूँकि यह सीधा विधान सभा भवन से रिलेटेड नहीं है, यह अल्पसूचित प्रश्न है, यदि अनुमति दें तो मेरे पास पूरी सूची ₹ 202 करोड़ जो अभी तक विभिन्न मदों में प्रयोग हुआ है, खर्च हुआ है, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ। जो 88 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है वह 13वें वित्त आयोग से प्राप्त हुई है।

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, डिटेल की आवश्यकता नहीं है। जब सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों पर इतना पैसा व्यय कर दिया है तो विधान सभा भवन निर्माण के लिए ₹ 88 करोड़ क्यों नहीं व्यय किया जा रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो यह धनराशि का उल्लेख मैंने किया है श्रीमन्, मैंने अपने उत्तर में यह कहा था कि यह अवस्थापना सुविधा उपयोग के लिए किया गया है। अवस्थापना सुविधाओं में वे सारी सुविधाएं आती हैं, जिन सुविधाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग किया गया। यह हमको 12वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर मिली थी। 13वें वित्त आयोग का जिसका कार्यकाल जो अब इस वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होगा और 2014–15 के वित्तीय वर्ष में समाप्त होगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो स्पैसिफिक है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह जो प्रश्न है यह स्पैसिफिक राजधानी निर्माण से सम्बन्धित है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, 88 करोड़ भी स्पैसिफिक विधान सभा भवन निर्माण के लिए है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ₹ 88 करोड़ विधान सभा भवन निर्माण के लिए स्पैसिफिक है। यह संवेदनशील इश्यू है इसलिए सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करने के उपरान्त ही इसका समाधान हो सकता है। इस पर हम एकदम नहीं कह सकते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मेरा प्रश्न यह नहीं था कि राजधानी कहाँ बनाई जाए। मेरा मूल प्रश्न यह था कि क्या सरकार विधान सभा का एक सत्र देहरादून में और एक सत्र गैरसैंण में करवायेगी ?

(कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, क्या सरकार एक सत्र के लिए देहरादून में विधान सभा भवन का निर्माण तथा दूसरे सत्र हेतु गैरसैंण में विधान सभा भवन का निर्माण करायेगी। मेरा मूल प्रश्न यह था। जिसका जवाब नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मानानीय अध्यक्ष जी, सरकार कतई गम्भीर नहीं है राजधानी जैसे महत्वपूर्ण मसले पर, शुरुआत से नहीं रही है। अगर गम्भीर होती तो दीक्षित आयोग बना करके टाला नहीं जाता इस मसले को (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, पुष्पेश त्रिपाठी जी, अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी बात आ गयी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्या का प्रश्न यह है कि गैरसैण में भवन बनायेंगे की नहीं बनायेंगे। मान्यवर, मैंने कहा कि जब तक राजधानी की स्थिति निर्धारित नहीं हो जाती है तब तक यह कहना उचित नहीं होगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, राजधानी का कोई प्रश्न नहीं है, जब ये 11–12वें वित्त का पैसा यहाँ खर्च कर सकते है तो 13वें वित्त का भी पैसा यहाँ खर्च कर सकते हैं। वह प्रश्न नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मै यह स्पष्ट कर दूँ कि जो मैंने ₹ 202 करोड की धनराशि कही वह राज्य अवस्थापना विकास के लिए धनराशि है न की केवल देहरादून में खर्च की गयी धनराशि है। ₹ 202 करोड जो 12वें वित्तीय आयोग में मिला था, वह राज्य अवस्थापना विकास के लिए मिला था। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी हमने यह तो बोला, लेकिन हमारा कहना यह है कि प्रशासनिक इकाईयों के लिए देहरादून मे अब तक कितना व्यय हुआ ? अगर अधिकांश देहरादून में व्यय हुआ है तो जो यह विधान सभा भवन के लिए पैसा मिला है उसे भी यहीं खर्च कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह धनराशि तो स्पेसिफिक विधान सभा भवन के लिए मिली है। श्रीमन, जो अब प्राप्त होगी, अभी तो प्राप्त नहीं हुई है। अभी इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जायेगी। सम्मानित सदन तय कर दे। (घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में भी इस विषय पर विधान सभा में चर्चा हो चुकी है। आश्वासन संख्या 105/2006 का आश्वासन भी बना है कि विधान सभा भवन निर्माण किया जाय। इसको आश्वासन समिति भी देख रही है, वह जैसा निर्देश देगी उसके अनुरूप कार्य करेंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, पूर्व में भी एक प्रश्न लगा था, जिसके प्रश्न के जवाब में सरकार ने गत सत्र में जवाब दिया था कि यहाँ पर हम सब बहुत चिन्तित हैं इस सभा मण्डप में बैठते हुए, लगभग पक्ष–विपक्ष सभी लोग चिन्तित हैं। प्रश्न यह था कि क्या सरकार विधान सभा भवन का निर्माण करेगी ? जवाब आया था कि यह विषय विधान सभा सचिवालय का है। यह प्रश्न सचिवालय की ओर इंगित कर दिया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से जानना चाहूँगा कि सरकार ने यह कहकर इतिश्री कर दी कि यह विधान सभा सचिवालय माननीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह मान चुकी है कि जो माननीय अध्यक्ष जी आदेशित/निर्देशित कर देंगे इस विधान सभा मण्डप को बनाने के लिए, क्या सरकार उस पर कार्यवाही/अमल करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि मैंने पूर्व में भी कहा कि यह आश्वासन इसी सम्मानित सदन के माध्यम से बना है और उस आश्वासन संख्या 105/2006 में बना है और यह मत पूछें की किस माननीय सदस्य का बना है, वह भी मैं आपको बता दूगा (हंसी) और वर्ष 2006 में किसकी सरकार थी वह भी एक विषय है। चूंकि विधान सभा और सरकारों की भी निरन्तरता रहती है। मान्यवर, यह आश्वासन समिति के विचाराधीन है, समिति उस पर निर्णय लेगी, उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीया सदस्या जी, आपके प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी फिर बता दें।

(घोर व्यवधान)

(श्री पुष्पेश त्रिपाठी और श्रीमती अमृता रावत 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बातें कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। समस्या की गम्भीरता को देखते हुए चूँकि यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीधे प्रदेश के विकास से जुड़ा होने के कारण और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित है तो अगर आप माननीय सदस्य सहमत हो तो एक उच्च स्तरीय पाँच सदस्यीय समिति का गठन कर दिया जाए और इसे टाईम बाउण्ड कर दिया जाय। जिसका प्रस्ताव आ जायेगा।

(माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये)

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर में पुलिस बैरियर स्थापित करने के मानक तथा अवैध वसूली की शिकायतें

**2–श्री ओम गोपाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत पुलिस चौकी भद्रकाली से पुलिस चौकी जाजल तक की मात्र 40 किलोमीटर की दूरी में 4 पुलिस बैरियर, वाहनों की चैकिंग व यातायात नियंत्रण हेतु क्रमशः रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भद्रकाली, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी प्लास्डा, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी आगराखाल तथा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जाजल में लगाये गये है ?

क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त बैरियरों के बावजूद भी पुलिस के वाहन/इन्टरसेप्टर कहीं भी अपना वाहन खड़ा कर पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली व दुर्व्यवहार की आये दिन यात्रियों तथा स्थानीय जनता/जनप्रतिनिधियों की शिकायतें प्राप्त होती रहती है ?

पुलिस बैरियरों को स्थापित करने के क्या मानक है ?

क्या सरकार उपरोक्त बैरियरों को जनहित में तत्काल हटाकर यात्रियों/स्थानीय जनता को राहत पहुँचायेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हॉं।

जी नहीं। इन्टरसेप्टर वाहन द्वारा समय–समय पर व अलग–अलग स्थानों पर वाहनों की गति, शराबी वाहन चालकों एवं मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों की चैकिंग की जाती है। अभी तक किसी भी व्यक्ति से इन्टरसेप्टर वाहन से पुलिस द्वारा अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त नही हुई है।

पुलिस बैरियर स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई मानक नहीं है। पुलिस बैरियर यातायात नियंत्रण, संदिग्ध वाहनों की चैकिंग एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु स्थापित किये जाते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्त पुलिस बैरियर यातायात एवं अपराध नियंत्रण हेतु स्थापित किये गये हैं।

मा0 विधायक श्री ओम गोपाल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न के उत्तरालेख्य की अनुपूरक सामग्री

1. प्रदेश में चार धाम यात्रा एवं अन्य पर्वों पर तीर्थ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है। इन श्रद्धालुओं में तीर्थ यात्री, पर्यटक, विदेशी नागरिक एवं मजदूरी करने हेतु नेपाली नागरिक आते रहते हैं, जिनके साथ छद्मवेश में आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी तत्वों एवं अपराधियो के आने की भी प्रबल सम्भावना बनी रहती है।

2. तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में यथा आवश्यकतानुसार जनहित में विभिन्न राजमार्गों पर स्थायी एवं स्लाईडिंग बैरियर लगाये गये हैं।

3. पुलिस बैरियर स्थापित करने के सम्बन्ध मे कोई मानक, शासनादेश अथवा प्राविधान उपलब्ध नहीं है। बैरियर आवश्यकतानुसार जनहित मे विभिन्न स्थलों पर यातायात नियंत्रण, वाहन चालकों के द्वारा मादक पदार्थों के सेवन, ओवरलोडिंग की जानकारी, वाहनो की गति नियंत्रण तथा अपराधियो की धरपकड के लिए निर्धारित स्थलो पर स्थापित किये जाते हैं।

4. इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रो में वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रात्रि 8.00 बजे के पश्चात वाहनों का संचालन प्रतिबन्धित करने हेतु स्लाईडिंग बैरियर स्थापित करना अति आवश्यक है। रात्रि के समय प्रदेश से बाहर के पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा की जाती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। अतः जनहित में पुलिस द्वारा इन्हे यथासमय निर्धारित स्थलों पर रोका जाता है ताकि कोई दुर्घटना न हो।

5. इसी प्रकार यात्रियों एवं वाहन चालकों की सुविधा हेतु समय–समय पर एवं अलग–अलग स्थानो पर इन्टरसेप्टर वाहन भी उपलब्ध कराये गये है। इन इन्टरसेप्टर वाहनों द्वारा अन्य वाहनों की गति, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों एवं मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों की नियमित चैकिंग की जाती है।

6. इन्टरसेप्टर वाहन पर निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

7. इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत यात्रा को सुगम बनाने, दुर्घटनाओं को रोकने एवं अपराध व यातायात नियंत्रण हेतु पुलिस स्लाईडिंग बैरियर स्थापित करना जनहित में अति आवश्यक है।

श्री ओम गोपाल–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि क्या पुलिस बैरियर को स्थापित करने के कोई मानक हैं तो आपने जवाब दिया कि पुलिस बैरियर स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई मानक नहीं है। तो जब कोई मानक नहीं है तो मेरी विधान सभा नरेन्द्र नगर में 40 किलोमीटर की दूरी पर 4–4, 5–5 बैरियर लगाने की क्या आवश्यकता थी ? जब मानक नहीं है तो 4 बैरियर किस मानक के आधार पर स्थापित किये गये है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह परिस्थितिजन्य बैरियर स्थापित किये जाते हैं। क्योंकि प्रदेश में पर्यटकों की, तीर्थ यात्रियों की अत्यधिक संख्या प्रवेश करती है और स्थल विशेष के आधार पर इन बैरियरों को स्थापित किया जाता है ताकि किसी भी स्थिति में वाहन दुर्घटनाओं को रोका जा सके और कोई अराजक तत्व प्रवेश न कर सके। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए इन बैरियरों की स्थापना की गई।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, क्योंकि पर्यटन से जुडा हुआ है, यहाँ की कानून व्यवस्था से जुडा हुआ है तो माननीय सदस्य ने जिस भावना से यह प्रश्न किया है उसका एक बार परीक्षण करवा लें और आवश्यकता न हो तो उसे कम करवा दें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर आवश्यकता है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप परीक्षण करवा लें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि आवश्यकता है और वहाँ पर बहुत आवाजाही है इसलिए इसको नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है, मैं परीक्षण करवा लूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप परीक्षण करवा लेंगे, बात आ गई है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरे यहाँ 40 किलोमीटर की दूरी पर 4–4 बैरियर लगवा दिये, पूरे प्रदेश में व्यवस्था है या मात्र नरेन्द्रनगर मे व्यवस्था है यह मैं माननीय अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मै बहुत पीडित हूँ, आये दिन वहाँ पर पुलिस की शिकायतें आती रहती है और वे दुर्व्यवहार करते रहते है। माननीय मंत्री जी बतायें कि कितने चालान किये, क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैरियर लगा रखे हैं ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने पूछा कि कितने चालान किये गये है, इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, आज मैं बहुत पीडित हूँ, मै ऐसी विधान सभा का विधायक हूँ जहाँ से अन्य 3 विधान सभाओं के लोग आते जाते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर मैंने माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर दिया है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आज फैसला होगा, यह जवाब गलत है कि आपने विदेशियो को पकडने के लिए बैरियर लगा रखे हैं। अब तक कितने विदेशियों को पकडा है ? आपने जवाब दिया कि नेपालियों को पकडते हैं तो कितने नेपालियों को आज तक पकडा है, कितने संदिग्ध अपराधियो को पकडा है ? मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर मैंने माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर दिया है। माननीय मंत्री जी शीघ्र अति शीघ्र इसका परीक्षण करवाने के लिये निर्देशित करवा दें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जवाब नही आया, बहुत गम्भीर प्रश्न है। पूरे प्रदेश मे शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है, हिमाचल मे पूरी रात भर गाडियाँ चलती हैं, कुमाऊँ मण्डल मे गाडियॉ रात मे चलती हैं, सिर्फ मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं बहुत पीड़ित हूँ। कृपया बता दें कि वे बैरियर कब हटेंगे ? मैं सरकार का मंतव्य जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बैरियर हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन बैरियरों में लगातार चालान किये गये। (व्यवधान) मान्यवर, लेकिन आपने निर्देश दिये हैं तो मैं उसका परीक्षण करा दूँगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ओम गोपाल जी का बहुत गम्भीर सवाल है और रोजमर्रा के जीवन में हमको इससे गुजरना पड़ता है। विशेष करके मेरा घर भी श्रीनगर है, चूंकि हमको श्रीनगर के लिये जाना पड़ता है और कभी–कभी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अक्सर मुनिकीरेती बैरियर से हमको लोगों के फोन आते हैं, देवप्रयाग बैरियर से हमें लोगों के फोन आते रहते हैं कि पुलिस ने हमें रोक दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से बहुत ही गम्भीर विषय इसलिए है कि 8 बजे रात्रि मुनिकीरेती का बैरियर बन्द होता है, जो 8 बजे रात्रि मुनिकीरेती बैरियर क्रास करेगा वह दो घंटे बाद लगभग 10 बजे के आस–पास देवप्रयाग पहुंचेगा और मान्यवर देवप्रयाग बैरियर भी 8 बजे ही बन्द होता है और देव प्रयाग में इतनी अधिक सुविधाएं नहीं होती है कि वहां पर रात्रि विश्राम कर सकें। मान्यवर, ऐसी स्थिति में यदि आप 8 बजे मुनिकीरेती का बैरियर बन्द कर रहे हैं तो कम से कम 10 बजे देवप्रयाग का बैरियर बन्द होना चाहिए। मान्यवर, कीर्तिनगर का बैरियर भी 8 बजे ही बन्द किया जाता है। इससे जो लोग बीच में ही फंस जाते है, उनको बहुत असुविधाएँ होती हैं। मान्यवर, कम से कम यह व्यवहारिक होना चाहिए, ऐसा अनुरोध मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मानणीय मंत्री जी, वही विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी रखा है, जो चिंता हमारी है और माननीय सदस्य ओम गोपाल जी की भी वही चिंता है, इसलिए कृपया इसे देख लें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ठीक है।

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत प्रथम सत्र 2011 हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति

*1–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार राज्य में मद्य निषेध हेतु नीति बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, लघु सिंचाई, समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई मद्य निषेध नीति नहीं बनाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग का दायित्व केवल समाज को मद्य निषेध के प्रति जागरूक किये जाने का है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न

राज्य ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम की स्थापना की योजना तथा स्वरूप

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राज्य ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम की स्थापना कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा राज्य के शिल्पियों को अपनी शिल्प कला को जीवन्त रखने के लिए क्या कोई योजना बनाई गयी है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है तथा

वह योजना कब तक मूर्त रूप में लायी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं। किन्तु स्थानीय शिल्पकारों के प्रोत्साहन एवं निर्मित वस्तुओं के विपणन हेतु राजकीय औद्योगिक आस्थान, हल्द्वानी में अनुसूचित जाति शिल्पी हाट में 25 दुकानों का निर्माण कराया गया है।

राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परम्परागत शिल्प के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्ष 2004–05 से शिल्पीग्राम योजना संचालित है, जिसे वर्ष 2009–10 में पुनरीक्षित किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिल्पी परिवारों को विशेषज्ञ संस्थाओं से समुचित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उनके परम्परागत शिल्प को रोजगारपरक एवं आयजनित बनाए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के गरीबी की रेखा से दोगुनी आय सीमा वाले शिल्पी परिवारों के लिए योजना संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हल्द्वानी में अनुसूचित जाति शिल्पी हाट में 25 दुकानों का निर्माण कराया गया है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन 25 दुकानों का निर्माण करवाकर क्या इनका आवंटन लाभार्थियों को जो सही मायने में इनके हकदार हैं उनको कर दिया गया है या नहीं और साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिल्पी परिवारों को विशेषज्ञ संस्थाओं से समुचित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, दो प्रश्न ही काफी है। माननीय सदस्य जोत सिंह गुनसोला जी न जाने क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा 25 दुकानों का आवंटन के सम्बन्ध में। मान्यवर, इसकी प्रक्रिया जारी है और इन दुकानों पर ₹ 130.2 लाख खर्च हुए हैं। मान्यवर, आवेदन पत्र आने पर यथाशीघ्र आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, ये दुकानें बनी कब थीं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ये वर्ष 2009 में बनी थीं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये दुकाने वर्ष 2009 में बनी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया आप कितने दिन में पूरी कर लेंगे ? आपने कोई प्रक्रिया प्रारम्भ की है या नहीं और किस धन से इन दुकानों का निर्माण किया गया है ? ये एस०सी०पी० से हुआ है या किसी अन्य सेक्टर से ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इनका निर्माण एस०सी०पी० और टी०एस०पी० के बजट से किया गया है। मेरा कहना है कि इन दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र मांगे गये थे, अभी तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरे आवेदन पत्र आने पर आवंटन किया जाएगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने आवेदन पत्र मांगने के लिए कोई डैड लाईन घोषित नहीं की थी ? (व्यवधान) क्या यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए। माननीय मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, दुकानें बनायी गयीं। सभी जनपदों से आवेदन पत्र मांगे गये हैं। आवेदन पत्र आने पर ही हम प्रत्येक जनपद को दो–दो दुकाने आवंटित करेंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आवेदन पत्र आने की कोई निश्चित समय सीमा होगी या आवेदन पत्र आने की कोई समय सीमा ही नहीं है ? (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम यथाशीघ्र .... (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, यथाशीघ्र नहीं। आप बतायें कि आपने उसकी कोई विज्ञप्ति जारी की थी ? आपने कोई डैड लाईन दी होगी कि इतने दिन में आवेदन आयें। ये बताईये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल—

मान्यवर, आवेदन मांगे गये।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, ये आवेदन कब मांगे गये यही तो मैं पूछ रहा हूँ। स्पेसिफिक जानकारी आनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल—

मान्यवर, प्रत्येक जनपद से समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा, जो व्यक्ति दुकान लेना चाहते है, उनसे आवेदन मांगा गया। सम्पूर्ण जनपदों से यह आवेदन नहीं आये हैं। आवेदन पत्र आने के बाद ही हम आवंटन करेंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया है। (व्यवधान) यह तो गोल–मोल सा जवाब आ रहा है। फिर कहते है कि मैं फंस गया। जवाब नही देंगे तो फसेंगे ही। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। (व्यवधान) आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो एस0सी0पी0 का पैसा है, हमारे ग्रामीण अंचलों में जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग निवास करते हैं, उनके लिए जो एस0सी0पी0 का पैसा खर्च होता था, उनकी सड़कें बनती थीं, उनके लिए बारात घर बनते थे, उनके लिए नालियाँ बनती थीं, वह सारा पैसा काट कर आप जिले के जिला मुख्यालय मे इम्पोरियम बनाने की बात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, यहाँ पर पूरी ग्राम सभाओं का जो पैसा मिलता था, उसको इम्पोरियम मे लगाने की क्या जरुरत थी ? माननीय अध्यक्ष जी, उन दुकानों का मैं विरोध करता हूँ। हमारे गाँव के लोग वहाँ पर दुकाने नही लेंगे। (व्यवधान) ना ही उन्हें इस इम्पोरियम से कोई लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओम गोपाल जी, आप प्रश्न कीजिए। विरोध मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप एस०सी०पी० का पैसा पूर्व की भांति ग्राम सभाओं को देंगे ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय ओम गोपाल जी की भावनाओं से मैं भिज्ञ हो गया हूँ कि ये क्या भावना रखते हैं। मेरा यह निवेदन है, हमने एक निर्णय लिया कि प्रत्येक जनपद में एस०सी०, एस०टी० बजट से डा० भीम राव अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाय। उसमें प्रथम तल में दुकानें होंगी, जो उनके लिए होंगी। दूसरे तल में हम उनको प्रशिक्षण देंगे और उनके द्वारा तैयार किये गये माल को दुकान में बिक्री के लिए लायेंगे। तृतीय तल में इनके रहने के लिए व्यवस्था करेंगे, जो उनके लिए नि:शुल्क होगी।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, टिहरी में डेढ़ लाख अनुसूचित जाति के आदमी हैं। क्या आप उन सभी लोगों को इस इम्पोरियम का लाभ दिला पायेंगे। डेढ़ लाख दुकानें बना पायेंगे ? (व्यवधान) आप 50 दुकानें बना रहे है। (व्यवधान) मान्यवर, यह जनहित का मामला है। इसका बहुत खराब मैसेज है, पहाड़ में। (व्यवधान) एस०सी०पी० का पैसा जैसे पूर्व में मिलता आया है, ऐसे ही ग्राम सभाओं को मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मानानीय मंत्री जी, माननीय दिनेश अग्रवाल जी का जो प्रश्न था, उसमें टाईम बाउण्ड कर दीजिए। दो साल का समय तो निकल गया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मानानीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है, उद्योग बन्धुओं की बैठक में जिलाधिकारी के माध्यम से ये प्रस्ताव आते हैं। हमने डी०एम० को भी बोला है, समाज कल्याण अधिकारी को भी बोला है। मान्यवर, सभी जनपदों से प्रस्ताव नहीं आए हैं तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, तो फिर कौन दोषी है, विभाग तो आप चला रहे हैं ? जब विभाग एक भी प्रस्ताव नहीं ला पाया तो इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, लाभार्थी आवेदन नहीं कर रहे हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि लाभार्थी आवेदन नहीं कर रहे है तो उसके लिये आप कोई टाईम बाण्ड करेंगे या नहीं कि कितने दिनों में उनकी एप्लीकेशन ली जायेगी, यह कोई निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। (घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, दो महीने के अन्दर इसका निस्तारण कर लेंगे।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, शिल्पी हाट में जो 25 दुकानें बनाई गई है, उसमें कितना धन एस0सी0पी0 का तथा कितना धन टी0एस0पी0 का लगा है ? क्योंकि यह दोनो अलग–अलग योजनायें है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात आ तो गई है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मंत्री जी इसे बता ही नहीं पा रहे हैं, माफ कीजियेगा। यह तो साफ–सुथरा सा प्रश्न है कि इस योजना में कितना पैसा एस0सी0पी0 का लगा और कितना टी0एस0पी0 का लगा है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि वर्ष 2004–05 से जो यह शिल्पी ग्राम योजनायें संचालित हैं, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2004–05 से शिल्पी ग्राम की कौन–कौन सी योजनायें संचालित की जा रही है और वर्ष 2009–2010 में, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इनको पुनरीक्षित किया गया है, तो वह कौन–कौन सी योजनायें है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय जोत सिंह गुनसोला जी ने यह भी कहा था कि किन–किन संस्थाओं के द्वारा क्या–क्या काम किये जा रहे है तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनपद चमोली में .....। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, इसमें सारा पैसा एस0सी0पी0 योजना का है।

श्री गोपाल सिंह राणा–

मान्यवर, तो इसमें जनजातियों को क्यों जोड़ा गया है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह योजना तो दोनों के लिये है, एक के लिये नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उत्तर भाषण ही गलत है, इसमें लिखा है कि यह अनुसूचित जाति के लिये है और मंत्री जी कह रहे हैं कि यह दोनो के लिये है। या तो प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है या माननीय मंत्री जी गलत बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, पैसा एक का लगा है, योजना दोनों के लिये है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह योजना दोनों के लिये चलाई जा रही है, दोनो के कौशल प्रशिक्षण और आय जनित कार्य के लिये यह दुकानें बनाई गई हैं। इन दुकानों को दोनों में बांट दिया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उत्तर में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनो को दुकानें आवंटित की जायेंगी। जब आवेदन आयेंगे, उसके आधार पर आवंटन किया जायेगा। पैसा अनुसूचित जाति उपयोजना से लगाया गया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*2–श्री जोत सिंह गुनसोला–

चतुर्थ मंगलवार के तारांकित–2 में स्था0।

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित लाभार्थी

*3–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य गठन वर्ष से वर्तमान तक कुल कितने लाभार्थियों को उक्त योजना का लाभ मिल पाया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, उद्योग मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद (वर्ष 2000–01) से वर्ष 2007–08 तक प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत 46014 लाभार्थियों को धनराशि ₹ 324.75 करोड़ के ऋण संवितरित किये गये। वर्ष 2007–08 के बाद यह योजना समाप्त कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वर्ष 2000–2001 से 2007–08 तक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत किन–किन योजनाओं को, किन–किन योजनाओं के अन्तर्गत 46014 लाभार्थियों को ₹ 324.75 करोड़ वितरित किये गये ? वे योजनाएं कौन–कौन सी थीं और मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008–09 के बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विकल्प के रूप में राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलायी ?

श्री वंशीधर भगत–

मान्यवर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 से 2008 तक विभिन्न प्रकार के कार्यों का चयन किया गया जिसमें रेडीमेड गारमेन्ट्स, डेरी, मिनी डेरी, स्वच्छर, इलेक्ट्रीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर सेंटर, डाटा प्रोसेसिंग, रेस्टोरेन्ट, फास्ट फूड, कास्मेटिक, हार्डवेयर, बिल्डिंग मेटेरियल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिलाई, टेलरिंग, लकड़ी/स्टील फर्नीचर, कपड़े की दुकान, ब्यूटी पार्लर, टेन्ट हाउस, आटा चक्की, फ्लोर मिल, ऊन हौजरी, शॉल पश्मी, कालीन, बुटीक, फोटोस्टेट, गिफ्ट सेंटर, स्टेशनरी आदि विभिन्न प्रकार के लगभग 30 कार्य ऐसे थे जिन पर हमने यह 46014 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। जिसमें ₹ 324.75 करोड़ ऋण दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो केन्द्र की योजना थी, वर्ष 2008 में यह बन्द हो गयी, लेकिन इसके बदले में नयी योजना प्रारम्भ की गयी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। वर्ष 2008 के बाद इस कार्यक्रम के तहत हम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाते है जिसमें तीन प्रकार से हम लाभार्थियों का चयन करते है। एक तो उद्योग विभाग, दूसरा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, तीसरा उत्तराखण्ड खादी में ग्रामोद्योग बोर्ड। इसमें लगभग 40 प्रतिशत उद्योग विभाग, 30–30 प्रतिशत खादी ग्रामोद्योग आयोग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लाभार्थियों का चयन होता है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो लाभार्थी योजना के है, 46014 जो लाभार्थियों की बात कही गयी है, इसमें 324.75 करोड़ का जो ऋण दिया गया है, इसमें अनुदान कितना है और जो ऋण है वो कितने प्रतिशत पर दिया जाता है ? अनुदान की राशि कितनी है और ऋण की कितनी है ? तीसरा मान्यवर, इसी में सवाल है कि कितना ऋण कितने लाभार्थियों ने जमा किया है अभी तक और कितना जमा नहीं हो पाया है ?

श्री वंशीधर भगत–

मान्यवर, 46014 लाभार्थियों को ₹ 324.75 करोड़ बाँटा गया। (व्यवधान) इसमें जो अनुदान, भारत सरकार का अंश था (व्यवधान)

श्री नशीधर गगत–

मान्यवर, मैं टोटल ऋण बता चुका हूँ कि ₹ 324.75 करोड की लागत है। अनुदान ऋण की राशि अलग–अलग इसमें नहीं दी गयी है। (व्यवधान) माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री नशीधर गगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऋण और अनुदान का अलग–अलग नहीं लाया हूँ। माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री नशीधर गगत–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसका रेट आफ इन्ट्रेस्ट क्या है ? (व्यवधान)

श्री नशीधर गगत–

मान्यवर, हमारा काम अभ्यर्थी को प्रशिक्षण देना है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने वसूली वाली बात भी पूछी थी कि कितना वसूल हो गया ? (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, सरकार के पास जवाब होना चाहिए। सरकार के पास जवाब नहीं है।

श्री नशीधर गगत–

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने मन बना रखा है कि हल्ला करना है। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री नशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, उद्योग विभाग का काम प्रशिक्षणार्थी क्या चाहता है, किस चीज में चाहता है, उसको प्रशिक्षण देना और उसको प्रस्ताव करके बैंक को देना है। बैंक अपनी शर्तों पर उसको ब्याज देगा, ऋण देगा और ऋण में बैंक की शर्तों के अनुसार जो ब्याज लगता है वह उसको लगेगा और बैंक उसको वसूल करेगा। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, अलग–अलग समय में ब्याज की दरें अलग–अलग होती हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बता दिया है कि जो–जो अनुमोदित प्रोजेक्ट होगा उस अनुमोदित प्रोजेक्ट में 10 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी का होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होगा एवं शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत प्राप्त होगा। मंत्री जी इससे ज्यादा क्या स्पष्ट करें ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 30 कार्यों को इस योजना के तहत सम्मिलित किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 30 कार्यों में से प्रत्येक कार्यों के लिए कितने–कितने अलग–अलग लाभार्थियों को इसका लाभ मिला ?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नशीधर भगत–

सुन तो लें। मान्यवर, रेडीमेड गारमेन्ट्स में वर्ष 2005–06 में 412 अभ्यार्थियों को दिया गया और वर्ष 2006–07 में 345, डेरी/मिनी डेरी एग्रो एलाइड में वर्ष 2005–06 में 325 और वर्ष 2006–07 में 367 को दिया गया। खच्चर खरीद के लिए 2005–06 में 207, 2006–07 में 241, 2005–06 में इलैक्ट्रीकल्स/इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये 312 और वर्ष 2006–07 में 227, कम्प्यूटर सेन्टर/डाटा प्रोसेसिंग में वर्ष 2005–06 में 190 और वर्ष 2006–07 में 175, रेस्टोरेन्ट/फास्ट फूड में वर्ष 2005–06 में 145 और वर्ष 2006–07 में 167। यह पर्चा है, मैं पर्चा उपलब्ध करा देता हूँ इसे देख लें। मान्यवर, जनरल स्टोर

एवं अन्य के लिए वर्ष 2005–06 में 3979 और वर्ष 2006–07 में 3063 लोगों को दिया गया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, उससे पूर्व वर्ष 2001 से 2004–05 तक की स्थिति क्या है ?

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ₹ 324.75 करोड़ है, यह ऋण है या अनुदान है ?

श्री बशीधर भगत–

मान्यवर, यह ऋण है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

किस रेट आफ इन्टरेस्ट पर ऋण दे रहे हैं यह तो बताइये ?

*4–श्री मयूख सिंह–

प्रथम शुक्रवार के तारांकित–10 में स्थ0।

पिथौरागढ़ शहर में सीवर लाइन का लक्ष्य तथा कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही

*5–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के प्रथम बुधवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पृच्छित अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर के सन्दर्भ में अवगत कराया गया था कि जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शहर हेतु बन रही सीवर लाईन का कार्य मार्च 2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ?

यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि निर्धारित समय में लक्ष्य पूर्ण न होने के कारण योजना में कितना आर्थिक भार बढ़ा है एवं पूर्ण होने पर योजना की वित्तीय लागत क्या होगी ?

क्या सरकार योजना में विलम्ब होने के लिये किसी का दायित्व निर्धारित कर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

जी हाँ।

जी नहीं।

राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल/जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हो पाने के फलस्वरूप पर्याप्त धनावंटन नहीं सम्भव हो सका है।

योजना का अद्यतन प्राक्कलन वर्ष 2006 में स्वीकृत हुआ। योजना पर अभी तक ₹ 1367.00 लाख अवमुक्त किया गया। योजना पर वर्तमान में प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना के लिए पर्याप्त धनावंटन न हो पाने के कारण योजना पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है। अतः दायित्व निर्धारण का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि पिथौरागढ़ शहर के लिए जो जलोत्सारण योजना बनायी जा रही है। क्या यह योजना केन्द्र पोषित है और उसके प्राक्कलन में कुल कितना प्राविधान रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया आपस में बातचीत मत करें।

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और अवमुक्त धनराशि से कितनी निर्माण सामग्री क्रय कर ली गयी है और कितना अन्य कार्य में व्यय किया गया है ? साथ ही मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उक्त योजना को ए०डी०बी०पी० योजना के माध्यम से बनाना चाह रही है ? क्या उसके लिए पृथक आकलन सरकार द्वारा तैयार किया जा चुका है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ नगर हेतु विरचित पिथौरागढ़ जलोत्सारण योजना थी, उसका फेज–1 की मूल प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹ 2823.45 लाख की तकनीकी स्वीकृति नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से दिनांक 3 अक्टूबर, 2003 को प्राप्त हुई है। उसके पश्चात योजना के प्रस्तावों में परिवर्तन हुआ

और उस परिवर्तन के फलस्वरूप संशोधित प्राक्कलन जिसकी अनुमानित लागत ₹ 3690.13 लाख थी। यह दिनांक 10 जुलाई, 2006 को स्वीकृत हुआ। परन्तु वर्ष 2006 तक इसमें विधिवत अपेक्षित धनराशि स्वीकृत नहीं हो पायी है और जिसमें वर्ष 2003–04 में मात्र ₹ 5 करोड, वर्ष 2006–07 में ₹ 1 करोड 67 लाख, वर्ष 2008–09 में पुनः जब हमारी सरकार आयी ₹ 5 करोड इसकी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा वर्ष 2009–10 में ₹ 2 करोड की स्वीकृति की गयी है। इसमें जो कार्य है वह प्रगति पर है और यह प्रथम फेज का कार्य है और वर्तमान में हमारे पास 17 कि0मी0 के डी0आई0 पाईप के बिछाने के लिए उपलब्ध हैं और उनको बिछाने की कार्यवाही चल रही है और द्वितीय फेज ए0डी0बी0पी0 के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है और ए0डी0बी0पी0 द्वारा अपनी डी0पी0आर0 बना करके उसको विरचित किया जा रहा है, शीघ्र ही उनके नैगोसिएशन के बाद वह प्रोजेक्ट मंजूर हो जायेगा। वर्ष 2011–12 वित्तीय वर्ष से इसका कार्य, ए0डी0बी0पी0 के माध्यम से फेज–2 का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

जनपद पौडी के विकास खण्ड वीरोंखाल के अन्तर्गत बवांसा सिन्दूड़ी धोड़ियाना में बन्द जलापूर्ति की बहाली

*6–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौडी गढवाल के विकास खण्ड वीरोंखाल के अन्तर्गत बवांसा–सिन्दूडी–धोडियाना पेयजल योजना से जलापूर्ति कब से बन्द है तथा इस योजना के सम्बन्ध में मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून का पत्रांक 5656/अप्रै–03/ग्रा0यो0पौडी/2008–09 दिनांक 23–1–2008 पत्रांक 2656/अप्रै0–08/का0 विधायक सन्दर्भ/2010–11 दिनांक 05 अगस्त 2010 तथा पत्रांक–3310/अप्रै–03/मा0म0पेय0/10–11 दिनांक 23 सितम्बर 2010 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या यह भी सत्य है कि जिलाधिकारी गढवाल के दिनांक 30 सितम्बर, 2010 के पत्र द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में तीन दिन के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने और योजना की मरम्मत करने का विरोध करने अथवा तोड–फोड करने वालों के प्रति प्रथम सूचना/रिपोर्ट दर्ज न किये जाने का उल्लेख किया गया है ?

यदि हाँ, तो योजना की मरम्मत करने तथा योजना में तोड–फोड करने वालों के प्रति अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के कारण क्या हैं तथा लगभग विगत ढाई वर्षों से जलापूर्ति बहाल न करवाये जाने के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

क्या इस योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक सहयोग की मांग की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

बवांसा में जलापूर्ति चालू है। सिन्दूड़ी एवं घोडियाना में लगभग 02 वर्ष से जलापूर्ति बन्द रही थी।

जी हां।

वर्तमान में वीरोंखाल पम्पिंग पेयजल योजना से घोडियाना–सिन्दूड़ी को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। घोडियाना व सिन्दूड़ी को वीरोंखाल पम्पिंग योजना से जोड़ने में पाईप लाईन का सरेखण बदल गया है। तत्समय पाईप लाईन में तोड़फोड़ की घटना होने के कारण कार्यवाही के लिए अनुरोध किया गया था। अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो मेरा मूल प्रश्न था, उसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आया कि सिन्दूड़ी–घोडियाना में लगभग 02 वर्ष से जलापूर्ति बन्द रही है। जबकि सच्चाई यह है कि विगत चार वर्षों से इन दोनो गॉवो में जलापूर्ति बन्द रही है और इसका उदाहरण भी यह है कि मेरे मूल प्रश्न में लिखा गया है कि जिस समस्या के बारे में बार–बार पत्राचार हुआ है और उसके द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान के द्वारा भी जो पत्र भेजे गये, उनकी डेट भी आप चैक कर लेंगे, तो सन् 2008 से पत्राचार हो रहा है। इससे साफ है कि चार साल से इन दोनो गॉवों की जलापूर्ति बन्द रही है। जबकि जवाब दिया गया है कि दो साल से बन्द है। एक तो माननीय मंत्री जी, सच्चाई यह है कि चार साल से जलापूर्ति बन्द है और जो अन्त में जवाब दिया गया माननीय मंत्री जी द्वारा कि वर्तमान में वीरोंखाल पम्पिंग पेयजल योजना से इन दोनों गॉवों को जोड़ दिया गया है और उसमें जलापूर्ति की जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन दोनों गॉव में जहॉं से जलापूर्ति होती है इसका घोडियाना में अपना ही जल स्रोत है। वहॉं से न जोड़ करके इन गॉवो को वीरोंखाल पम्पिंग योजना से एक हफ्ते पूर्व जोड़ा गया है। वह भी जब यह प्रश्न लगाया गया तब उन गॉवों को एक दूसरी योजना से पानी दिया जा रहा है। जबकि इन गॉवों को उनके मूल स्रोत से पानी दिया जाना चाहिए था। मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि क्या दोनों गॉवों को इनके मूल स्रोत से पानी उपलब्ध करायेंगे या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि वीरोंखाल ग्राम समूह पेयजल योजना लगभग 30–35 वर्ष पुरानी पेयजल योजना है और इस योजना के माध्यम से जो सिन्दूड़ी–घोडियाना

बस्तियाँ इनके अन्तर्गत सम्मिलित हैं। इनको जो पेयजल आपूर्ति होती है वह पाइप लाईन बवांसा बस्ती से होकर गुजरती है। चूँकि सड़क निर्माण के चलते हुए यह योजना क्षतिग्रस्त हुई थी और अद्यतन स्थिति यह है कि पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गयी है और जहाँ तक माननीय सदस्य का सुझाव है श्रीमन्, तो सुझाव का परीक्षण करा लेंगे और यदि सम्भव हुआ तो परीक्षण के उपरान्त इस पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती अमृता रावत–

कितने समय में कर देंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

पहले तो परीक्षण करायेंगे। अभी इसमें गाँव वाले विवाद कर रहे है उसके आधार पर दिक्कत पैदा हुई।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि वह बहुत पुरानी योजना है और पुरानी पाईप लाईन है जिसके पाईप क्षतिग्रस्त हो गये है और यह लाइन गाँव के बीच से जा रही है तो गाँव वालो का यही कहना है कि इसको किनारे से पाईप लाईन को ले जाया जाए वहाँ से जोड़ दिया जाए तो उनको हमेशा पानी मिलता रहे।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसका परीक्षण करवा लेंगे। चूँकि जो सुझाव माननीय सदस्या दे रही है उसमें लगभग 40 लाख का व्यय आ रहा है। अब किस तरह से गाँव वालो से आपसी सहमति के आधार पर यह कर पायेंगे, उसका परीक्षण करा लेंगे।

श्रीमती अमृता रावत–

बहुत लम्बा समय हो गया है माननीय मंत्री जी, इसको जल्दी करा दीजिए।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवायें संचालित न होने के कारण तथा संचालन हेतु योजना

*7–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में ऐसे कौन–कौन से राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जिन पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम अपनी बस सेवायें संचालित नहीं कर रहा है ?

तथा ऐसे राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अन्य निजी परिवहन कम्पनियों की बस सेवायें संचालित करने/करवाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मार्गों पर जनमानस को बस सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

और कब तक इन मार्गों पर बस सेवायें संचालित कर दी जायेगी ?

श्री नरेन्द्र गमरा–

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–100 में मार्गों को अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था है। उत्तराखण्ड राज्य में कुल 52 अधिसूचित मार्ग हैं।

वर्तमान में निम्न अधिसूचित मार्गों पर निगम द्वारा नियमित बस संचालन नहीं हो पा रहा है–

1–लैन्सडौन से गुमखाल–जयहरीखाल

2–लक्ष्मणझूला–पोखरीखाल–काण्डी–पौखाल–काण्डाखाल–दुगड्डा मार्ग

3–लैन्सडौन–गुमखाल

4–सरगाखेत–पहाडपानी

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–104 में दिये गये प्राविधानानुसार निजी वाहन स्वामियों द्वारा परमिट हेतु आवेदन करने पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि आपने अपने उत्तर में लिखा है कि निजी वाहन स्वामी द्वारा परमिट का आवेदन किए जाने पर अस्थायी सवारी गाडी की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अभी तक कितने परमिट जारी किये गये या कितने परमिटों के लिए आवेदन–पत्र आपको प्राप्त हुए हैं और क्या जो आपने चार मार्ग बताए हैं जिसमें बस संचालन नहीं हो पा रहा है क्या इसके लिए आपने निजी वाहन स्वामी द्वारा परमिट हेतु आवेदन को स्वीकार किया है या नहीं ?

श्री नरेन्द्र गमरा–

जो चार मार्ग उल्लेख किये गये हैं उनमें निजी वाहन स्वामी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र हमको नहीं मिला है। अगर मिलेगा तो उस पर विचार करेंगे। जो वर्तमान में परमिट है उसमें जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा टैक्सी कैब जो 6 प्लस 1 की है उसमें 6 हजार 24 एस0टी0ए0 ने परमिट दिये हैं, मैक्सी कैब 7 प्लस 1 और 12 प्लस 1 की है उसमें 7 हजार 704 परमिट हैं, ठेका बस 296 परमिट हैं। देहरादून सम्भाग में 2725 टैक्सी कैब हैं, और मैक्सी कैब है 2485, ठेका बस हैं 127। पौडी सम्भाग में टैक्सी कैब 1248, 1025 मैक्सी कैब और ठेका बस 5। हल्द्वानी सम्भाग में 1084 टैक्सी कैब और मैक्सी कैब हैं 6411 कुल मिलाकर 14 हजार 24 एस0टी0ए0 द्वारा परमिट जारी किये गये हैं और देहरादून सम्भाग में 5337 जारी किये गये।

श्रीमती अमृता रावत–

मैंने केवल चारों के बारे में पूछा है।

श्री बंशीधर भगत–

मैंने इन चारों के बारे में कहा कि अभी तक कोई आवेदन नहीं आए हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

क्या आपने विज्ञप्ति मांगी थी ?

श्री बंशीधर भगत–

जी, हम अपने मार्गों पर जो अधिसूचित मार्ग है उन मार्गों पर निगम द्वारा बस चलाते है, निगम ने वहाँ पर बस चलायी लेकिन लोड फैक्टर बहुत कम होने के कारण फिर वह बन्द की गयी।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि ये जो चार रूट हैं इस पर किसी ने भी परमिट के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। मै माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन चारों रूटों पर बस चलाने के लिए कोई अधिसूचना विभाग द्वारा जारी की गयी ? यदि की गयी तो कब की गयी ? यह तो बता दें तभी तो आदमी परमिट के लिए आवेदन करेगा।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हमने इसमें पहले निगम की बसें चलाई, लेकिन लोड फैक्टर कम होने के कारण बन्द करनी पडी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हम इस प्रकार की अधिसूचना कभी जारी नहीं करते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण ही विरोधाभासी है, एक तरफ कह रहे हैं कि परमिट के लिए किसी ने एप्लाई नही किया है। परमिट के एप्लाई के लिए एक व्यवस्था है और वह व्यवस्था यह है कि जब विज्ञप्ति जारी करेंगे तब कोई एप्लाई करेगा, तो हम पूछ रहे हैं कि कोई विज्ञप्ति जारी की गई या जारी नहीं की गई ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, विज्ञप्ति जारी नही की गई।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब विज्ञप्ति जारी नहीं की गई तो लोग परमिट कैसे मांगेंगे ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अस्थाई परमिट जो पूर्व में दिये गये हैं वे चल रहे हैं, अस्थाई परमिट तो देते ही हैं। जो अधिसूचित मार्ग हैं इन पर एकदम से परमानेन्ट परमिट देने की व्यवस्था नहीं है। अस्थाई परमिट देते हैं 4–4 महीने के लिए, वे हमने दिये हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वही तो हम पूछ रहे हैं कि इन चारों मार्गों के लिए कितने परमिट दिये हैं ? (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इन 4 मार्गों पर कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं यह तो अभी नहीं है, पौड़ी सम्भाग में जो परमिट दिये हैं वे 3 मार्ग हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पौड़ी सम्भाग की बात नहीं कर रहे हैं, मैं 4 मार्गों की बात कर रहा हूँ कि इन 4 मार्गों पर कितने परमिट दिये है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, वहीं मैं कह रहा हूँ कि इन 4 मार्गों में से 3 मार्ग पौड़ी सम्भाग में पड़ते है, चूँकि अधिसूचित मार्ग हैं इसलिए हम परमानेन्ट परमिट तो दे ही नहीं सकते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम परमानेन्ट की बात नहीं कर रहे है, हम अस्थाई की बात कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वे आवेदन करेंगे तो दे सकते हैं, डिमाण्ड करेंगे तो परमिट मिलेगा। किसी भी मार्ग में अस्थाई परमिट दिये जाने की व्यवस्था है, स्थाई नहीं दिया जा सकता है जो अधिसूचित मार्ग हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो सीधा–सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन 4 मोटर मार्गों का उल्लेख आपने अपने उत्तर भाषण में किया है और आपने अपने उत्तर भाषण में कहा

है कि इन 4 मोटर मार्गों पर स्थाई परमिट नहीं दिये हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि यातायात सुचारु रूप से चलाने के लिए अस्थाई कितने परमिट हैं।

श्री बंशीधर भगत—

मान्यवर, अस्थाई परमिट के लिए कोई एप्लाई करता है तो हम करते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सीधा सा सवाल है, हम यह कह रहे हैं कि जो 4 रोड माननीय मंत्री जी ने दर्शाये हैं क्या उसमें वाहन चलते हैं या नहीं चलते है और यदि चलते हैं तो कितने परमिट जारी किये है ? (घोर व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, जब विज्ञप्ति ही नहीं निकालेंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा ?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने—अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलते रहे)

श्री बंशीधर भगत—

मान्यवर, यह मार्ग जो पौड़ी में है, यह मार्ग आर0टी0ओ0 पौड़ी ऑफिस में है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम अधिसूचित मार्ग पर अस्थाई परमिट देते हैं तो यह पूरे प्रदेश में कहाँ पर चलायेंगे यह उसके ऊपर है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती अमृता रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी तो कोई आवेदन कैसे करेगा ? (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या—7 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*8—श्री प्रेमानन्द महाजन—

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

*9—कुँवर प्रणव सिंह चैम्पियन—

तृतीय सोमवार के तारांकित—20 में स्थानान्तरित।

वि0स0 क्षेत्र पंतनगर गदरपुर के सिडकुल क्षेत्र में आवासीय भवन निर्माण हेतु सुपरटैक व ओमेक्स कम्पनी को आवंटित भूमि

*10—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर गदरपुर के सिडकुल क्षेत्र में आवासीय भवन निर्माण कम्पनी सुपरटैक व ओमेक्स को आवासीय भवन निर्माण हेतु कितने एकड़ भूमि किन—किन शर्तों के तहत आवंटित की गयी है ?

क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले ई0डब्लू0एस0 व अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति के व्यक्तियों के लिए निर्मित भवन पाने के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था व निर्मित भवन खरीदने की शर्तें सरकार द्वारा कम्पनियों के साथ की गयी है ?

यदि हाँ, तो शर्तें क्या—क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नशीधर भगत—

मै0 ओमेक्स लि0 को आवासीय भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया के तहत 47.80 एकड़ (जिसमें 10 प्रतिशत व्यावसायिक हेतु सम्मिलित) एवं मै0 एसोटैक सुपरटैक को भी आवासीय भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया के तहत 47.27 एकड़ (जिसमें 10 प्रतिशत व्यावसायिक हेतु सम्मिलित) भूमि लीज डीड निष्पादित कर उपलब्ध करायी गयी है। जिसकी लीज डीड एवं आवंटन की प्रमुख शर्तें निम्नवत् है :—

1. भूमि आवटन की तिथि (08 जून 2006) से 90 वर्ष की लीज पर दी गयी है।
2. मै0 ओमेक्स से कुल मूल्य का 0.5 प्रतिशत के आधार पर ₹ 2708252/— एवं मै0 एसोटैक सुपरटैक तथा मै0 दून वैली टेक्नोपोलिस प्रा0लि0 से कुल मूल्य का 0.5 प्रतिशत के आधार पर ₹ 3874816/— लीज रैन्ट एक मुश्त अग्रिम धनराशि के रूप में लिया गया है।
3. उक्त कम्पनियों द्वारा निर्मित फ्लैटों पर ₹ 15/— प्रति वर्गमीटर सुपर एरिया के लिए प्रतिवर्ष भवन स्वामियों से अग्रिम धनराशि लिये जाने का प्राविधान है।

4. भवनों की समस्त निर्माण गतिविधियाँ जनरल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन्स (GIDCR) 2005 के अनुरूप ही निर्धारित होगी।

5. आवासीय परिसर में पानी, बिजली, सडकें, सीवरेज एवं नालियों आदि की व्यवस्था डेवलपर द्वारा की जायेगी।

6. उक्त दोनों कम्पनियों द्वारा अपने परिसर हेतु पर्यावरण, अग्नि शमन आदि की वैधानिक औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।

7. मै0 ओमेक्स लि0 एवं ऐसोटेक सुपरटेक द्वारा फ्लैट हस्तान्तरण की अनुमति कार्य पूर्ण होने के प्रमाण पत्र (Completion Certificate) प्राप्त करने के उपरान्त ही दी जायेगी।

8. उपरोक्त कम्पनियों द्वारा आवासीय भवनों/प्लाटों का 60 प्रतिशत भाग एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र पन्तनगर के उद्यमियों हेतु आरक्षित रखा जायेगा। यदि उद्यमियों द्वारा उक्त 60 प्रतिशत की मांग नही की गयी तो निर्माता कम्पनियाँ इस आरक्षित भाग को स्वेच्छा से अन्य को दे सकती हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवासीय भवन निर्माण कम्पनी के चयन हेतु सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया अपनायी गयी थी। तत्समय निविदा में आरक्षण सम्बन्धी कोई शर्त नही रखी गयी थी। भूखण्ड बिल्डर कम्पनी को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया गया है। अतः व्यावसायिक दृष्टिकोण से आवंटन का अधिकार डेवलपर के प्रबन्धन में निहित है।

*11–श्री मनोज तिवारी–

चतुर्थ सोमवार के तारांकित–5 में स्थानान्तरित।

*12–श्री मनोज तिवारी–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

प्रदेश में वर्ष 2007 से 2010 तक निर्मित लघु सिंचाई योजना व व्यय तथा सिंचित क्षेत्रफल

*13–श्री मनोज तिवारी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितनी लघु सिंचाई योजनायें वर्ष 2007–08, वर्ष 2008–09, वर्ष 2009–10 में निर्मित की गई।

तथा कितना योजनावार व्यय हुआ।

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितना सिंचित क्षेत्रफल उपलब्ध हुआ और पानी की उपलब्धता का स्रोत क्या था ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

प्रदेश में वर्ष 2007—08, वर्ष 2008—09, वर्ष 2009—10 में निम्नानुसार लघु सिंचाई योजनायें निर्मित की गईं :—

क्र० सं०	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2007—08	वर्ष 2008—09	वर्ष 2009—10
1.	सिंचाई गूल निर्माण	कि०मी०	1927.237	3017.002	1245.240
2.	सिंचाई हौज	संख्या	1530	1623	2415
3.	हाईड्रम	संख्या	39	29	36
4.	आर्टीजन कूप	संख्या	4	15	5
5.	पम्पसेट	संख्या	236	182	148
6.	वियर	संख्या	2	4	2

वर्ष 2007—08, 2008—09 एवं 2009—10 में योजनावार व्यय निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	मद का नाम	वर्ष 2007—08	वर्ष 2008—09	वर्ष 2009—10
1.	जिला योजना	730.29	458.66	338.52
2.	राज्य योजना	1129.07	168.29	101.00
3.	केन्द्रपोषित योजना	20000.00	26945.26	7232.11
	कुल योग	21859.36	27572.21	7671.63

तीनों वर्ष (2007—08, 2008—09, 2009—10) में 63728.242 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया तथा पहाडी क्षेत्रों में सतत बहने वाले स्थानीय गुरुत्वीय जलस्रोत (स्थानीय नदी, गाढ—गधेरा, स्प्रिंग) तथा मैदानी क्षेत्रों में व्यक्ति नलकूप/बोरिंग पम्पसेट, आर्टीजन में भूगर्भ जल स्रोत उपयोग में लाये जाते हैं।

राज्य में पर्वतीय औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक आस्थानों का चयन

*14—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्रख्यापित पर्वतीय औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों का चयन कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है तथा इन आस्थानों में कितना पूंजी निवेश वर्तमान तक हो चुका है ?

क्या सरकार इसका जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बंशीधर भगत–

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रख्यापित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 के क्रियान्वयन हेतु पृथक औद्योगिक आस्थानों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि औद्योगिक इकाईया औद्योगिक आस्थानो अथवा उससे इतर किसी भी अन्य भूमि पर जो अन्यथा उपयुक्त हो, लगायी जा सकती है। राज्य गठन से पूर्व वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक आस्थानों मे भी उक्त नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाए दी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में पूँजी निवेश तथा आवंटित भूखण्डों का उपयोग

*15–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य स्थापना के पश्चात राज्य में कितनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई तथा उक्त औद्योगिक इकाइयो द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितने भूखण्ड विभिन्न औद्योगिक आस्थानो मे आवंटित किये गये तथा आवंटित भूखण्डो में कितनों पर औद्योगिक इकाइया स्थापित हुई है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आवंटित भूखण्डों मे से कितने भूखण्ड है जिनमें आज की तिथि तक कोई उद्योग स्थापित नही किये गये ?

श्री बंशीधर भगत–

राज्य गठन के पश्चात राज्य में 23,787 सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यमो की स्थापना की गई है। इन उद्यमो मे ₹ 27,716.50 करोड का पूंजी निवेश किया गया है।

राज्य में उद्योग विभाग, यूपीएसआईडीसी तथा सिडकुल द्वारा विकसित विभिन्न औद्योगिक आस्थानो में माह फरवरी, 2011 तक निम्नलिखित विवरणानुसार भूखण्डों का आबटन किया गया है :–

क्र0 सं0	औद्योगिक आस्थान	आबटित भूखण्डो की संख्या
1.	उद्योग विभाग द्वारा विकसित	737
2.	यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित	1345
3.	सिडकुल द्वारा विकसित	1537
	कुल योग	3619

उक्त आवंटित भूखण्डों में से 2800 भूखण्डो पर औद्योगिक इकाईया स्थापित हुई हैं।

आवंटित भूखण्डों में से 618 भूखण्डों पर आज की तिथि तक कोई उद्योग स्थापित नही किया गया है। 201 भूखण्डों पर औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश की अनुसूचित जनजाति उपयोजना (2010 11) में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का योजनावार विवरण

*16–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की अनुसूचित जनजाति उपयोजना में वित्तीय वर्ष 2010–11 में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं में वर्तमान तक व्यय की गई धनराशि का योजनावार विवरण क्या है ?

क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2010–11 की अनुसूचित जनजाति उपयोजना की स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि 31 मार्च 2011 तक व्यय करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनजाति उपयोजना (TSP) के अन्तर्गत कुल ₹ 20077.04 लाख की बजट धनराशि स्वीकृत है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 20 मार्च, 2011 तक कुल ₹ 8539.75 लाख की धनराशि का व्यय हुआ है। व्यय धनराशि का योजनावार विवरण संलग्न है।†

इस सम्बन्ध में सभी विभागों को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में पी०टी०सी० वर्कर्स का मानदेय व नियमितीकरण

*17–श्री केदार सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री जी अवगत है कि, ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पी०टी०सी० वर्कर्स पर निर्भर है ?

क्या यह सत्य है कि इनका मानदेय अति न्यून है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार इनका मानदेय बढ़ाने या नियमितीकरण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

† (विवरण देखिये आगे नत्थी 'क' पृष्ठ सं0 212–238 पर)

श्री प्रकाश पन्त–

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था केवल मात्र पी०टी०सी०/अंशकालिक चौकीदारों पर निर्भर नहीं है।

जी नहीं।

इनको दिये जाने वाला मानदेय कार्य के अनुरूप उचित है।

जी नहीं।

दिनांक 01–04–2010 को इनका मानदेय संशोधित करके बढ़ाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून में स्वीकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की प्रगति का विवरण

*16–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में कितने सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान (एस०टी०पी०) स्वीकृत हैं, कितने बनकर तैयार हो गये हैं तथा कितने बन रहे हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनकी स्वीकृति कब हुई थी तथा उनको स्वीकृत करने वाले कौन–कौन विभाग है ?

क्या इन एस०टी०पी० से देहरादून के किनारे बहने वाली नदियां जो राजाजी पार्क से होकर जाती हैं, वह प्रदूषण व गन्दगी से मुक्त हो जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 06 नग सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) स्वीकृत हैं। 02 नग निर्माणाधीन है तथा 04 नग सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

05 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट माह जुलाई 2009 में एवं 01 नग सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट माह मार्च 2010 में स्वीकृत हुआ है। 05 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा 01 नग एशियन डेवलपमेन्ट बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है।

जी हाँ।

नगर से नालों के माध्यम से नदी में पहुंचने वाले प्रदूषित जल को शोधन करके प्रदूषण मुक्त होने पर नदी में जाने दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*19-श्री दिनेश अग्रवाल-

न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री गगन सिंह-

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड धारचूला के ग्राम सभा खूला, धूरा, गर्गुवा, जुम्मा, रौंधा, पप्योंपोड़ी, जयकोट, गागरा, बलुवाकोट तथा विकास खण्ड मुनस्यारी में वथी, राप्ती, गैना, मवानी-दवानी, माणी धामी आदि गावों में जल संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हॉ, तो क्या सरकार पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए उक्त गांवों हेतु पेयजल योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण करायेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त-

ग्राम खेला धूरा, गर्गुवा जुम्मा, राथी एवं गागरा पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। पप्यापोड़ी, बलुकोट तथा राप्ती में पेयजल आपूर्ति सुचारु है। विकासखण्ड मुनस्यारी के ग्राम वथी, गैना, मवानी-दवानी, माणी एवं धामी योजनायें दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हुई और उक्त ग्रामों में अस्थाई रूप से जलापूर्ति की जा रही है। जिनके मरम्मत कार्य प्रगति पर हैं। ग्राम जयकोट की योजना का प्राक्कलन स्वैप मोड में गठित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन एवं पुनर्निर्धारण

2-श्री जोत सिंह गुनसोला-

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कब-कब संशोधन कर कितनी-कितनी न्यूनतम मजदूरी तय की गई है ?

क्या सरकार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निर्धारण करने जा रही है ?

यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

उत्तराखण्ड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरें संशोधित/पुनरीक्षित की गयी हैं। विवरण संलग्न है।†

जी हाँ।

न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनर्निर्धारण हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है। तदोपरान्त बोर्ड के परामर्श से न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित हाइड्रमों द्वारा क्षमता अनुरूप सिंचाई कार्य

3–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान तक पूरे प्रदेश में कुल कितने हाईड्रम स्थापित हैं तथा क्या सभी हाईड्रम स्थापित क्षमता के अनुरूप सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रहे है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वर्तमान तक पूरे प्रदेश में 694 योजनायें स्थापित हैं। वर्तमान में क्रियाशील 259 योजनाओं में स्थापित सिंचन क्षमता के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध हैं।

क्रियाशील योजनाओं के अतिरिक्त 435 योजनायें बाढ़, भूस्खलन जैसी दैवीय आपदा/सड़क निर्माण आदि कतिपय कारणों से क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द हैं। क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत/पुनर्निर्माण कर, पुनः सिंचाई सुविधा प्राप्त करने हेतु दैवीय आपदा/ जिलायोजना के अन्तर्गत प्रस्ताव है।

4–श्री जोत सिंह गुनसोला–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वर्ष 2009 से 2011 तक उद्योगों की अनुमति तथा उत्पादन की प्रगति

5–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में कुल कितने उद्योगों को अनुमति दी गयी तथा कितने उद्योगों द्वारा उत्पादन शुरू कर दिया गया है ?

---

† (विवरण संलिये आगे नत्थी 'ख' पृष्ठ सं० 239–252 पर)

श्री नरेन्द्र नगर–

उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उद्यमी द्वारा उद्यम स्थापना की इच्छा रखने पर इण्टर प्रिन्योर्स मैमोरेन्डम भाग–1 तथा उद्यम की स्थापना के बाद इण्टर प्रिन्योर्स मैमोरेन्डम भाग–2 जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में दाखिल किया जाता है, जिसकी अभिस्वीकृति सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के सभी जिला उद्योग केन्द्रों में उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के सभी जिला उद्योग केन्द्रों में इण्टर प्रिन्योर्स मैमोरेन्डम भाग–2 दाखिल कर उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने वाले उद्यमों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	क्षेत्र	वर्ष	स्थापित उद्योग (जिला उद्योग केन्द्रों में दाखिल) ई0एम0 भाग–2 की संख्या
1.	पर्वतीय	2009–10 2010–11	706 774
	योग		1480
2.	मैदानी	2009–10 2010–11	1165 865
	योग		2030

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला मुनस्यारी की अनवाल जाति को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने की घोषणा।

6–श्री गगन सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 14–11–2006 को जौलजीवी जनपद पिथौरागढ़ में जौलजीवी मेले के उद्घाटन समारोह के अवसर पर धारचूला, मुनस्यारी की अनवाल जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की घोषणा (संख्या 344/2006) की गयी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त संदर्भ में क्या प्रगति हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से अनवाल जाति की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं रीति–रिवाजों से सम्बन्धित सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के वि0स0 क्षेत्र धारचूला के सीपू मार्छा पेयजल योजना की स्वीकृति न मिलने के कारण

7–श्री गगन सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के ग्राम सभा सीपू मार्छा पेयजल योजना पर विभाग द्वारा स्वैप में अनुमान लागत ₹ 25.14 लाख का प्राक्कलन बनाकर छः माह पूर्व धनावंटन हेतु प्रधान कार्यालय देहरादून को प्रेषित कर दिया गया था ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना की अभी तक स्वीकृति नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल की गम्भीरता को देखते हुए उक्त लम्बित पेयजल योजना की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

प्राक्कलन में योजना की लागत प्रतिव्यक्ति औसत लागत निर्धारित मानक से अधिक होने के कारण प्राक्कलन को संशोधित किया जाना है।

संशोधित होने पर योजना लागत निर्धारित प्रति व्यक्ति औसत लागत मानक के अनुरूप होने पर योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत ब्रहमखाल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मांग

8–श्री केदार सिंह रावत–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत भण्डारस्यू की जनता ब्रहमखाल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मांग कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

जी हाँ।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 77/2011 के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना अन्तर्गत वर्ष 2007 से 2011 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार आवंटन व व्यय का विवरण

9—श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री किशोर उपाध्याय—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ''त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना'' प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है ?

यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08, 2008—09, 2009—2010, 2010—11 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री प्रकाश पन्त—

जी हाँ।

वर्ष 2007—08 से 2010—11 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार आवंटन व व्यय विवरण निम्नवत है .

जनपद	वर्ष 2007—08 से 2010—11 तक	
	आवंटन	व्यय
1	2	3
उत्तरकाशी	406.880	445.825
चमोली	716.300	973.264
टिहरी	8828.290	6777.151
देहरादून	1687.845	1924.770
पौड़ी	4231.310	3806.569
रुद्रप्रयाग	3362.005	1422.738

1	2	3
हरिद्वार	27.000	21.780
पिथौरागढ़	1695.400	1410.899
चम्पावत	703.415	783.226
अल्मोड़ा	3556.360	2438.861
बागेश्वर	837.840	762.331
नैनीताल	2349.415	2130.338
ऊधमसिंह नगर	61.885	35.719
रखरखाव	2358.570	2309.070
जल संस्थान	504.306	504.306
योग	31326.921	25756.846

केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त जनपदवार वर्षवार स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध व्यय का विवरण संलग्न है।†

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2007 08 से 2010 11 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं व्यय का विवरण

10–श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री किशोर उपाध्याय–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम" योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है ?

यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश
2007–08	664.36
2008–09	861.89
2009–10	773.98
2010–11	1707.61

† (विवरण देखिये आगे नत्थी 'ग' पृष्ठ सं0 253–255 पर)

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्न है।†

केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त जनपदवार वर्षवार स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध व्यय का विवरण संलग्न है।†

प्रदेश में "त्वरित सिंचाई लाभ योजना" में वित्तीय वर्ष 2007 08 से 2011 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार आवंटन व व्यय का विवरण

11—श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री किशोर उपाध्याय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "त्वरित सिंचाई लाभ योजना" प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है ?

यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08, 2008—09, 2009—10, 2010—11 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।

विवरण संलग्न है।†

प्रदेश में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007 08 से 2010 11 तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार आवंटन व व्यय का विवरण

12—श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री किशोर उपाध्याय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है ?

यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08, 2008—09, 2009—10, 2010—11 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है तथा प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

---

† (विवरण देखिये आगे नत्थी 'ग' पृष्ठ सं0 256—258 पर)

† (विवरण देखिये आगे नत्थी 'ङ' पृष्ठ सं0 259 पर)

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हाँ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदवार धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का जनपदवार स्वीकृत आवंटित धनराशि तथा व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

जनपद का नाम	वर्ष 2007—08		वर्ष 2008—09		वर्ष 2009—10		2010—11 (फरवरी, 2011)	
	स्वीकृत / आवंटित धनराशि	व्यय	स्वीकृत / आवंटित धनराशि	व्यय	स्वीकृत / आवंटित धनराशि	व्यय	स्वीकृत / आवंटित धनराशि	व्यय
पौड़ी	18968000	18968000	33997000	33997000	37560000	37560000	39977000	39977000
टिहरी	15807000	15807000	39515000	39515000	40864000	40864000	44895000	44895000
चमोली	13103000	12453800	20893000	18562000	25380000	25380000	21142000	21137000
रुद्रप्रयाग	7407000	7407000	13508000	13508000	20130000	20130000	20805000	20805000
उत्तरकाशी	15433000	15433000	22857000	22361000	28742000	28742000	28893000	28851000
देहरादून	20074000	20065795	48977000	48968179	57341000	57339800	49443000	49399000
हरिद्वार	18435000	18435000	35970000	35970000	72817000	72817000	61570000	61570000
नैनीताल	8059000	8884000	14894000	14894000	19770000	19770000	24065000	24014000
अल्मोड़ा	18471000	17735000	29794000	29794000	41409000	40819000	43577000	43577000
पिथौरागढ़	7857000	7857000	20790000	20790000	23775000	23775000	38588000	38588000
बागेश्वर	6476000	5716829	12773000	12545180	20190000	20190000	17393000	17391000
चम्पावत	3757000	3751849	12478000	9875400	18031000	18031000	18151000	18151000
ऊधमसिंह नगर	17776000	17773000	38858000	38856000	43390000	43387400	34553000	33910000
कुल योग	188841000	188727055	339760000	334189880	448327000	445800380	438711000	437828000

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित चौखुटिया मासी के भू भाग के बचाव हेतु योजना।

13—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विगत वर्ष आई दैवीय आपदा के कारण जनपद अल्मोड़ा के रामगंगा नदी, खच्चार नाला और डागास नदी में बाढ़ से भू—कटाव आने के कारण चौखुटिया और मासी का भारी भू—भाग प्रभावित हुआ है ?

यदि हाँ, तो भविष्य में बाढ़ से क्षेत्र के बचाव हेतु सरकार ने कोई योजना तैयार की है ?

क्या सरकार उस क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट और भविष्य की बाढ़ सुरक्षा योजना को सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया कस्बे में रामगंगा नदी एवं खच्चार नाला से कस्बे की सुरक्षा हेतु ₹ 812.74 लाख की एक बाढ़ योजना तैयार कर ली गयी है। मासी क्षेत्र मे बाढ़ से सुरक्षा हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।

रामगंगा नदी एवं खच्चार नाला से कस्बे की सुरक्षा हेतु वर्तमान मे विभाग स्तर पर बाढ़ सुरक्षा योजना तैयार की गयी है, योजना का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाना शेष है। इसी प्रकार मासी क्षेत्र मे बाढ़ से सुरक्षा हेतु सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है। इस कारण उक्त बाढ़ सुरक्षा योजना की सर्वे रिपोर्ट एवं योजना को वर्तमान मे सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार के ग्राम मिठीबेरी में पट्टों पर मानक विरुद्ध खनन कार्य पर कार्यवाही

14–हाजी तसलीम अहमद–

क्या उद्योग मंत्री अवगत है कि विधान सभा क्षेत्र–लालढांग जिला हरिद्वार के ग्राम मीठीबेरी मे पट्टो पर खनन कार्य मानकों के विपरीत अधिक गहराई तक किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि अवैध खनन किये जाने के कारण ग्राम का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ?

यदि हाँ, तो सरकार मानक के विपरीत खनन किये जाने व अवैध खनन रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जिला हरिद्वार की विधान सभा क्षेत्र लालढांग के ग्राम मीठीबेरी मे निर्धारित मानको के अनुसार ही खनन कार्य किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम का मार्ग पट्टा क्षेत्रों से लगा हुआ नहीं है। उप खनिज की निकासी वन भूमि के रास्ते से होती है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत किनसुर पुलनाबड़ पेयजल योजना की समस्या का स्थाई निवारण

15—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के ग्राम किनसुर—पुलनाबड पेयजल योजना के जल—स्रोत सूख जाने के कारण पुलनाबड में उत्पन्न भयंकर पेयजल संकट के निवारण के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी को सम्बोधित मुख्य महाप्रबंधक उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के पत्रांक 5311/अप्रै–03/मा0 सांसद सदर्भ/2009–10 दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक स्थान पुलनाबड में स्थित राजकीय इण्टर कॉलेज, राजकीय एलोपैथिक तथा उपकेन्द्र किनसुर आदि सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों की पेयजल समस्या का स्थायी निवारण किए जाने की सम्भावना है ?

श्री प्रकाश पन्त—

वर्तमान में द्वारीखाल के ग्राम किनसुर पेयजल योजना से जलापूर्ति हो रही है। प्रश्न में उल्लिखित पत्र के अनुपालन में उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा निर्विवाद एवं बारहमासी जलापूर्ति हेतु स्रोत अन्वेषण किया जा रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम–300 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, दूसरी सूचना श्री करन मेहरा, तीसरी सूचना श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल तथा श्री किशोर उपाध्याय, चौथी सूचना श्रीमती अमृता रावत, पाँचवी सूचना श्री गगन सिंह रजवार, छठी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सातवी सूचना श्री पुष्पेश त्रिपाठी, आठवी सूचना श्री यशपाल बेनाम, नवीं सूचना श्री नारायण पाल तथा दसवीं श्री ओम गोपाल रावत की, कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से :–

1. श्री करन मेहरा
2. श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा श्री किशोर उपाध्याय
3. श्रीमती अमृता रावत
4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
5. श्री यशपाल बेनाम
6. श्री नारायण पाल तथा
7. श्री ओम गोपाल रावत की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

श्री तिलक राज बेहड़—

मान्यवर, नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना मेरी थी। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये। इसके बाद देख लेंगे।

जनपद अल्मोड़ा के कस्बा सोमेश्वर में स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बिजली कनेक्शन जोड़ने तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री करन मेहरा–

[मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के कस्बा सोमेश्वर में स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सिंचाई विभाग के इस गेस्ट हाउस में कक्षों का तो निर्माण किया गया है, किन्तु उनमें कक्षों के अनुरूप फर्नीचर आदि की व्यवस्था नहीं की गयी है। यहां तक कि बैठने के लिये एक कक्ष में कुर्सी भी उपलब्ध नहीं है, जो बैड तथा रजाई है, उनकी धुलाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बाथरूम का वाश बेसिन टूटा हुआ है और उसका मलबा बाथरूम में ही पड़ा हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गेस्ट हाउस में एक वर्ष से अधिक समय से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। गेस्ट हाउस में कर्मचारियों की व्यवस्था है। विभाग द्वारा कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और उनको नियमित रूप से वेतन अथवा पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन उन कर्मचारियों का उपयोग इस गेस्ट हाउस के लिये कितना हो पाता है, उक्त विवरण से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। जनता के धन का यह दुरूपयोग है। सार्वजनिक सम्पत्ति का जिस प्रयोजन के लिये निर्माण किया गया है और अस्तित्व में है, उसका उचित एवं निरन्तर उपयोग होना आवश्यक है। जब गेस्ट हाउस में बिजली, गीजर जैसी महत्वपूर्ण सुविधा नहीं है तो वहां पर कैसे जनप्रतिनिधि, अधिकारी अथवा अन्य द्वारा इसका उपयोग हो पायेगा।

उक्त तथ्यों के आलोक में, मैं तत्काल इस गेस्ट हाउस को उपयोग में लाने हेतु बिजली कनेक्शन जोड़ने तथा आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के धूमाकोट को पृथक जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

[मान्यवर, धूमाकोट जिला संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में नैनीडांडा, रिखणीखाल, बीरोखाल, थलीसैंण, पोखड़ा आदि विकास खण्डों को मिला कर धूमाकोट के रूप में नवीन जनपद सृजित किये जाने हेतु वहाँ के लोग आन्दोलनरत हैं तथा स्थिति कभी भी गम्भीर हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पृथक जनपद सृजन हेतु कार्यवाही की माँग करते हैं।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये

*वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि गत वर्ष, 2010 में राज्य में हुई भारी वर्षा, भूस्खलन से उत्पन्न दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त सरकारी और गैर सरकारी परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण अथवा प्रभावित अनेक परिवारों को आज तक भी समुचित आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है तथा क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मेरे द्वारा संस्तुत क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की घोर उपेक्षा कर दी गई है और इस प्रकार आर्थिक सहायता प्रदान करने/करवाने मे पूर्णतया पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। जिसके कारण राज्य के अधिकांश प्रभावित परिवारो मे भारी आक्रोश व्याप्त है। यही नहीं बल्कि राज्य के अनेक मोटर मार्ग, पैदल मार्ग, स्कूल भवन, पेयजल योजनाएं आज भी क्षतिग्रस्त स्थिति मे हैं और इस दैवीय आपदा ने हजारो परिवारो को खानाबदोश जीवन जीने के लिए विवश कर दिया है। ऐसे में विस्थापन एव पुनर्वास की नीति के अभाव में प्रभावित परिवारो के लिए न रहने को घर रहे है और न आजीविका के साधन।

राज्य मे जिन गाँवों का पुनर्वास किया जाना है उनके पुनर्वास हेतु अभी तक भूमि चिन्हित नहीं की जा सकी है। ऐसी शिथिलता एव उदासीनता के कारण इन गाँवो के शीघ्र पुनर्वास किए जाने की कोई सम्भावना दूर–दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रिंगवाडी, कमेडी, मथाणा, भैसौडा, सेडियाखाल, धैडगाँव आदि के पुनर्वास हेतु अभी तक की गई कार्यवाही के परिणाम सामने नही आ पाए हैं। ग्राम रिंगवाडी मे स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संचालन हेतु भवनों के नव निर्माण की दिशा मे कुछ भी प्रयास नही किया गया लगता है।

चूँकि यह प्रकरण सम्पूर्ण राज्य के जनमानस, राज्य की जनता, सरकारी तथा गैर सरकारी परिसम्पत्तियो से जुडा हुआ है, इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करवाई जाय और सरकार को निर्देशित किया जाय कि सरकारी एवं गैर सरकारी परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण हेतु तत्परता से ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की जाय और प्रभावित परिवारो एवं गाँवों के पुनर्वास हेतु विस्थापन एव पुनर्वास हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति शीघ्र घोषित की जाय।

प्रदेश में प्रशासनिक सुगमता के लिए छोटी छोटी इकाईयों (जिलों) के गठन के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना होने पर उत्तराखण्ड के जन–मानस को भरोसा था कि सरकार आवश्यक प्रशासनिक कार्यों हेतु छोटी–छोटी प्रशासनिक इकाईयो

---

* सदस्यों ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की स्थापना करेगी, नये–नये जिलों और तहसीलों का निर्माण होगा। अपने छोटे–छोटे कार्यों हेतु जनमानस को लम्बी यात्रा कर समय और धन व्यर्थ नहीं गवाना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में चार विधान सभाओं के केन्द्रीय स्थान पर रामगंगा जिले हेतु वर्षो से आन्दोलनरत जनता की मॉग को पूरा कर सरकार अल्मोडा से हटाकर एक नया रामगंगा जिले का उचित स्थान पर निर्माण करेगी। 11 वर्षों के उपरान्त भी नया जिला न बनने से जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है और पुनः आन्दोलनरत है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर मैं सरकार से 4 विधान सभाओं (रानीखेत, द्वाराहाट, भिक्यासैंण एवं सल्ट) के केन्द्र में रामगंगा जिला निर्माण की मांग करता हूँ।

जनपद पौडी के अन्तर्गत कोटद्वार उप चुनाव (2005) के कारण एल0टी0 अभ्यर्थी पेंशन लाभ से वंचित हो जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री यशपाल बेनाम–

[मान्यवर, आप अवगत है कि 20 अक्टूबर, 2004 को सं0 शिक्षा निदेशक कुमाऊँ मण्डल व 11 नवम्बर, 2004 को सं0 शिक्षा निदेशक गढवाल मण्डल द्वारा क्रमशः 900 एवं 1100 पदों पर (पेंशन पद की) विज्ञप्ति जारी की गयी। लगभग 09 महीनों तक उपरोक्त पदों पर आवेदन छटनी व मैरिट तैयार करने का कार्य चलता रहा। इस बीच 17 अगस्त, 2005 को कोटद्वार विधान सभा उप चुनाव की आचार संहिता जिले में लागू कर दी गयी। 27 अगस्त, 2005 को गढवाल व कुमाऊँ की संयुक्त निदेशकों की बैठक में ये तय किया गया कि जो अभ्यर्थी दोनों मण्डलों में चयनित किया गया, उसे गृह मण्डल में तैनाती दी जाये। कुमाऊँ मण्डल में मैरिट के तहत चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति का क्रम जारी रहा, इस बीच 06 सितम्बर, 2005 तक सूची तैयार कर 12 सितम्बर, 2005 को गढवाल मण्डल के चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की गयी किन्तु कोटद्वार विधान सभा उप चुनाव के परिणाम (03 अक्टूबर) तक इसे रोक दिया गया। 04 अक्टूबर, 2005 को पौडी जिले के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये गये, उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, किन्तु शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया जिसमें 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पेन्शन लाभ से वंचित रखा गया। जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। अतः सूचना देने का कष्ट करेंगे कि पौडी जिले के इन शिक्षकों को पेन्शन लाभ न दिये जाने का कारण क्या है ?]

प्रदेश में निवास कर रहे जाट सिक्खों को आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री नारायण पाल–

[मान्यवर, प्रदेश में रहने वाले जाट सिखों को आरक्षण का लाभ न मिलने से उनमें प्रदेश सरकार के प्रति घोर निराशा है क्योंकि पडोसी राज्य उत्तर प्रदेश में व अन्य

नोटः–[ ] से अंश पढे हुए माने गये

* सदस्यों ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तमाम प्रदेशों में जहाँ जट सिख समाज को ओ०बी०सी० की श्रेणी में रखकर उनके विकास के लिए तमाम विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है, वहीं उत्तराखण्ड में रहने वाले जट सिखो को ओ०बी०सी० का दर्जा नहीं मिल सका है। इस समाज को आरक्षण दिये जाने के प्रति शासन की मंशा स्पष्ट नही है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इन्हे आरक्षण का लाभ देने की सिफारिश की गयी है। मै इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में जल संस्थान के अधीन कार्यरत पी०टी०सी० कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधीन लगभग 27 सौ पी०टी०सी० कर्मचारी ₹ 1100 से 1350 के मानदेय पर काफी लम्बे समय से कार्यरत है। जिनको कि विभाग द्वारा वॉल्व खोलने व बन्द करने की जिम्मेदारी दी गयी थी किन्तु इनसे नियमित कर्मचारी के बराबर जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के रख–रखाव, टूट–फूट की मरम्मत, राजस्व वसूली, टैंक खोलना व बन्द करना आदि कार्य करवाये जा रहे है। जिस कारण जल संस्थान में कार्यरत पी०टी०सी० कर्मचारी रोजगार गारन्टी योजना का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 वर्ष से ऊपर कार्य कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन दिया जा चुका है। किन्तु अभी तक पी०टी०सी० कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जब तक पी०टी०सी० कर्मचारियों को नियमित नही किया जाता है तब तक इनका मानदेय ₹ 1350 से बढ़ाकर 5000 कर दिया जाय। विषय उल्लिखित कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ ही जनजीवन के पेयजल से जुड़ा होने के कारण लोकमहत्व का है। अतः अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ।

नियम 310 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री गोपाल सिंह राणा, श्री तिलक राज बेहड़ तथा डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल की है, जो जनपद ऊधमसिंह नगर के गूलरभोज क्षेत्र मे बसे हुए परिवारों तथा संस्थानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री यशपाल बेनाम जी की है, जो 50 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध मे है। तीसरी सूचना श्री दिनेश अग्रवाल, श्री करन मेहरा, डा० हरक सिंह रावत तथा श्री प्रीतम सिंह जी की है, जो शिक्षा मित्र, बी०टी०सी० प्रशिक्षु, बी०पी०एड०, बी०एड० प्रशिक्षित बेरोजगारो

से सम्बन्धित है। चौथी सूचना श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री राजेश जुवांठा तथा श्री मयूख महर जी की है, जो जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट, उत्तरकाशी की रवांई घाटी, टिहरी के प्रताप नगर व घनसाली को पृथक जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पाँचवी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन, शहजाद तथा श्री नारायण पाल जी की है, जो ऊधम सिंह नगर के हरिपुरा व बौर जलाशयों के बनने के कारण हुए विस्थापितों को मिली कृषि भूमि के भूमिधरी अधिकार दिये जाने तथा सितारगंज के बेंगुल, धौरा डामों की स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना माननीय काजी मो0 निजामुद्दीन, चौ0 यशवीर सिंह तथा श्री रणजीत रावत जी की है, जो काशीपुर स्थित अवंथी एनर्जी प्रा0लि0 को ऊर्जा नीति के अलावा उद्योग नीति के अन्तर्गत ऊर्जा इकाई लगाने में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में है। इनमें से मैं माननीय करन मेहरा जी से अनुरोध करूँगा कि आपकी सूचना को नियम–58 में सुन लेंगे। (व्यवधान)

*श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इससे गम्भीर कोई और मामला हो नहीं सकता।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ अपनी बात करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री गोपाल सिंह जी, श्री तिलक राज बेहड़ जी, और डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, आप अपनी सूचना को कल नियम–58 में दे दीजिएगा, तब इसे सुन लेंगे।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जिला प्रशासन ने 28 तारीख तय कर दी है। वहाँ पर 150 दुकानें हैं, ये पक्की दुकानें तोड़ दी जाएंगी। प्रशासन द्वारा 500 परिवार उजाड़े जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको कल नियम–58 में सुन लेंगे। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य एवं माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस नहीं जाते, उनकी किसी बात का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गूजरभोज का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से 28 तारीख की समय सीमा जिला प्रशासन ने निर्धारित की है। इससे पांच सौ किसान और एक हजार से अधिक आबादी प्रभावित होगी। इससे वहां पर बहुत तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप इसे प्राथमिकता देते हैं तो इसे आज नियम–58 में सुन लेते हैं और आपने जो सूचना दी है, उसे कल सुन लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, चूंकि सत्र बहुत कम दिन चल रहा है। ....

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 के अन्तर्गत इसे आज सुन लेते हैं और उसे कल सुन लेंगे।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पुनः अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम–58 में सुन लेंगे। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, जो भी कार्यवाही हो रही है, वह माननीय न्यायालय के आदेशों का समादर करने के लिये हो रही है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिये है, उसके आधार पर कार्यवाही हो रही है। सरकार ने पृथक से कोई कार्यवाही नहीं की है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब विषय माननीय न्यायालय के अधीन है, तो सरकार क्या कर सकती है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय न्यायालय ने हमें आदेश दिया है, हम उसका समादर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। यह विषय माननीय न्यायालय के अधीन है तो क्या कर सकते है। (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) माननीय रणजीत रावत जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते किसी बात का संज्ञान न लिया जाय।

(घोर व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) जब माननीय न्यायालय के अधीन है तो क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय न्यायालय के निर्देशों की समीक्षा इस सदन में की जा सकती है ? आप निर्देश दे दीजिए। आप इतने वरिष्ठ सदस्य है, माननीय न्यायालय का कोई निर्देश है, उसकी समीक्षा क्या हम कर सकते है श्रीमन्, ये उचित रहेगा क्या। सरकार केवल माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है श्रीमन्, केवल माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है सरकार श्रीमन्।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2009 10 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2009–10 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखता हूँ।

('वेल' में पूर्व से खड़े माननीय सदस्य अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत वर्ष 2009 10 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2009 10 सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा–8(3) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वर्ष 2009–10 का सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग नियम–58 में कल दे दें। माननीय सदस्यगण, कोई भी सूचना हो वह नियमों के अन्तर्गत तो आनी ही चाहिए। कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार किसानों को लगातार उजाड़ने का काम कर रही है। इस सरकार को किसानों का दुःख दर्द महसूस नहीं हो रहा है, इस सरकार के मंत्रीगण सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं। (व्यवधान) यह सरकार किसानों को उजाड़ने का काम कर रही है इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में वाक आउट कर रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया)

(बहुजन समाज पार्टी के 'वेल' में खड़े माननीय सदस्य 'वेल' में बैठ गये और अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) (घोर व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–7, मद संख्या–8 एवं मद संख्या–9 पर माननीय सभापति, आश्वासन समिति का नाम पुकारे जाने पर माननीय सभापति अपने स्थान पर उपस्थित नहीं थे)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस आ गये)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा भवन के निर्माण हेतु एक 05 सदस्यीय सर्वदलीय समिति गठित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तराखण्ड, राज्य विधान सभा भवन के निर्माण हेतु एक 05 सदस्यीय सर्वदलीय समिति गठित कर दी जाय तथा यह समिति 02 माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के सदस्यों के चयन का अधिकार माननीय अध्यक्ष जी को प्रदान किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, ऊधमसिंह नगर में काफी परिवारों को उजाड़ने की बात चल रही है। हमारे सदस्य 'वेल' में धरने पर बैठे हैं, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है। (घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

जब कोई विषय न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर यहाँ पर विचार नहीं किया जा सकता है। माननीय श्री शहजाद जी, आप विज्ञ हैं, विद्वान सदस्य हैं और अपने दल के नेता हैं, आप जानते हैं कि जब कोई विषय न्यायालय के विचाराधीन हो तो उस पर यह सदन विचार नहीं कर सकता। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में आ गये, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011

*परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, नियम–310 की एक सूचना हमारी भी थी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कल परीक्षण कर लेंगे, अगर परिधि में आया तो ले लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य एवं माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में अपनी बात को पूर्ववत् कहते रहे)

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

निर्णय ले लिया गया है, अस्वीकार हो गई है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

*कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

*शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, दूसरी सूचना श्रीमती अमृता रावत, तीसरी सूचना डा० हरक सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री दिनेश अग्रवाल चौथी सूचना श्री तिलक राज बेहड़ तथा पाँचवी सूचना श्री नारायण पाल की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से पहली सूचना श्रीमती अमृता रावत, दूसरी सूचना डा० हरक सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री दिनेश अग्रवाल, तथा श्री केदार सिंह रावत, तीसरी सूचना श्री तिलक राज बेहड़ तथा चौथी सूचना श्री नारायण पाल की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाए अस्वीकार हुई।

(कई माननीय सदस्यगणो द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण आप अवगत हैं कि एक दिन में पाँच सूचनायें ली जाती हैं, वे पाँच सूचनायें निर्धारित हो चुकी हैं। इसलिए कृपया स्थान ग्रहण करें और सूचनाओं को फिर देख लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय प्रेमानन्द महाजन जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 03.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि राज्य के राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत वर्षों से पटवारी चौकियाँ निर्मित है किन्तु इन चौकियों पर अभी तक पटवारी चौकियाँ स्थापित नहीं की जा सकी हैं। जिसके कारण ये चौकियाँ धीरे–धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं और असामाजिक तत्व इन चौकियों की तोड़–फोड़ कर दरवाजे, खिड़कियाँ आदि सामग्री चोरी करके ले जाते रहे हैं किन्तु राजस्व विभाग इन चौकियों को हस्तगत करने तथा इनमें पटवारी चौकियाँ स्थापित करने के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है जबकि इनमें अनेक चौकियों का निर्माण स्वयं राजस्व विभाग के द्वारा ही करवाया गया है और त्रुटियों का निस्तारण भी स्वयं राजस्व विभाग को ही करना है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य नेपाल तथा चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है और यदि इन चौकियों को तत्काल अधिग्रहण कर इनमें पटवारी चौकियाँ स्थापित नहीं की जाती हैं तो ये चौकियाँ आतंकवादियों तथा असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाएगी और फिर देश की रक्षा तथा राजकीय परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को रोककर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करवाई जाय और सरकार को निर्देशित किया जाए कि एक माह के अन्दर निर्मित सभी पटवारी चौकियों का अधिग्रहण कर उनमें पटवारी चौकियाँ स्थापित की जांय।

*राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या जी पटवारी चौकियों के बारे में कह रही है। हाँ, यह अवश्य है कि विलम्ब हुआ है क्योंकि प्रारम्भ में पटवारी चौकियों का निर्माण भारत सरकार की सहायता से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से किया गया था। मैं यह भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह वर्ष 2000 की बात है। वर्ष 2001 में राज्य सरकार ने इसका प्राक्कलन तैयार करके केन्द्र को दिया था। इस पर काफी विलम्ब हुआ। इस बीच चूँकि यह प्राक्कलन 4 साल बाद स्वीकृत हुआ जिससे उसका स्टीमेट बढ़ गया था। इस कारण राजस्व चौकियो के निर्माण की लागत बढ़ गई थी। जिस कारण भारत सरकार से बढ़ी हुई लागत पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। इस कारण राज्य सरकार द्वारा इस योजना को राज्य सैक्टर के अन्तर्गत रखा गया और धीरे-धीरे इन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया। माह फरवरी में पटवारी चौकियो के निर्माण करने के लिए समयबद्ध आधार पर पूर्ण करने और उन्हें विभाग को हस्तान्तरित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। वर्तमान में प्राप्त सूचना के अन्तर्गत मतलब आज तक स्वीकृत 1164 प्रभारी चौकियो में से 911 पटवारी चौकियो में कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। 180 चौकियॉ निर्माणाधीन हैं, और 77 चौकियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। चौकियो में कार्यालय संचालन हेतु समयबद्ध आधार पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वर्तमान में लगभग सभी चौकियो में प्रभारी कार्यालय संचालित किये जा रहे हैं।

श्रीमती अमृता रावत-

मानानीय अध्यक्ष जी, अगर माननीय मंत्री जी स्वयं जाकर इसका निरीक्षण करें तो पायेंगे पूरे उत्तराखण्ड की मैं स्थिति बता रही हूँ कि जहॉ-जहॉ पटवारी चौकियॉ पूरी बनी हुई है लेकिन उनका हस्तान्तरण न करने की वजह से वे खाली पड़ी हुई हैं और उसकी खिड़की, दरवाजे गॉव के लोग ले गये। मेरी विधान सभा क्षेत्र के जोगीमड़ी में जायेंगे तो चौकियॉ बनी हुई हैं लेकिन वह खाली पड़ी हुई है। अभी आपके देवप्रयाग क्षेत्र में पूरी चौकियॉ बनी हुई हैं लेकिन हस्तान्तरण न होने के कारण वे खाली पड़ी हुई है। कुछ ऐसी है जो तैयार हैं लेकिन हस्तान्तरण नहीं हुआ है। मान्यवर, आप इसको एक बार चेक करवा लें, जो ऐसे हैं, जो तैयार हैं, लेकिन हस्तान्तरण नहीं हुआ, तो उसका हस्तान्तरण नहीं हुआ, तो उसका हस्तान्तरण करवा दें।

श्री दिवाकर भट्ट-

मानानीय अध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है लेकिन फिर भी उसकी जॉच करा ली जायेगी, अगर ऐसा होगा तो देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य कर रहा हूँ।

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में सभी वर्गों के साथ ही साथ जो ढोल वादक वर्ग रहा है पूरे उत्तराखण्ड मे, वह किसी भी कार्य मे चाहे वह मरने से ले करके जीने तक का कार्य हो, उसमे आगे–आगे रहते है। कोई भी आन्दोलन हो विशेष रूप से उत्तराखण्ड के आन्दोलन मे जो ढोल वादक थे उन्हे विभिन्न क्षेत्रों में किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वह ढ़ुमरिया के नाम से, बाजगी के नाम से, उत्तराखण्ड के आन्दोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और प्रत्येक प्रदर्शन मे, उत्तराखण्ड के जुलूस में उन लोगो ने आगे–आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है।

श्री अध्यक्ष–

आप 13 तारीख की बात तो नहीं कर रहे है। (हंसी)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं प्रत्येक प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ढोल वादकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज वे स्वय को आहत और अपमानित महसूस कर रहे है क्योंकि उनको राज्य आन्दोलनकारियो के रूप में चिन्हित नही किया गया और उनको सम्मानित नहीं किया गया जिस तरह से अन्य उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे इस वर्ग के लोगों में और राज्य के उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियो में भारी आक्रोश व्याप्त है। उत्तराखण्ड में इस वर्ग को उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियो की भाँति आन्दोलनकारियो की श्रेणी में चिन्हित किया जाना चाहिए, सम्मानित किया जाना चाहिए, इसलिए सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, शिक्षा मित्र वाली सूचना को आपने नियम–58 में स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री केदार सिंह रावत जी द्वारा उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलन मे उत्तराखण्ड की संस्कृति के द्योतक ढोल वादक की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण के उद्देश्य से यह सूचना रखी गयी है और आपने विशेष तौर पर यह अनुरोध किया कि राज्य आन्दोलनकारी चिन्हीकरण इन सभी ढोल वादको का

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाए, तो इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 22 अक्टूबर, 2008 को हमारी सरकार ने एक शासनादेश निकाला और यह शासनादेश उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है और इसमें 5 प्रमुख आधार चिन्हीकरण के रखे गये हैं। यदि कोई आन्दोलनकारी जब उत्तराखण्ड राज्य का आन्दोलन चल रहा था उस समय, उसके सम्बन्ध में अगर लोकल एल0आई0यू0 की रिपोर्ट हो या पुलिस के अन्य अभिलेख डेली डायरी में अंश हो या प्रथम सूचना रिपोर्ट हो, जिस रूप में भी दर्ज हो।

मान्यवर, अगर आंदोलन के दौरान यदि उनको चोट लगी है, घायल हुए हैं तो चिकित्सालय सम्बन्धी रिपोर्ट और यदि इन चारों में से कोई नहीं है तो ऐसे कोई अन्य अभिलेख जिनके आधार पर जिलाधिकारी की पुष्टि के बाद सूचनाएँ हों तो इसके आधार पर, उनका चिन्हीकरण हो सकता है। मान्यवर, इसी के क्रम में जो 18 मार्च, 2010 को चिन्हीकरण के लिए एक जिलास्तरीय समिति गठित की गयी थी। जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा इस सबके लिए एक राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण और अनुमन्य सुविधाओं और समस्याओं के समाधान के लिए एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया। इस प्रकार से जो भी आंदोलनकारी आवेदन करते हैं तो उस आवेदन का निस्तारण उचित स्तर पर हो और उनको आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ऐसी मंशा राज्य की वर्तमान सरकार की है। मान्यवर, इसी के अनुरूप आंदोलनकारियों के प्रमाण पत्र निर्बाध रूप से बनाये गये और ऐसे आंदोलनकारी जिनका उत्पीड़न किसी न किसी दृष्टिकोण से हुआ हो आंदोलन के दौरान, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अनुमन्य की गयी है। इस प्रकार सरकार स्वयं सभी आंदोलनकारियों, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस राज्य के निर्माण के लिए दिया है, उनके प्रति प्रतिबद्ध है। अतः यह सूचना अग्राह्य करने योग्य है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री तिलक राज बेहड़-

माननीय अध्यक्ष जी, सिडकुल द्वारा पन्तनगर में मटकोटा मोड़ से दिनेशपुर गदरपुर मार्ग है। सरकार द्वारा, सिडकुल द्वारा 7 अगस्त, 2009 में इसकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मान्यवर, पौने दो वर्ष हो गये हैं। मान्यवर, अगर 1200 मीटर सड़क पौने दो वर्ष में नहीं बनी तो क्या कार्य होगा। इस सड़क को उखड़े हुए पौने दो वर्ष हो गये हैं, काम बन्द पड़ा हुआ है, पैमेंट रोक दिया गया है। आज वहाँ से आवागमन सारा का सारा बन्द पड़ा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। मान्यवर, इस कार्य को एक एम0डी0

सिडकुल का 7 अगस्त, 2009 को स्वीकृत करता है और दूसरा एम0डी0 आता है उस कार्य को बन्द करने का निर्देश देता है। कार्य बीच में अटका हुआ है। मान्यवर, जब 1200 किलोमीटर सड़क को सरकार पौने दो वर्ष में नहीं बना पायी है और वहाँ पर आम जनता को परेशानी हो रही है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है जो सरकार 1200 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकती है पौने दो वर्ष के अन्दर, इसलिए मान्यवर, मैं सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

परिवहन एवं औद्योगिक विकास मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, माननीय सदस्य तिलक राज बेहड़ जी ने बहुत तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन यह सब सत्य से परे है। इसमें सच्चाई दूर तक नहीं झलकती है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, इन्हें अलग से मंच उपलब्ध करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है तो उसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अगर माननीय सदस्य प्रश्न नहीं करते तो मैं खड़ा नहीं होता। अगर मेरे खड़े होने में माननीय सदस्य को मंच नजर आ रहा है तो मैं इसमें क्या करूँ। (हँसी) अपने आप 'वेल' में आकर नाच जाते हैं तो उसमें इनको कुछ नजर नहीं आता। (हँसी)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आप एक बार सड़क में भी नाचिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बात यह है कि यह फर्श के नीचे नाचते हैं और आप फर्श के ऊपर नाचते है मंच बनाकर। (हँसी)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इस प्रदेश में हैलीकॉप्टर का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, इसलिए सड़कों पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर यही माननीय मुख्यमंत्री पन्तनगर से जाते है दिनेशपुर तक, गूलर भोज तक, सड़क से तो शायद यह सड़क भी बन जाती और जो टूटी–फूटी सड़कें हैं वे भी बन जाती। मान्यवर, पर रोज तो हैलीकॉप्टर का प्रयोग हो रहा है, तो सड़कों की इनको क्या जरूरत है। (व्यवधान)

श्री नंदीधर गगत–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है यह औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर में मटकोटा मोड़ से दिनेशपुर–गदरपुर की तरफ को 1200 मीटर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है। यह 07 अगस्त, 2009 को स्वीकृत हुई थी। इस सड़क के बारे में पी0डब्ल्यू0डी0 की रिपोर्ट को देखें तो हमने इसमें ₹ 5 करोड़ दे दिया है और यह कुल मिलाकर 10 करोड़ 52 लाख लागत की सड़क है। माननीय सदस्य ने 1200 मीटर सड़क ही कहा, उसकी लागत नहीं बताई। हम ₹ 10 करोड़ की सड़क वहाँ पर बना रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 1200 मीटर सड़क ₹ 10 करोड़ में बना रहे हैं ? (व्यवधान)

*श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, किस रेट ऑफ एनालिसिस से ₹ 10 करोड़ में 1200 मीटर सड़क बना रहे हैं, यह सदन को बताया जाय। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, एक अधिकारी इस सड़क को मंजूर करता है और जब आधा काम हो जाता है तो दूसरा अधिकारी उसको रोकने का आदेश करता है। इससे सरकार की गम्भीरता का पता चलता है।

श्री नंदीधर गगत–

मान्यवर, यदि किसी ने इस बात का ठेका लिया हो कि मैंने यही बोलना है तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। अगर ये बताएं कि किस अधिकारी ने कैंसिल किया है, किस अधिकारी ने रोका है, तो मैं जवाब दूँगा। (व्यवधान) मान्यवर, विभाग मेरे पास है। जब मुझे जानकारी नहीं है तो आपको कहाँ से है ? अगर आपको जानकारी है तो मुझे बताएं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इनका रास्ता तो कालाढूँगी से है। इधर से तो है नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेहड़ जी, मंत्री जी का जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, किस रेट से 1200 मीटर सड़क ₹ 10 करोड़ में बना रहे हैं ? यह सड़क कितने लेन की बन रही है ? (व्यवधान)

श्री नशीधर गगता–

मान्यवर, इनको खुशी होनी चाहिए कि इनके आस–पास के क्षेत्र को हम बॉम्बे जैसा क्षेत्र बना रहे हैं। (व्यवधान) इसके दोनों तरफ ड्रेनेज की व्यवस्था है। यह 4 लेन की सड़क है। इतनी बड़ी सड़क हम बना रहे है। इनको धन्यवाद करना चाहिए था।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 1200 मीटर सड़क कितने साल में बनेगी, यह जानकारी तो जनता के सामने आ जाए।

श्री नशीधर गगता–

मान्यवर, आज की तारीख में पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा 55 प्रतिशत सड़क बना दी गयी है। इसमें हमने दिनांक 16–03–2010 को ₹ 3 करोड़ दिया है और दिनांक 07–03–2011 को ₹ 2 करोड़ 62 लाख दिया है। इसमें ₹ 62 लाख फायर स्टेशन और अन्य कार्यों के लिए दिया है। इस प्रकार ₹ 10 करोड़ में से हम ₹ 5 करोड़ दे चुके हैं। 55 प्रतिशत सड़क बन गयी है। जल्दी ही हम शेष कार्य को भी पूर्ण कर देंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जब 55 प्रतिशत पौने दो साल में बनेगी तो 45 प्रतिशत कितने साल में बनेगी, यह भी माननीय मंत्री जी बता दें। जब सरकार इतनी गम्भीर है, विकास के प्रति। (व्यवधान)

श्री नशीधर गगता–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी को यह जानकारी है कि जब स्वीकृति जारी होती है तो दसियों काम ऐसे पड़ते हैं, जिनमें एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती है बहुत से विभागों से। उसमें समय लगता है। अब यह काम शुरू हो गया है तो तीव्र गति से पूरा होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री तिलक राज बेहड़ तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन के जो मामले हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर जनपद में 20 हजार मामले स्वीकृत तो हो चुके है लेकिन शासन के द्वारा धन की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को इनका लाभ नहीं मिला है। जो सबसे निर्बल और असहाय लोग हैं, उनके लिए वर्ष 2007–08–09–10, पिछले 3–4 वर्षों में पैसा ही स्वीकृत नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जनपद का तो बहुत ज्यादा दौरा करते रहते हैं, उनको बहुत दिलचस्पी भी है और हमेशा छोटे–मोटे आयोजनों में चैक वगैरह भी बांटते हैं। (व्यवधान) लेकिन जो 20–22 हजार लोग है, उनको कोई लाभ नहीं मिला। (व्यवधान) साढ़े तीन हजार मामले तो सितारगंज के ही हैं। अभी चैक बाँटने का एक मामला रुद्रपुर में था।

माननीय मंत्री जी ने हमेशा की तरह घोषणा कर दी कि हम यह करेंगे और वह करेंगे। तो वहाँ पर एक अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक जब हमें पैसे की स्वीकृति ही नहीं मिली तो पैसा कहां से बाटेंगे। तो मंत्री जी बहुत ज्यादा बिगड़ गये, यह मामला भी शायद रुद्रपुर विधान सभा का ही है। मान्यवर, इस प्रकार से एक विवाद की स्थिति वहाँ पर हो गई, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चार साल में जो ऊधमसिंह नगर के 20–22 हजार असहाय लोग हैं, अगर उनके लिये पैसे की व्यवस्था नहीं होगी तो बिना मतलब के इस दिखावे का, आश्वासन का क्या फायदा। वहाँ पर गरीब लोग परेशान हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन 20–22 हजार लोगों के लिये कितने समय में व्यवस्था हो जायेगी ? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह सब गरीब लोग है और अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग हैं।

*समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन सिंह कुंजवाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जो पात्र व्यक्ति होगा, वृद्ध हो, विधवा हो या विकलांग हो, उनको पेंशन देने का सार्वभौमिक निर्णय लिया है। जो पात्रता में आते हो, बी0पी0एल0 हो (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन हम अब तक 2,71,187 को बाट चुके हैं, विधवा पेंशन 92,339 को दे चुके हैं और विकलांग पेंशन 45,448 को दे चुके हैं। जहाँ तक माननीय नारायण पाल जी ने ऊधमसिंह नगर की बात की है तो जनपद ऊधमसिंह नगर में हम 19,835 पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन बांट चुके है, 10,220 विधवा पेंशन दे चुके हैं और 4,758 को विकलांग पेंशन दे चुके हैं। इसी प्रकार से आपने नैनीताल जनपद की बात की, तो नैनीताल जनपद में 14,175 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दे चुके हैं, विधवा पेंशन 7813 दे चुके हैं और 3247 को विकलांग पेंशन बांट चुके है। अर्थात जो पात्र व्यक्ति थे, उनको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम पेंशन दे चुके है। मान लीजिये, कोई पात्र व्यक्ति हो या उसे पहले पेंशन मिली हो, तो ऐसे लोगों को हम 31 मार्च तक पेंशन बांट देंगे, यह मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। दूसरा बिन्दु मेरा यह है कि आपने कहा कि ऊधमसिंह नगर के सितारगंज मे वृद्धावस्था पेंशन के 3500 मामले हैं, विधवा पेंशन के 265 मामले और विकलांग पेंशन के 43 मामले बताये। मै आपको आश्वस्त करता हूँ कि नये वर्ष में हम इनको पेंशन वितरित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय सदस्य श्री नारायण पाल एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना था कि बजट नहीं है, यदि बजट नही होता तो हम इतनी पेंशन कैसे दे पाते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अब नियम–310 के अन्तर्गत श्री करन मेहरा, श्री प्रीतम सिंह, डा0 हरक सिंह रावत एवं श्री दिनेश अग्रवाल जी की सूचना को नियम–58 मे परिवर्तित कर सुन रहा हूँ।

श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने शिक्षा मित्रो से सम्बन्धित मेरी सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत सुना, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश मे हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। जहॉं लगभग 4 हजार शिक्षा मित्र आंदोलनरत हैं, अपने–अपने विद्यालयो को छोडकर वे राजधानी की सडको में पडे हुए है। दूसरी तरफ जो हमारे बी0टी0सी0 के प्रशिक्षु हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 हजार के आस–पास होगी, वो लोग आज अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं। अपनी जो उनकी प्राइवेट जॉब्स थीं या वो लोग जो काम करते थे, उसको छोडकर वे लोग प्रशिक्षण लेने के लिए बी0टी0सी0 में आये और आज वो लोग भी अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं, वो भी आंदोलनरत हैं। साथ मे बी0पी0एड0, बी0एड0 के जो बेरोजगार हैं, वे भी पिछले तीन वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमे जो सबसे चिन्ता का विषय है, जो हमारे शिक्षा मित्र है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 10–10 वर्षों से अध्यापन का कार्य विद्यालयो में कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और उनमें से कई लोग आज जो आयु सीमा है, उसको पार करने की स्थिति मे आ गये है और सरकार के माध्यम से उनसे लगातार ये कहा जा रहा है कि एन0सी0टी0ई0 के जो नियम हैं, टी0ई0टी0 का जो नियम आया है, उसकी वजह से आप

लोगों को नियुक्तियाँ नहीं दी जा सकती हैं। जबकि मेरी जानकारी में हाइकोर्ट नैनीताल में एक जजमेंट आया, जिसमें जज पन्त साहब ने कहा कि एक तो इसमें उमा देवी प्रकरण का उन्होंने हवाला दिया कि इसमें लोग विधिवत् चयनित होकर आये हैं। अतः इसमें वो नहीं लगेगा।

दूसरा, एक शिक्षा मित्र मिस्टर तिवारी ने विभाग से जो सूचना मांगी, उसमें भी ये उल्लिखित किया गया विभाग के एक सक्षम अधिकारी के द्वारा कि आपकी नियुक्ति में एन०सी०टी०ई० की कोई बाध्यता नहीं है, आप लोगों की नियुक्तियाँ की जा सकती हैं। सूचना के अधिकार में उनको सरकार के द्वारा दिया गया। दूसरी तरफ मान्यवर, जो हमारी बी०टी०सी० के प्रशिक्षु है, जब ये आये थे, जब इनकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, वर्ष, 2005 में जारी हुई, वर्ष 2006 तक इनके आवेदन लिये गये और ट्रेनिंग किसी कारणवश बहुत देर से शुरू हुई, लेकिन मान्यवर, जब 23 नवम्बर को एन०सी०टी०ई० का जी०ओ० आया, उससे पहले इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गयी थी। तो मेरा मानना यह है कि इतने लोगों के भविष्य को देखते हुए सरकार को कोई न कोई सार्थक निर्णय लेना चाहिए, इनके पक्ष में तरीका निकालकर सभी को नियुक्ति का रास्ता खोलना चाहिए। वहीं जो बी०पी०एड०, बी०एड० वाले हमारे प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, पिछले वर्ष भी विधान सभा सत्र के समय ये लोग आंदोलन में थे और तत्कालीन सरकार के उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके आश्वासन पर उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया था, परन्तु उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं लिये गये। मान्यवर, मंत्री जी टी०ई०टी० का हवाला देंगे, टीचर्स एलिजीबिलिटी टैस्ट इसमें भी पैरा–21ए की बात ये करेंगे, उसमें पैरा–3 में जिक्र है कि राज्य सरकार अगर उसके पास उपयुक्त व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति है, वो कम हैं तो राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से आवेदन कर सकती है कि कुछ रिलेक्सेशन दिया जाय जो पांच वर्ष तक अधिकतम होगा। क्या सरकार आवेदन करने जा रही है, या नहीं करने जा रही है ? जिन लोगों के प्रशिक्षण इस नियम के आने से पहले शुरू हो गये थे या जो लोग पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके पक्ष में सरकार कोई फैसला लेने जा रही है या नहीं जा रही है ? क्योंकि आज जहाँ 6 हजार के आस–पास हमारे नौजवान, नवयुवतियाँ अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं और सड़कों पर हैं, अपना काम छोड़कर यहां देहरादून में बैठे हुए हैं। उन सबकी चिन्ता को लेकर आज हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी है, जिससे हमारे जो नौनिहाल हैं, वे लोग भी बहुत परेशान हैं, अभिभावक भी बहुत परेशान हैं तो इस अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर आप से मैं सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे बी०टी०सी० प्रशिक्षु हों, चाहे डी०पी०एड०, बी०एड० और जितने भी हमारे बेरोजगार साथी है वह आज हाथों में

डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं और बहुत विकट स्थिति है। हमारे प्रदेश का नौजवान सड़कों पर दरदर भटकता फिरे और सरकार उसकी बात को कहीं पर सुनने को तैयार न हो। आज इतने दिनों से शिक्षा मित्र यहाँ पर बैठे है जिससे सारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठप्प हो गई है, इससे सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार जब उनको चाहती है पकड़ लेती है और वार्ता नहीं करती है और छोड़ देती है। सरकार का यह दायित्व है कि वह शिक्षा मित्रों से बात करे और उनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हो। जैसा कि माननीय सदस्य करन मेहरा जी ने कहा मैं उनकी बात को बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के बहुत जिम्मेदार लोगों ने पिछली बार बहुत से लोगो को धरने से उठाने का काम किया वह आज भी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदो पर है। क्या कारण है कि आज सरकार बहुत संवेदनहीन हो गई है। उसकी संवेदनशीलता खत्म हो गई है। यहाँ पर जो लोग धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम ये सारे संगठन कर रहे हैं, सरकार किसी बात से चिन्तित नहीं है, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड रहा है। सरकार यह समझ रही है कि यह तो विधान सभा सत्र है इसमें लोग आते हैं और अपनी बात कहते है। लेकिन मान्यवर, यह एक माध्यम है अपनी बात को कहने का, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का।

यह राज्य बना किस लिए था, यह राज्य इसलिए बना था कि राज्य का विकास हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार बिल्कुल आँखे बन्द करके बैठी हुई है यह उचित बात नहीं है। जिस तरह से माननीय करन मेहरा जी ने कहा कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाली शिक्षा का व्यवसायीकरण करके सरकार यह समझ रही है कि इसको एक व्यवसाय बना लो, जिस तरह से ट्रान्सफर पोस्टिंग आदि जितनी भी दूसरी चीजें हो रही है। मान्यवर, यह देखना पड़ेगा कि प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है वह ठीक रहे, शिक्षा के कामों में कोई गड़बड़ी न हो, क्योंकि यह हमारी बहुत बड़ी पूँजी है, हमारा जो राज्य है उसका स्तर भी ऊँचा हो और यह राज्य शिक्षा के क्षेत्र मे आगे बढ़े। उसके लिए आवश्यक है कि जो शिक्षा से सम्बन्धित लोग है उनकी बातों को सुना जाय। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि उनकी बातो पर अविलम्ब ध्यान देकर उनकी समस्या का समाधान करें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीमन्, मुझसे पूर्व सम्मानित सदस्य करन मेहरा जी ने और सम्मानित सदस्य दिनेश अग्रवाल जी ने इस विषय पर अपनी बात कही उससे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, वर्तमान समय में शिक्षा मित्र, बी०टी०सी० प्रशिक्षु, डी०पी०एड०, बी०एड०, विशिष्ट बी०टी०सी० एवं एल०टी० के तमाम नौजवान साथी

विधान सभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे पर्वतीय क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। शिक्षा मित्र अपनी मॉंगों को लेकर विधान सभा के बाहर शान्तिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों को रोजगार देने के बजाय यह सरकार लाठी चार्ज करने का काम कर रही है, इसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। दिनांक 16 मार्च को जब शिक्षा मित्र आन्दोलनरत् थे, लगभग तीन सौ शिक्षा मित्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल ले जा करके रात्रि 11.00 बजे, जिन शिक्षा मित्रों को गिरफ्तार किया गया था उनमें नौजवान साथी भी थे और हमारी मातायें बहिनें भी थीं। उनको रात 11.00 बजे गेट के बाहर लाकर कह दिया कि आपको हमने छोड़ दिया है और आप यहॉं से जा सकते है, तो सरकार कितनी संवेदनशील है इससे उनकी संवेदनशीलता का पता चलता है।

इससे पूर्व भी शिक्षा मित्र माननीय मुख्यमत्री जी से वार्ता करने गये, माननीय मुख्यमत्री जी ने किसी एक समिति के गठन की बात कही, उस समिति का गठन किस प्रकार का होगा, इसके बारे मे कोइं बात नहीं की गई, साथ ही साथ वह समिति कितने समय में निर्णय लेगी इसकी भी कोई बात माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर नहीं हुई। मान्यवर, जिसकी वजह से आज शिक्षा मित्र और अन्य जो हमारे नौजवान साथी है वे आदोलनरत है। श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। आज की तारीख में जो परीक्षायें चल रही हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि परीक्षायें किस प्रकार से आहूत की जा रही हैं। स्वयं विभागीय अधिकारी कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय ऐसे है, जहॉं शिक्षा मित्रों के सहारे परीक्षायें चल रही हैं। जो मेरी जानकारी है, जो परीक्षायें संचालित की जा रही है वह भोजनमाताओं के माध्यम से या अन्य माध्यमों से संचालित की जा रही है। तो मान्यवर, आज जो शिक्षा की स्थिति है वह निश्चित रूप से बहुत ही गम्भीर स्थिति है। आज हमारे नौजवान साथी चाहे वह शिक्षा मित्र हों, बी0टी0सी0 प्रशिक्षु हो या बी0पी0एड0 के हों वह विधान सभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सरकार से एक ही मॉंग कर रहे हैं कि जो बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार देने का काम सरकार करे, उनकी नियमितीकरण की बात सरकार करे। लेकिन सरकार उनकी नियमितीकरण की बात नहीं कर रही है बल्कि इसके उलट उनको गिरफ्तार कर रही है, उन पर लाठी चार्ज और पानी की बौछार डालने का काम सरकार कर रही है। यह सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। बहुत ही गम्भीर विषय है श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस अति लोकमहत्व के विषय पर आज सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मानतीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अति ज्वलंत और तात्कालिक मुद्दे पर नियम–58 के तहत उसकी ग्राह्यता पर आपने मुझे कहने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय करन मेहरा जी, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी ने, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी ने जिन बिन्दुओं का, जिन विचारों का और जिन जिज्ञासाओं का उल्लेख किया है उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि चाहे शिक्षा मित्रों पर लाठी चार्ज का मामला हो जैसा माननीय प्रीतम सिंह जी कह रहे थे यह हमारा दुर्भाग्य होगा इस प्रदेश का कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चाहे शिक्षा मित्र हों या नौजवान हो या प्रशिक्षित बेरोजगार हों वह अपनी बात को, जैसा कि माननीय दिनेश अग्रवाल जी कह रहे थे सभी को एक उम्मीदें होती हैं कि विधान सभा का जब सत्र चलेगा तो शायद छः माह तक जो सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना। अपनी बातो के लिए प्रदेश के कोने में वे धरना प्रदर्शन करते है। मीडिया के माध्यम से अपनी पीडा को अपनी समस्याओं को अपनी जिज्ञासा को उजागर करते हैं। समय–समय पर प्रदेश के मंत्रीगण और विधायकगण और अधिकारी दौरे पर जाते हैं, ये नौजवान शिक्षा मित्र हो, प्रशिक्षित बेरोजगार हों, ज्ञापनो के माध्यम से अपनी बात कहते है। लेकिन जब अनदेखी होती है, लगातार ज्ञापन देने के बाद भी, समस्यायें रखने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है, तो वे इस उम्मीद में कि विधान सभा का सत्र होगा, पूरे विधान सभा का ध्यान हम आकर्षित कर सकेंगे, अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वे इस आस में, इस उम्मीद में सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहते है कि शायद उनकी समस्याओं को सरकार सुनेगी और उसका समाधान होगा। लेकिन अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने वाले लोगों पर लाठी चार्ज किया जायेगा और जैसा कि माननीय प्रीतम सिंह जी कह रहे थे, हमने मीडिया मे और अखबारों में पढा उनको पहले मान्यवर, सिद्धोवाला जेल मे ले जाया गया और बाद में जेलर कहता है कि हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, उनकी स्थिति ऐसी हो गयी है आप कल्पना कर सकते हैं। हमारी बहू–बेटियां है, हमारी बहिनें हैं। अगर आप रात 11.00 बजे उनको किसी जंगल मे छोड देंगे। वहॉं से आने का कोई साधन नहीं है। अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाय, तो मैं सोचता हूँ कि यह सदन क्या, पूरा प्रदेश शर्मसार हो जायेगा। क्या यह सरकार इतनी संवेदनहीन हो गयी है। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी कहा था कि आप उनको बुलाते और बातचीत करते कोई न कोई रास्ता निकलता। माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया में सारे नियम–कानून बनाये गये हैं। ये सब नियम–कानून इस प्रदेश के नौजवानों के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, इस प्रदेश

की महिलाओं के लिए भी बने हैं। आपने इनको सारे नियम–कानून का हवाला दिया है। आपने इनको क्यों लगाया, क्या जरूरत थी ? माननीय अध्यक्ष जी, आप अगर किसी को रोजी–रोटी नहीं दे सकते हो, आप उनका शोषण भी नहीं कर सकते। जब यह शिक्षा मित्र की व्यवस्था शुरू की गयी इसकी क्या आवश्यकता पड़ गयी थी ? क्या आपको मालूम नहीं था कि जिस व्यवस्था की शुरूआत कर रहे हैं, कल यही व्यवस्था हमारे गले की हड्डी बनेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानता हूँ कि अगर इन शिक्षा मित्रों को उस समय लॉली–पॉप नहीं दिया होता और एक आशा की किरण उनके मन में नहीं जगी होती।

माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत बड़ा राजनीति अनुभव है, वर्ष 1989 से विधायक और मंत्री के रूप में आपका अनुभव रहा है। आज उनको भी लगता है कि हम संविदा, दैनिक वेतन के रूप में कार्य कर रहे हैं और आज शिक्षा मित्र के रूप में हमारी शुरूआत हो गयी है। हमारा प्रदेश है, देर–सबेर हमारी बात सुनी जायेगी और हमको नियमित सेवा करने का अवसर मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप अगर उनको रोजगार नहीं दे सकते थे और उनको आप नियमित नहीं कर सकते थे, तो आपको अधिकार नहीं है, उनके भविष्य को चौपट करने का काम सरकार न करे। मैं नहीं मानता हूँ कि अगर उनको शिक्षा मित्र के रूप में नौकरी नहीं दी जाती, तो ऐसा नहीं है कि वे रोजगार नहीं पा सकते। मान्यवर, अगर उनको शिक्षा मित्र के रूप में नौकरी नहीं दी जाती तो उनमें से कुछ लोग मेहनत करके अध्ययन करते और उनका रोजी रोटी का संकट होता और ये लोग अच्छा अध्ययन करके कुछ एस०डी०एम० बन जाते और कुछ आई०ए०एस० में निकलते और कुछ दूसरी सेवाओं में जाते। लेकिन आपने लॉली–पॉप थमाकर शिक्षा मित्रों के रूप में, उनको इस प्रदेश के बच्चों की सेवा करने का अवसर दिया। वे इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल हमारा दिन जरूर आयेगा और सरकार हमारी जरूर सुनेगी और सदन हमारी बात जरूर सुनेगी। मान्यवर, जब सुनने का समय आया तो उन पर लाठी चार्ज कर दें, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मान्यवर, प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए, इसी सदन में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में माननीय खण्डूड़ी जी रहे हों, चाहे 'निशंक' जी हों, शिक्षा मंत्री के रूप में मदन कौशिक जी हों, या गोविन्द सिंह बिष्ट जी हों, हमेशा इस सदन के अन्दर आश्वासन दिया गया कि जल्दी विशिष्ट बी०टी०सी० प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। आप नहीं कर सकते थे तो सदन में आश्वासन नहीं देना चाहिए था। आज आप कहते हैं कि यह व्यवस्था ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इन नौजवानों के भविष्य को देखते हुए, सरकार को आपका विनिश्चय आना चाहिए। आपका संरक्षण चाहिए इन नौजवानों को, इन प्रशिक्षित बेरोजगारों को आपका संरक्षण चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर गम्भीर हो और इसका समाधान निकले, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय 'वेल' में आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, सहयोग करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, श्री किशोर उपाध्याय जी की पीड़ा के साथ हम सब लोग हैं। चूँकि (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय किशोर उपाध्याय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि टिहरी के साथ सरकार द्वारा जो सौतेला व्यवहार का आपके मन में जो दर्द या वेदना है वहाँ के लोगों के विकास की वेदना आपके मन में है। मैं सोचता हूँ कि केवल आपके मन में नहीं है और केवल टिहरी के विकास की बात नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के हमारे सभी विधायकों के मन में है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं तो इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सायं 7.00 बजे माननीय सदस्य को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। आप उस वार्ता के लिए नहीं आए और आज सीधे आ करके सदन में आकर बैठ गए। श्रीमन्, यह नितान्त आपत्तिजनक है। माननीय अध्यक्ष जी, उसकी प्रति मैं आपको दे देता हूँ। (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में व्यवस्था हेतु शिक्षा मित्र योजना वर्ष 2001 से विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत संचालित की गयी। राज्य में शिक्षा मित्र के पूरे 5 हजार 413 पद स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष 4 हजार 18 शिक्षा मित्र वर्तमान में कार्यरत हैं। शिक्षा मित्र ग्राम पंचायत के अधीन हैं, वहीं इनको चयन करने का अधिकार है। वर्तमान में ₹ 10 हजार प्रति माह इनको मानदेय दिया जा रहा है। शासनादेश संख्या–323 दिनांक 01–03–2009 को इन्हें दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कराने का निर्णय किया गया और यह निर्णय किया गया कि प्रति वर्ष हम 1300 लोगों को ट्रेनिंग कराते रहेंगे और इन तीन वर्षों में इनको बी0टी0सी0 कराकर पूरा व्यापक बना देंगे और इस वर्ष पूरे 1300 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मान्यवर, बच्चों की योग्यता और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा अध्यापकों की योग्यता निर्धारित करने और अधिकृत संस्था जो नोडल एजेन्सी है उसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा

परिषद द्वारा एन०सी०टी०ई० के अनुसार सहायक अध्यापक की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता और शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त नियुक्ति से पूर्व अध्यापक पात्रता परीक्षा को भी उत्तीर्ण करना आवश्यक कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने अभी इसको लागू किया। मान्यवर, शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण की मांग पर विचार हेतु उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव, कार्मिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें सचिव शिक्षा, अपर सचिव, वित्त और निदेशक शिक्षा इन लोगों को सदस्य बनाया गया है और उनसे कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में इसके लिए क्या-क्या व्यवस्था की गयी है उसका भी अध्ययन करें और समिति उमा देवी प्रकरण का भी अध्ययन करेगी और टी०ई०टी० में कैसे क्या-क्या किया जा सकता है उसका भी अध्ययन करेगी। उसके बाद निर्णय करेगी। निर्णय करने के बाद कमेटी अपनी आख्या देगी उसके बाद ही इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी। मान्यवर, मैं एक अच्छा समाचार बताना चाहता हूँ कि हमारी उनसे वार्ता हुई है और अभी उनकी हड़ताल समाप्त हो गयी है। वे हड़ताल वापस ले रहे हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं सदन में बोल रहा हूँ इसलिए [***] नहीं बोल रहा हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल-

मान्यवर, क्या आप सदन के बाहर [***] बोलते हैं। (हँसी) (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

मान्यवर, मैं आपसे कम [***] बोलता हूँ, मैं इसकी गरिमा रखता हूँ।

श्री करन मेहरा-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप [***] बोल रहे है, मैं [***] नहीं बोलता, तो यह [***] असंसदीय शब्द है, इसे वापस लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

इस [***] शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री करन मेहरा जी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि सूचना के अधिकार पर हमारे किसी सक्षम अधिकारी द्वारा यह दिया गया कि टी०ई०टी० लागू

नोट:-[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नही किया, टी०ई०टी० इन पर लागू नहीं होगा, लेकिन मै आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यह सूचना वर्ष 2009 की है और जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा जो अधिनियम लागू किया गया, यह 23 अगस्त, 2010 का है, पर वर्ष 2009 में लागू नही हुआ यह सूचना सत्य है और यह अधिनियम लागू हुआ वर्ष 2010 में और इससे पहले की सूचना का वैसे भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मान्यवर, इसके पश्चात् यह कहना है कि यह टी०ई०टी० उत्तरांचल सरकार ने नहीं की इसके लिए हमने बार–बार आग्रह किया है और पहली बार आग्रह किया 2 नवम्बर, 2010 को सचिव, शिक्षा ने चेयरमैन एन०सी०टी०ई० को आग्रह किया, उसके पश्चात् 14 जनवरी, 2011 को शिक्षा सचिव ने आग्रह किया, उसके बाद 1 मार्च, 2011 को स्वयं मैंने आग्रह किया और मैंने स्वयं उनसे टेलीफोन पर वार्ता की कि केन्द्र की सरकार इस अधिनियम में इस उत्तराखण्ड की परिस्थितियों को देखते हुए छूट दे, लेकिन खेद का विषय है कि आज तक छूट नही मिली। दूसरा, टी०ई०टी० मे छूट देने की बात की जाती है, राज्य सरकार इसको परिवर्तन कर सकती है, आपके जो पुराने अधिनियम है, यह केन्द्र सरकार द्वारा भेजा गया परिपत्र है। मान्यवर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमेन रिसोर्सेज डेवलपमेण्ट डिपार्टमेण्ट ऑफ एजुकेशन एण्ड लिट्रेचिका 9 नवम्बर, 2010 का पत्र है, जिसमें लिखा है कि दि कन्डीशन ऑफ पासिंग टी०ई०टी० विल नॉट बी रिलैक्शेसन बाई सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट, केन्द्र सरकार कोई भी छूट किसी भी राज्य को नहीं देगी और पूरे भारत वर्ष में आज भी केन्द्र सरकार ने किसी को छूट नही दी है।

मैं तीसरी बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कहा जाता है कि इनसे वार्ता की, पहले चरण में मेरे से वार्ता हुई, दूसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, तीसरे चरण मे सचिव, शिक्षा से वार्ता हुई, चौथे चरण में निदेशक, विद्यालयी शिक्षा से वार्ता हुई और स्वयं मेरे साथ आज को मिलाकर 3 चरण की वार्ता हुई और एक चरण की वार्ता जिसमें शासन के अधिकारी, कुछ माननीय विधायक भी थे और माननीय श्री यशपाल बेनाम जी थे और इन सब के साथ तय हुआ कि स्ट्राईक वापस करेंगे और सरकार ने उनकी मांगे मान ली है और आज से वापस जाये। हमने कहा कि कमेटी बनाई है उसकी आख्या आयेगी उसके आधार पर नियमितीकरण करेंगे। मान्यवर, जहाँ तक विशिष्ट बी०टी०सी० का प्रश्न है तो विशिष्ट बी०टी०सी० के वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयो मे अध्यापक के 2720 पद रिक्त हैं और 2012 तक सेवानिवृत्त होने की स्थिति में पदो की संख्या 3073 हो जायेगी, इसके सापेक्ष वर्तमान में 1263 बी०टी०सी० ट्रेनिंग ले रहे है और 1278 जो स्नातक शिक्षा मित्र हैं वे ट्रेनिंग ले रहे है और इसके अतिरिक्त 382 पत्राचार बी०टी०सी० का भी निर्णय किया कि एकल विद्यालयों में भेजेंगे। वहाँ मान्यवर, उनके पद रहेंगे। इस प्रकार इन सब पदों के सापेक्ष 70 प्रतिशत यानि कि 1832 पदो

पर, जो लगभग 2000 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमने प्रारम्भ कर दी और इसकी अधिसूचना भी हमने अखबारों के माध्यम से और विभाग के माध्यम से टी0ई0टी0 की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है। यानि कि विशिष्ट बी0टी0सी0 की प्रक्रिया हमने प्रारम्भ कर दी है और इसी के अगेंस्ट में बताना चाहता हूँ कि हमने 1404 लेक्चरर की परीक्षाए लेकर, उनको सलेक्ट कराकर, उनको नियुक्ति देना प्रारम्भ कर दिया है। मान्यवर, इसी प्रकार 1900 एल0टी0 की हमने परीक्षाएं ले ली है और शीघ्र ही उनको नियुक्ति दे रहे है। 2000 लगभग विशिष्ट बी0टी0सी0 की हमने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। 1221 जो विशेष अध्यापक होने है, उनकी हमने प्रक्रिया प्रारम्भ करा दी है और मै सोचता हूँ कि इन दो वर्षों मे हमने 6525 लोगों को रोजगार दिया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त एल0टी0 की बात आती है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा विशिष्ट स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली, 2006 में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार वर्ष 2011 में सहायक अध्यापक एल0टी0 के 2609 पदों के सापेक्ष 70 प्रतिशत 1832 पदो पर नियुक्ति हेतु हमने दिनांक 30–01–2011 को लिखित परीक्षा कर दी है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त 538 जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव पिछड़ा वर्ग के पद हैं उनको बैक लॉग से भरने की प्रक्रिया हमने प्रारम्भ कर दी है। इसमें चयन की कार्यवाही गतिमान है और इसमें शासनादेश संख्या 107 दिनांक 01–11–2010 के द्वारा और उम्र भी 35 से 40 कर दी है। मान्यवर, जो टी0ई0टी0 का प्रकरण है इस मामले मे हमने तीन पत्र भेजे और मैंने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री से भी बात की है। मेरा सदस्यो से आग्रह है कि राज्य सरकार ने भी आग्रह किया है और बाकी सभी माननीय सदस्य भी केन्द्र सरकार से आग्रह करें कि इसमे छूट दें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार लगातार नौजवानों की उपेक्षा कर रही है, लोग लगातार धरने पर बैठे हुए है। (व्यवधान)

(माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में आने पर माननीय किशोर उपाध्याय जी वेल में बैठे रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मै इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये एवं माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री राजेश जुवॉठा एवं श्री मयूख सिंह 'वेल' में आकर बैठ गये। माननीय सदस्य बलवीर सिंह नेगी 'वेल' में बैठकर बैनर दिखा रहे थे)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय यशपाल आर्य जी से अनुरोध है कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री मयूख सिंह तथा श्री राजेश जुवॉठा 'वेल' में बैठ कर अपनी बात कहते रहे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 2011 12 के आय व्ययक का प्रस्तुतीकरण

(माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2011–12 का बजट भाषण पढ़ना प्रारम्भ किया गया)

*मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन..................

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में आ गये। माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी अपने स्थान पर खड़े थे)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा 'वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बजट भाषण पढ़ते रहे)

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पृष्ठ–8 के अन्तिम पैरा से पहले "देश के इतिहास में उत्तराखण्ड ने ही छठे वेतनमान की सिफारिशों को लागू करके कीर्तिमान स्थापित किया है। यह सरकार कर्मचारियों की हितैषी सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार है, व्यापारियों की, हर वर्ग की हितैषी सरकारी है।" बोला गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पृष्ठ–9 के प्रथम पैरा के बाद "मान्यवर, यदि पीछे से देखा जाय तो 4 गुना अधिक कर्मचारियों के हित में इस सरकार ने काम किया है" बोला गया।

पृष्ठ–9 के अन्त में "श्रीमन्, यह भी एक ऐतिहासिक पहल है। मैं कहना चाहता हूँ कि गत वर्ष हमने आम जन की सुविधा में आटा, मैदा, सूजी से पूरी तरह कर को समाप्त किया। यह दूसरा ऐसा कदम है, जो ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है।" बोला गया।

पृष्ठ–10 के द्वितीय बिन्दु के प्रारम्भ में "श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ पूर्व में महिलाओं को 20 लाख की अचल सम्पत्ति पर 25 प्रतिशत की छूट स्टाम्प शुल्क में दी गयी थी, वहीं" बोला गया।

पृष्ठ–10 के द्वितीय बिन्दु के अन्त में "श्रीमन्, महिलाओं और विकलांगों की दिशा में इस सरकार ने बहुत अहम काम किया है। अचल सम्पत्ति के क्रय–विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी की दर अब 6 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी। यह भी हमारी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है।" बोला गया।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा पत्रादि फाड़कर उछाले गये)

(घोर व्यवधान के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण जारी रहा)

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण के पृष्ठ–11 के प्रथम बिन्दु के बाद "श्रीमन्, महिलाओं और बालिकाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि यही सरकार है, जिसने महिलाओं के लिये ऐतिहासिक कार्य किया है।" बोला गया।

पृष्ठ संख्या–15 के प्रथम बिन्दु के बाद "मान्यवर, देहरादून में मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 30 करोड़ की लागत से एक चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी तथा देहरादून में एक नये राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह भी हमारा ऐतिहासिक निर्णय है कि पहले श्रीनगर, फिर अल्मोड़ा और अब देहरादून में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा।" तथा चौथे बिन्दु के बाद "श्रीमन्, यह देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसमें जल, थल और नभ, तीनों ही जगहों पर एम्बुलेंस होगी, यह पूरे देश और दुनिया में अभिनव होगा।" बोला गया।

पृष्ठ संख्या–16 के प्रथम बिन्दु के बाद " माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं जानते है कि देहरादून की चकराता रोड, जिसके लिये 50 सालों से कोशिश हो रही थी, यह हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि इसका चौड़ीकरण का कार्य भी शुरू करा दिया गया है। तथा दूसरे बिन्दु के बाद "मान्यवर, प्रदेश में शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, वहीं खाना भी फ्री होगा। ₹ 100 में पूरे परिवार के लिये खाद्यान्न उपलब्ध होगा। यह तो लोकप्रिय योजनायें हैं, मैं तो अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि इन्हें सुन तो लें। उनको भी इससे खुशी होगी। जो भी वह चार पांच वर्षों में नहीं कर पाये, उसको अब पूरा होता देख वह भी आनन्दित होंगे।" बोला गया।

पृष्ठ संख्या–31 के प्रथम बिन्दु के पंक्ति संख्या–3 में ओवरब्रिज के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि "बनाया जायेगा, जो 50 साल में नहीं कर सके वह हमने 4 साल में करके दिखाया है।" बिन्दु संख्या–2 के अन्त में यह कहा गया कि "हम गली–गली को ठीक करेंगे। हर गाँव को जोड़ेंगे और हर शहर को हम जोड़ेंगे।"

पृष्ठ संख्या–32 के प्रथम बिन्दु के शुरू में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि "मैं आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2003 में उत्तराखण्ड को औद्योगिक पैकेज दिया जो 2013 तक होता, लेकिन केन्द्र सरकार ने उसे काटकर 2010 कर दिया। मान्यवर, हो–हल्ला मचाने की जरूरत है तो दिल्ली में मचाने की जरूरत है, यहाँ पर हो–हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। देश के इतिहास में यह पहला अवसर है, शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार ने औद्योगिक पैकेज दिया हो और दूसरी सरकार उसको छीन लेती हो। इससे बड़ी दुःखद स्थिति और क्या हो सकती है। उसके बाद भी हम औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो विशेष पैकेज घोषित किया था उसके अन्तर्गत राज्य में 2500 औद्योगिक इकाईयाँ अस्तित्व में आई और उन्होंने ₹ 26500 करोड़ का निवेश किया। श्रीमन्, यदि केन्द्र की सरकार हम से हमारा औद्योगिक पैकेज नहीं छीनती तो ₹ 56000 करोड़ का निवेश होता और दो लाख नौजवानों को नौकरी मिलती। यह जवाब तो देना पड़ेगा किसी न किसी को, आखिर उत्तराखण्ड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों।"

पृष्ठ संख्या–34 के बिन्दु संख्या–1 के शुरू में कहा गया कि "श्रीमन् यह सरकार वह है जो इस राज्य के विकास को करेगी, यह सरकार इच्छा शक्ति और ताकत के साथ विकास करेगी। यह हो–हल्ला मचाने वाली सरकार नहीं है। इसलिए यदि कोई काम करेगा तो श्रीमन्, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने राज्य को नोच–नोच कर खाया है उनके हाथों में यहाँ की जनता कभी अवसर देने वाली नहीं है।"

पृष्ठ संख्या–39 बिन्दु संख्या–14 सैनिक कल्याण के प्रथम बिन्दु के शुरू में कहा गया कि "श्रीमन्, सैनिक कल्याण की दिशा में यह देश की पहली सरकार है जिसने सैनिकों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।" इसी पृष्ठ के बिन्दु संख्या–2 के अन्त में कई गुना वृद्धि कर दी गई है के बाद यह कहा गया कि "श्रीमन्, चाहे परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो या शौर्य चक्र हो इसकी धनराशि एक लाख पच्चीस हजार से बढ़ा कर ₹ 25 लाख कर दी गयी है।"

पृष्ठ संख्या–41 के प्रथम बिन्दु के पूर्व ''महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम पंक्ति में श्रीमन्, महिलाओं के कल्याण की दिशा में और बाल कल्याण की दिशा में सरकार ने बहुत अहम कदम उठाया है। श्रीमन्, उत्तराखण्ड में महिलाओं के ₹ 1851 करोड का जेन्डर बजट रखा गया है। श्रीमन्, मैं सोचता हूँ कि यह गत वर्ष से करीब ₹ 400 करोड अधिक है।'' बोला गया।

पृष्ठ संख्या–42 के तीसरे बिन्दु के अन्त में ''जिस दिन कोई बालिका जिस परिवार में जन्म लेगी उसी दिन उसके नाम पर ₹ 7500 की एफ0डी0 कर दी जायेगी। जब वह 18 वर्ष की होगी श्रीमन्, तो उसके हाथ में ₹ एक लाख से डेढ लाख तक आयेगा ताकि वह किसी पर भार न बन सके।'' बोला गया।

(वेल में खडे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

बजट भाषण के पृष्ठ संख्या–94 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ'' के बाद निम्नलिखित जोडा गया -

''और श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार विजन 2020 को पूरा करेगी श्रीमन्, और इस राज्य के हर गाँव, हर घर तक जायेगी, गाँव–गाँव का विकास करेगी। श्रीमन्, हम विजन 2020 में इस राज्य को आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं श्रीमन्, उन लोगों को जिन्होंने इस प्रदेश को बुरी तरह से प्रताडित किया है श्रीमन्, हम उनके चंगुल से हटाना चाहते हैं इसलिए ये जो बजट है, गत वर्ष की अपेक्षा बहुत संतुलित, बहुत प्रगतिशील है। यह बजट सडक, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा हर क्षेत्र में और आगे बढाया है श्रीमन्।''

मा0 अध्यक्ष महोदय,

[सम्मानित सदन के सम्मुख, मैं आपकी अनुमति से राज्य स्थापना के बाद 10वाँ बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि राज्य स्थापना का प्रथम बजट प्रस्तुत करने का अवसर भी मुझे ही प्राप्त हुआ था।

मैंने जब वर्ष 2001–02 में पहला बजट प्रस्तुत किया था, उससे पूर्व राज्य की आर्थिक विकास दर 2.9 प्रतिशत थी, आज 11.30 प्रतिशत होकर हम देश के शीर्ष विकासशील राज्यों में शुमार हो गये हैं। यही नहीं, हिमालयी राज्यों में भी हमने अपना प्रमुख स्थान बनाया है। यह हमारी निश्चित बडी उपलब्धि है। आज हमारी आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर से भी आगे निकल गयी है।

इस दौरान प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग ₹ 15 हजार से बढ़कर ₹ 56,794 हो गयी है। यह भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। राज्य गठन के समय उत्तराखण्ड की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2000–2001 में ₹ 2,733 करोड़ थी, वह अब वर्ष 2011–12 में लगभग ₹ 14,635 करोड़ अनुमानित है। उस समय उत्तराखण्ड में औद्योगिक निवेश जहाँ मात्र ₹ 5 हजार 500 करोड़ था, वह आज ₹ 30 हजार करोड़ से अधिक पहुँच गया है।

अतः मैं दावे से कहता हूँ कि इन दस वर्षों में राज्य ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, राज्य की 10 वर्षीय शानदार उपलब्धियों एवं भविष्य की कामनाओं के मध्य गुजरते अनायास ही अपनी एक कविता मेरे मन–मस्तिष्क में बाहर आने को आतुर होती है,

दैदीप्य धरा का कोना–कोना
जीवन पुष्प खिलायेगा,
धरती का कण–कण जीवन दे
अमृत रस बरसायेगा,
तोड़ कुहासों की कारा को, जीवन दीप जलायेगा।
मेरा स्वर्णिम स्वप्न दिवस तो, सूर्य धरा पर लायेगा।

महोदय, अंधेरे को मिटाने के लिए विकास और विचार के सूर्य को धरा पर लाने के संकल्प में हमने एक ओर विश्व के सबसे बड़े आयोजन कुम्भ–2010 का सफल आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक देशों के लगभग साढ़े आठ करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया, वहीं दक्षिण एशिया के प्रथम शीतकालीन खेलों को भी हमने उत्तराखण्ड की धरती पर सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है, जो पूरे दक्षिण एशिया में पहली बार हुआ है। देश का यह पहला राज्य है जिसने सभी भाषाओं की जननी देववाणी संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा का सम्मान प्रदान किया है। हमारा राज्य पानी और जवानी का धनी है। मुझे खुशी है कि हम इसका बेहतर समन्वय करने में कामयाब हुए है। योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में सम्पूर्ण पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य को देश में प्रथम स्थान का गौरव प्राप्त हुआ है। उत्तराखण्ड शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ हम स्कूली शिक्षा के लिए विख्यात थे, अब राज्य में लगभग 14 विश्वविद्यालय स्थापित होकर, हम उच्च शिक्षा में भी तेजी से आगे बढ़े हैं।

इस दिशा में हमने स्नातक तक शिक्षा को नि:शुल्क किया है, तो मात्र ₹ 15 हजार वार्षिक फीस पर हम एम0बी0बी0एस0 की डिग्री भी प्रदान कर रहे है। इसी क्रम में राज्य के शीर्ष मेरिट प्राप्त निर्धन छात्र/छात्राओं को इंजीनियरिंग भी नि:शुल्क करायी जायेगी। यह देश में पहली बार होगा।

ग्राम सुराज की ओर अग्रसर होते हुए हमने न्याय पंचायत स्तर पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से अटल मिनी सचिवालय की स्थापना की है। 'अटल आदर्श ग्राम योजना' सुराज की इसी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर है। पतित पावनी गंगा की स्वच्छता को समर्पित 'स्पर्श गंगा अभियान' हमारी सरकार की एक अभिनव योजना है, जिससे लाखों युवकों का जुड़ाव हुआ है। जीवनदायिनी 108 सेवा ने हजारों लोगों की जिन्दगी बचाकर विश्व स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तराखण्ड में 108 सेवा अब एक दौड़ती गाड़ी नहीं है, वरन् वह उत्तराखण्ड की जीवनदायिनी बन गयी है।

हमने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 1 हजार 700 औद्योगिक इकाइयाँ अस्तित्व में आयी हैं और लगभग 200 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है। साथ ही 6 हजार स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष तथा कई अन्य को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। यह राज्य फार्मा उद्योग का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है, जबकि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में यह देश का ही नहीं, अपितु दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। बड़े उद्योग समूह की सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के तहत हमने सुदूरवर्ती पिछड़े इलाकों के निर्धन मेधावी बच्चों को 'आशीर्वाद योजना' से जोड़ा है, जिसमें अत्यन्त निर्धन छात्र–छात्राएं जो हाईस्कूल, इण्टर के बाद आगे पढ़ नहीं पाते, उन्हें चयन कर राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग भी नि:शुल्क करायी जा रही है। इस योजना में अभी तक 3 हजार बच्चे चयनित हो चुके हैं।

शीतकालीन पर्यटन से हमारे चारों धाम यथा– बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थान क्रमश: जोशीमठ, ऊखीमठ, मुखबा एवं खरसाली तथा टिहरी झील को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उभारने के हमारे प्रयास आरम्भ हुए है। अपने सम्पूर्ण चिन्तन को आम आदमी के हितों से जोड़ते हुए इस भारी महंगाई से निजात दिलाने के लिए 'अटल खाद्यान्न योजना' को लागू करके मेरी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि इस देवभूमि में कोई व्यक्ति भूखे पेट न सोये।

महोदय, सरकार ने इन चार सालों में जनता से जो भी वायदे किए उनको पूर्णता तक पहुँचाने के लिए एक ईमानदार कोशिश के साथ हम आगे बढ़े हैं। राज्य स्तर पर इन चार सालों में 965 घोषणाओं में से 815 घोषणाएं (85 प्रतिशत) पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष पूर्णता की ओर गतिमान हैं।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराने में हर्ष हो रहा है कि राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर कार्मिकों के एरियर सहित बढ़े हुए वेतन का भुगतान यथासमय किया है। कुशल वित्तीय प्रबन्धन से हमने जहाँ आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्वक सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में इंगित लक्ष्यों को भी हासिल किया है।

वार्षिक योजना :

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, तथापि वर्ष 2011–12 हेतु आयोजनागत पक्ष में ₹ 6564.28 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्ष 2010–11 के मूल आय–व्ययक अनुमान से ₹ 1446.91 करोड़ एवं पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 882.65 करोड़ अधिक है। यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2011–12 का आय–व्ययक विज़न–2020 को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है, ताकि उत्तराखण्ड 2020 तक देश का आदर्श राज्य बन सके।

मान्यवर,

इस बजट में वर्ष 2010–11 के मूल एवं पुनरीक्षित बजट के सापेक्ष क्रमशः लगभग 25.34 एवं 14.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, साथ ही जनहित की नई एवं विशिष्ट योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

यहाँ मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि यह सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए सदैव संवेदनशील है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तराखण्ड नवोदित राज्य होते हुए भी देश का दूसरा ऐसा राज्य है, जिसने अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए छठा वेतन आयोग लागू किया है। इस तरह लगभग ₹ 2500 करोड़ के अतिरिक्त व्ययभार की व्यवस्था सरकार द्वारा कुशलतापूर्वक की गयी, जो ऐतिहासिक है।

जहाँ वर्ष 2007–08 में वेतन एवं पेंशन मद में मात्र ₹ 3095.20 करोड़, वर्ष 2008–09 में ₹ 4178.16 करोड़, वर्ष 2009–10 में ₹ 6115.86 करोड़ तथा वर्ष 2010–11 में ₹ 6419.48 करोड़, का व्यय हुआ, वहीं वर्ष 2011–12 में इन मदों में ₹ 7085.20 का व्यय अनुमानित है।

मान्यवर, इस अवसर पर मैं कुछ प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा.-

- आगामी वर्ष में कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा।
- ₹ 50 लाख तक बिक्री वाले गैर वातानुकूलित रेस्टोरेन्ट्स को रोड साइड के ढाबों की भाँति 13.5 प्रतिशत वैट के बजाय मात्र 4 प्रतिशत ही लिया जायेगा।
- 01-01-2005 से 27-04-2010 तक टैक्स्टाइल वेस्ट का व्यापार करने वाले करदाताओं की 8.5 प्रतिशत की अतिरिक्त कर देयता को कतिपय शर्तों के अधीन माफ किया जायेगा।
- कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हस्त-निर्मित कपड़ा धोने के साबुन को वैट से पूर्णतया कर मुक्त किया जायेगा।
- सिनेमा के टिकटों पर वर्तमान करदर को 25 से 50 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।
- विकलांग-जनों को विशेष राहत देते हुए अचल सम्पत्ति के क्रय पर ₹ 5 लाख तक मूल्य की सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- स्टाम्प ड्यूटी के अपवंचन को रोकने एवं जन सामान्य को सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से राज्य के चार जनपदों यथा-हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में ई-स्टाम्पिंग की सुविधा आरम्भ की जायेगी।
- विद्यालयी शिक्षा जैसे बड़े विभाग के प्रभावी समन्वयन के लिए महानिदेशक कार्यालय की स्थापना की जाएगी।
- प्रारम्भिक शिक्षा पर समुचित ध्यान केन्द्रित करने हेतु बेसिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय गठन किया जायेगा।
- राज्य के पिछड़े विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जायेंगे।
- उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। अतः सभी भाषाओं की जननी कही जाने वाली संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कर निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद् तथा उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् की इण्टर परीक्षा में 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप दिया जायेगा।
- राज्य स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- प्रदेश के सभी महाविद्यालयों को एडुसैट की सुविधा से जोड़ा जायेगा।

- राज्य के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं की इस भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु राज्य में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जायेगी।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।
- पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दृष्टि से विकास खण्ड स्तर पर आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
- राजकीय हाईस्कूल तथा इण्टर कॉलेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
- विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जायेगा।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं की खेलों में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- राज्य के छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी।
- रोगियों के परिजनों के ठहरने हेतु दिल्ली में की गई व्यवस्था की भाँति राज्य के शीर्ष चिकित्सालयों के निकट रैनबसेरों की व्यवस्था की जायेगी।
- जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तहसील एवं जिला मुख्यालयों में गुणवत्ता जाँच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।
- राज्य के दूरस्थ एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों को सोलर लालटेन उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही अटल आदर्श ग्रामों में पथ प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइटें लगायी जायेगी।
- राज्य में 'हिमालयन सांस्कृति केन्द्र' तथा 'हिमालयन संग्रहालय' की स्थापना की जायेगी। साथ ही भारतीय संस्कृति की प्राचीन परम्पराओं एवं धरोहरों को प्रदर्शित करने के लिए 'भारत दर्शन केन्द्र' की स्थापना की जायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, ताकि आम जनता को अच्छी चिकित्सकीय सुविधायें सुलभ हो सकें।

- आयुर्वेद की जन्मस्थली उत्तराखण्ड राज्य में 'अन्तर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान' की स्थापना की जाएगी तथा आयुष महानिदेशालय स्थापित किया जायेगा।
- देहरादून में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है। नर्सिंग शिक्षा का विस्तार करने हेतु जनपद टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
- राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। अतः चिकित्सा शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देने हेतु चिकित्सा महानिदेशालय के अन्तर्गत पृथक चिकित्सा शिक्षा इकाई का गठन किया जायेगा।
- राज्य में रक्त संचरण सम्बन्धी कार्यकलापों को गति देने के लिए राज्य रक्त संचरण परिषद् का गठन किया जायेगा।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा की अपार लोकप्रियता, उपादेयता, सफलता तथा इसके द्वारा स्थापित कीर्तिमान के दृष्टिगत इसका विस्तार किया जायेगा।
- राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशीलता को देखते हुए दुर्गम क्षेत्र में आपातकालीन परिस्थितियों में हवाई एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा रहा है।
- आयुर्वेद को सशक्त करने की दृष्टि से आयुर्वेद विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण किया जायेगा।
- विगत 50 वर्षों से चिर–प्रतीक्षित देहरादून स्थित चकराता रोड को चौड़ा किया जायेगा तथा शहर की प्रमुख सड़कों एवं चौराहों का भी चौड़ीकरण किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा पेट न सोये, यह सुनिश्चित करने हेतु 'अटल आदर्श खाद्यान्न योजना' आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत उन्हें सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की सुविधा सुनिश्चित करने की दृष्टि से खाद्यान्न भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जा रही है।
- खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जायेगा।
- जनता को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड परिवहन निगम को नई बसें क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

- राजकीय सेवा में रोजगार के लिए पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण में क्रीमीलेयर की सीमा को बढ़ाया गया है।
- राजकीय सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ–साथ पारिवारिक दायित्वों के सफल सम्पादन हेतु महिला कार्मिकों को बच्चों की देख–रेख के लिए सेवाकाल में दो वर्ष के सवेतन अवकाश की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- मृतक राजकीय कर्मचारियों की अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन लाभ दिया जायेगा।
- प्रशासनिक सुदृढ़ता तथा विकास को गति देने के लिए अटल आदर्श गाँवों में 'अटल मिनी सचिवालय' की स्थापना की जा रही है।
- कृषि एवं औद्यानिकी उपज बढ़ाने के लिए 'भरसार में औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय' की स्थापना की जाएगी। निजी नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहयोग दिया जायेगा।
- फास्फोटिक उर्वरक क्रय करने हेतु रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना की जायेगी।

मान्यवर, अब विभागवार बजट प्रस्तावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है:–

राजकोषीय सेवाएं:–

- सीमित संसाधनों के बावजूद, न केवल नया कर नहीं लगाया जा रहा है, वरन् कतिपय मामलों में छूट भी दी जा रही है। इसके बावजूद राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।
- प्रदेश में ई0 चालान की व्यवस्था सहित साइबर ट्रेजरी की स्थापना की जायेगी।
- राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण तथा मनोरंजन कर, आबकारी एवं परिवहन प्रमुख हैं। इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में इन क्षेत्रों में कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा। यह आम जनता को बड़ी राहत देने की दृष्टि से हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

1–वाणिज्य कर :

- सरकार ने वाणिज्य कर संग्रह में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान में सभी पंजीकृत रेस्तरांओं पर 13.5 प्रतिशत कर देयता है। ₹ 50 लाख से कम वार्षिक बिक्री वाले गैर वातानुकूलित छोटे रेस्तराओं के लिए अब 13.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की कर देयता होगी।

- टैक्सटाइल वेस्ट का व्यापार करने वाले करदाताओं की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए इस ट्रेड के ऐसे करदाता जिन्होंने 04 प्रतिशत की दर से ही कर वसूल किया है, पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से 27 अप्रैल, 2010 की अवधि से सम्बन्धित 8.5 प्रतिशत की अतिरिक्त कर देयता को कतिपय शर्तों के अधीन माफ किया जायेगा।
- छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हस्तनिर्मित कपड़ा धोने वाले साबुन को 'वैट' से पूर्णतया करमुक्त किया जायेगा।

वाणिज्य कर विभाग राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। करों में वृद्धि न करने तथा कई वस्तुओं में छूट दिये जाने के बावजूद वर्ष 2011–12 में ₹ 3187.60 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है, जबकि व्यय पक्ष में ₹ 83.61 करोड़ का अनुमान है।

2–स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण प्रमुख स्रोत है। विकलांग–जनों को राहत देने की दृष्टि से अचल सम्पत्ति की खरीद फरोख्त पर ₹ 5 लाख मूल्य तक की सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने एवं जन सामान्य को सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से राज्य में ई–स्टाम्पिंग की सुविधा प्रथम चरण में चार जनपदों में आरम्भ की जाएगी।

वर्ष 2011–12 में उक्त छूटों के बावजूद इस मद में ₹ 483.65 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है जबकि व्यय पक्ष में ₹ 24.08 करोड़ का अनुमान है।

3–आबकारी :

- मूल्य वर्धित कर के साथ ही आबकारी राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में है। प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का एक बड़ा भाग उद्योगों के माध्यम से जनोपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। मदिरा, भांग आदि मादक पदार्थों के प्रयोग पर पर्याप्त विनियमन एवं नियंत्रण सहित प्रवर्तन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- सरकार ने मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करने एवं नए उद्यमियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश पाने के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु लाटरी के माध्यम से फुटकर दुकानों की व्यवस्थापन का आबकारी नीति में प्राविधान किया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में गत वर्ष 2010–11 के सापेक्ष आबकारी विभाग में ₹ 40.74 करोड़ वृद्धि सहित राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य ₹ 727.67 करोड़ निर्धारित किया गया है, जबकि व्यय पक्ष हेतु ₹ 9.80 करोड़ का प्राविधान है।

4–मनोरंजन कर :

- जनसामान्य को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से मनोरंजन कर में भारी छूट दी जा रही है, जिसके अन्तर्गत सिनेमा की कर दरों में 25 से 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

5–परिवहन :

- राज्य में सड़क मार्ग ही परिवहन का प्रमुख माध्यम है। सरकार परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु प्रयत्नशील है। रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य के अन्दर बहनों को परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्गों पर सुरक्षित यात्रा हेतु देहरादून में 'चालक प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित हो चुका है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रशिक्षार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। सरकार हल्द्वानी में भी शीघ्र 'चालक प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। सरकार एक तरफ परिवहन हेतु अवस्थापना सुविधाए विकसित कर रही है वहीं विभिन्न सुधार कार्यक्रमों एवं विनियमन तथा प्रवर्तन के माध्यम से जनता को उचित परिवहन सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयासरत है। कम्प्यूटरीकृत पंजीयन, परमिट फिटनेस तथा चालक लाईसेन्स निर्गत करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं।
- मुजफ्फरनगर–रुड़की रेल लाइन हेतु राज्य सरकार 50 प्रतिशत वित्त पोषण कर रही है, जिस पर अब तक ₹ 80 करोड़ का भुगतान रेलवे को किया जा चुका है तथा वर्ष 2011–12 में भी ₹ 40 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। सड़क यात्राओं को सुरक्षित किये जाने हेतु आटोमेटेड टेस्टिंग लेन तथा सिमुलेटरों की स्थापना की जायेगी। हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे की स्थापना की जाएगी। सितारगंज, गदरपुर, हरबर्टपुर, बागेश्वर, किच्छा आदि में बस अड्डों का निर्माण तथा श्रीनगर, रामनगर, काशीपुर, रुद्रपुर, टनकपुर, रुद्रप्रयाग, लोहाघाट, अल्मोड़ा, काठगोदाम एवं रुड़की में लोक–निजी–सहभागिता (पी०पी०पी०) से बस टर्मिनल विकसित किये जायेंगे। राज्य के दो बड़े शहरों, देहरादून एवं हल्द्वानी में नगर यातायात को जनता के लिए सुलभ एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से मोबिलिटी प्लान तैयार किया जायेगा।

वर्ष 2011–12 में परिवहन सम्बन्धी क्रियाकलापो हेतु ₹ 160.25 करोड़ का प्राविधान है।

6–नागरिक उड्डयन :

- राज्य मे त्वरित आवागमन एवं पर्यटन गतिविधियो को बढ़ावा देने के लिए विमानन सेवाओं का विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे से दिल्ली–देहरादून–दिल्ली उड़ाने नियमित रूप से संचालित हो रही है। पन्तनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के फलस्वरूप यहाँ से भी नियमित उड़ाने की जानी प्रस्तावित हैं। 'हैली टूरिज्म' को गति देने के लिए देहरादून मे सहस्त्रधारा बाईपास रोड पर सम्पूर्ण सुविधाओं युक्त हैंगर एवं हैलीपैड बनाया गया है। जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे मे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैंगर का निर्माण कराया जाएगा। नैनीसैनी (पिथौरागढ़) हवाई पट्टी अभी 20 सीटर विमानों के योग्य है। इस हवाई पट्टी का विस्तारीकरण किया जा रहा है। गौचर तथा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियो को हैलीकॉप्टर सर्विस हब के रूप मे विकसित किया जा रहा है।

नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 15.17 करोड़ का प्राविधान है।

7–ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

- राज्य ऊर्जा प्रदेश के रूप में उभर रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनता को मांग के अनुरूप वहन–योग्य दरों में बिजली उपलब्ध करायी जाय। राज्य सरकार ने गैस आधारित विद्युत उत्पादन के लिए भी ध्यान केन्द्रित किया है। इसमें निजी क्षेत्र तथा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विद्युत गृह लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में नीति प्रख्यापित की जा चुकी है। विद्युत उत्पादन मे वृद्धि एवं मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्धता के साथ–साथ पारेषण एवं वितरण तन्त्र के सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं उच्चीकरण सहित वितरण मे सुधार किया जा रहा है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति, बिजली चोरी पर नियंत्रण, विद्युत हानि को न्यूनतम मान्य–स्तर पर लाने तथा विद्युत की शत–प्रतिशत मीटरिंग हेतु सरकार संकल्परत है। राज्य मे ऊर्जा संरक्षण सहित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के समुचित उपयोग हेतु भी सरकार प्रयासरत है। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा अन्य उपयोगों हेतु वैकल्पिक ऊर्जा आधारित योजनाओं को भी जोड़ा जा रहा है।
- वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से ग्राम सभा स्तर पर एक किलोवाट क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए ₹ 300 करोड़ का निवेश

किया जायेगा। राज्य में दूरस्थ एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे गाँव के एक लाख परिवारों को अनुदान पर सोलर लालटेन दी जायेगी।

- प्रदेश के सभी 670 अटल आदर्श गाँवों में पथ प्रकाश हेतु 13 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी। जन सहभागिता से 100 किलोवाट क्षमता तक की 300 परियोजनाओं का निर्माण ग्राम पंचायतों तथा समितियों के माध्यम से कराया जायेगा।

वर्ष 2011–12 में ऊर्जा के क्षेत्र में ₹ 519.82 करोड़ तथा वैकल्पिक ऊर्जा हेतु ₹ 6.74 करोड़ का प्राविधान है।

8–सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

- विजन 2020 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की बेहतर तकनीकि के साथ अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित करने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, भू–जल सरक्षण एवं नियोजित दोहन हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बाढ़–सुरक्षा एवं नदियों से भूमि–कटाव रोकने के कारगर उपाय किये जा रहे हैं।

- पानी की कम उपलब्धता की स्थिति में सिंचाई हेतु ड्रिप/माइक्रोस्प्रिंकलर योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

- सिंचाई योजनाओं को बहुउद्देशीय बनाते हुए इनको बिजली, मत्स्य पालन, पेयजल व पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। जमरानी बांध तथा सौंग बांध परियोजना पर कार्य युद्धस्तर पर किया जायेगा, ताकि राज्य को शीघ्र इसका लाभ मिल सके।

- राज्य में सिंचाई विभाग के विश्राम गृहों को हम पर्यटकों के उपयोगार्थ भी तैयार कर रहे हैं।

वर्ष 2011–12 में सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा हेतु लगभग ₹ 571.48 करोड़ तथा लघु सिंचाई कार्यों हेतु ₹ 267.15 करोड़ का प्राविधान है।

9–पेयजल :

- प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए बी0पी0एल0 परिवारों के लिए पर्वतीय क्षेत्र हेतु राज्यांश में ₹ 800 तथा मैदानी क्षेत्र हेतु ₹ 500 की अतिरिक्त वृद्धि की गई है।

- पेयजल गुणवत्ता की जाँच हेतु जिला एवं तहसील मुख्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी।

- जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना तथा एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक से वित्त पोषित योजना द्वारा भी नगरीय क्षेत्रों में पेयजल तथा जलोत्सारण सम्बन्धी अवस्थापना कार्य किये जा रहे हैं।

वर्ष 2011–12 में पेयजल, जलोत्सारण तथा स्वच्छता कार्यों हेतु कुल ₹ 521.97 करोड़ का प्राविधान है।

10–सड़क तथा सेतु :

- हर गांव तथा सड़क राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल सड़कों की लम्बाई 10 हजार कि0मी0 थी, जो अब बढ़कर लगभग 32 हजार कि0मी0 हो गई है। इसी प्रकार राज्य गठन के समय सेतुओं की संख्या 625 थी, वह बढ़कर आज 1465 हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 526 कि0मी0 से बढ़कर 2100 कि0मी0 हो गई है। हम अधिक से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ने में सफल रहे हैं। राज्य सृजन के समय 9155 ग्राम मोटर मार्ग से जुड़े थे, आज 11 हजार के करीब गाव मोटर मार्ग से जोड़े जा चुके है। विजन 2020 के अन्तर्गत हम राज्य के सभी गांवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने को कटिबद्ध हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 'अटल आदर्श' ग्राम के अन्तर्गत चिन्हित 670 अटल आदर्श ग्रामों में से 584 को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। शेष अटल आदर्श गांवों को भी आगामी वर्ष में सड़क मार्ग से जोड़ा जायेगा।
- देहरादून के प्रवेश द्वारों पर यातायात को सुगम बनाने हेतु मोहकमपुर में रेलवे क्रासिंग पर लगभग 80 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज तथा डाटकाली मन्दिर के समीप लगभग ₹ 38 करोड़ की लागत से एक अतिरिक्त सुरंग बनाई जायेगी।
- एशियाई विकास बैंक के सहयोग से फेज–3 के अन्तर्गत 1700 किलोमीटर सड़कों का सुधार कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिस पर लगभग ₹ 1500 करोड़ का व्यय होगा।
- राज्य सेक्टर तथा जिला सेक्टर के अन्तर्गत लगभग ₹ 584 करोड़ व्यय किया जायेगा।
- राजकीय राजमार्गों पर भी कार्य किया जायेगा।
- भविष्य में 14 रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने की योजना है।

लोक निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 1139.40 करोड़ का प्राविधान है जो कुल अनुमानित व्यय का 5.88 प्रतिशत है।

11–औद्योगिक विकास :

- राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार सतत् प्रयत्नशील है। इसी का परिणाम है कि आज निवेश के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी एवं उभरते हुए राज्य के रूप में पहचान मिली है।
- मैं सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि राज्य गठन के समय जहां 5 हजार 500 करोड़ ही औद्योगिक निवेश था वह आज 30 हजार करोड़ से अधिक पहुंच गया है तथा इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा समय से पूर्व औद्योगिक पैकेज वापस लिये जाने के बावजूद यह प्रगति प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को उद्घाटित करती है।
- प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु 'हिमाद्रि' ब्रांड को लोकप्रिय किया जा रहा है। स्थानीय शिल्पों के प्रतीक चिन्हों को देश एवं दुनिया में पहचान दिलायी जायेगी।
- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजना का सफल संचालन किया जा रहा है| विजन 2020 के अन्तर्गत हमने राज्य में उत्पादित स्थानीय उत्पादों को लाभकारी उद्यमों से जोड़ते हुए उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाई है| यही नहीं हम पर्यावरण सम्मत उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं।
- वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत राज्य में लगभग 2500 औद्योगिक इकाईयाँ अस्तित्व में आयी हैं, जिनमें 26 हजार 500 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है।
- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कुल 1 हजार 750 औद्योगिक इकाइयाँ अस्तित्व में आयी हैं, जिनमें लगभग 200 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 6 हजार स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष तथा कई हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है।
- उत्तराखण्ड खादी बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष में 'मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना' के अन्तर्गत 2000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्राविधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सभी 13 जिलों में 15 क्लस्टर विकसित किए जायेंगे।

वर्ष 2011–12 में उद्योग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु ₹ 54.06 करोड़ का प्राविधान है।

12—शहरी विकास एवं आवास :

- उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 26 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में निवास कर रही है। राज्य निर्माण के बाद प्रमुख शहरों की आबादी बहुत तीव्र गति से बढी है। अतः वर्तमान में बडे शहरों पर दबाव को कम करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रो मे स्थित छोटे नगरो का सुदृढ़ीकरण एवं विकास तथा बडे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं के विस्तार की ओर हम बढ रहे है। शहरी क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छीकरण की दिशा में आगे बढते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में सुव्यवस्थित कूडा निस्तारण व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है।
- जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत 734 करोड के कार्य शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। विजन 2020 के अन्तर्गत राज्य के शहरो को मलिन बस्ती विहीन बनाने, सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के साथ—साथ उनके सौन्दर्यीकरण और देहरादून को 'ग्रीन सिटी' के रूप मे विकसित करने की योजना है। इसके अलावा नगरो में आधारभूत नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ—साथ शहरी निर्धन परिवारों को सस्ते एवं आसान किश्तो पर आवासीय भवन उपलब्ध कराये जायेंगे। मलिन बस्तियों के 20 हजार से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा। नगरीय क्षेत्रो में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में पार्किंग सुविधा विकसित करने हेतु प0 दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग योजना प्रारम्भ की गई है।
- विगत 50 वर्षों से चिर—प्रतीक्षित देहरादून स्थित चकराता रोड को चौडा किया जायेगा तथा शहर की प्रमुख सडकों एवं चौराहो का भी चौडीकरण किया जायेगा।

वर्ष 2011—12 में शहरी विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए ₹ 310.06 करोड की व्यवस्था है।

13—समाज कल्याण :

- सरकार देश के संविधान की आत्मा के अनुरूप अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, निराश्रित एवं निःशक्तजनों के कल्याण के लिए सतत् प्रयासरत है। इन सभी वर्गों के उत्थान के लिए सरकार शिक्षा प्रशिक्षण कौशल वृद्धि, पेंशन, अनुदान के माध्यम से बहु—आयामी सुविधायें उपलब्ध करा रही है। इन वर्गों के युवाओ को प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी के लिए निजी कोचिंग केन्द्रो

के माध्यम से कोचिंग दी जा रही है। गरीब आवासहीन परिवारों के लिए 'अटल आवास निर्माण योजना' संचालित है। देहरादून में 'एकलव्य आदर्श आवासीय' विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

- गौरा देवी कन्या धन योजनान्तर्गत इस वर्ष जहाँ 12 हजार 181 छात्राओं को लाभान्वित करते हुए ₹ 20 करोड़ 42 लाख प्रदान किए गए, वहीं आगामी वर्ष मे 14 हजार 400 छात्राओं के लिए 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जहाँ सरकार निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों हेतु अनुदान दे रही है वहीं वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु आश्रम तथा भिक्षुक गृहों की व्यवस्था की गयी है।
- राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। वर्ष 2010–11 में अब तक लगभग 4 लाख 20 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी है, वहीं आगामी वर्ष में लगभग 7 लाख 57 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। जहाँ 2010–11 मे अब तक लगभग 1 लाख 52 हजार छात्रवृत्ति प्रदान की गयी, वहीं आगामी वर्ष में 2 लाख 16 हजार छात्रवृत्तियाँ दिए जाने का लक्ष्य है।
- हज हाऊस का निर्माण, हज समिति को अनुदान, मुस्लिम एजुकेशन मिशन, अरबी–फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण व मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेन्ट योजनाओं आदि हेतु वर्ष 2011–12 में लगभग ₹ 27.25 करोड़ धनराशि का प्राविधान है।

समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2011–12 में लगभग ₹ 512.83 करोड़ का प्राविधान है।

14–सैनिक कल्याण :

- उत्तराखण्ड सैनिक बहुल प्रदेश है। मुझे इस बात का फख्र है कि उत्तराखण्ड के प्रत्येक परिवार से औसतन एक व्यक्ति सेना मे अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं तथा परिवारजनों के प्रति अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। हम प्रशिक्षित एवं अनुशासित जनशक्ति का उपयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे हैं। शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं युद्ध में अपंग सेवामुक्त सैनिकों को देय आवासीय सहायता राशि ₹ 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है।

- वीरता पुरस्कारों की धनराशि में कई गुना वृद्धि कर दी गयी है।
- उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को योग्यतानुसार सेवायोजित किया जा रहा है।
- प्रदेश में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय तथा सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में 'टोल-फ्री टेलीफोन' की व्यवस्था की गयी है।
- जय जवान आवास योजना के तहत आवासीय भवनों हेतु देहरादून में 16.42 एकड़, कोटद्वार में 5 एकड़ व हल्द्वानी में 3 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। पूर्व सैनिकों को ईको टास्क फोर्स से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उनके अनुभवों का लाभ राज्य को मिलने के साथ उन्हें सम्मानजनक रोजगार से भी जोड़ा जा सके।
- पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा समूह 'ग' एवं 'घ' की सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। विगत चार वर्षों में 9 हजार 500 पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

सैनिक कल्याण हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 29.07 करोड़ की व्यवस्था है।

15-महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

- उत्तराखण्ड राज्य में जेन्डर बजट की अवधारणा को साकार किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में आई०सी०डी०एस० का सार्वभौमिकीकरण किया गया है। राज्य में जल्दी ही 'बाल संरक्षण आयोग' का गठन किया जायेगा। जीवन कौशल, वोकेशनल शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के माध्यम से किशोरी बालाओं के समन्वित विकास को सुनिश्चित करने हेतु 'सबला योजना' चार जनपदों क्रमशः हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी एवं नैनीताल में संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष की दो लाख किशोरियाँ चिन्हित की गई हैं।
- 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए 'टेक होम राशन' की व्यवस्था की गई है।
- महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य मिशन प्राधिकरण' का गठन किया गया है। पोषण कार्ययोजना के अनुश्रवण हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य पोषण परिषद्' तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समन्वय समिति गठित है। महिला स्वयं सहायता

समूहों को स्वावलम्बी बनाने तथा उत्तराखण्ड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने के लिए उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के अन्तर्गत 'आदियोग योजना' प्रारम्भ की गई है।

- जिला कार्यक्रम अधिकारियों को 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी' एवं 'दहेज प्रतिषेध अधिकारी' नामित किया गया है।
- लैंगिक विषमता दूर करने एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 'नन्दा देवी कन्या धन योजना' शुरू की है, जिसके अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों में जन्मी प्रथम दो कन्या शिशुओं के लिए प्रदत्त पांच हजार की धनराशि को आगामी वर्ष में बढ़ाकर ₹ 7500 किया जायेगा।
- निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 'गौरा देवी कन्या धन योजना' के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार की बालिकाओं को इण्टर पास करने के पश्चात् 25 हजार की धनराशि प्रदान की जा रही है।
- दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा चारा बैंक की सुविधा प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2011–12 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु ₹ 326.25 करोड़ का प्राविधान है।

16–जलागम :

- प्राकृतिक संसाधनों यानि भूमि, जल एवं वनस्पति का संवर्द्धन, संरक्षण तथा सुनियोजित प्रबन्धन हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जलागम प्रबन्धन योजनाएं सामुदायिक सहयोग से चलाई जा रही हैं।
- राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जलागम योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे खुशी है कि विश्व बैंक के ताजा आंकलन में उत्तराखण्ड की जलागम परियोजनाओं को 'अति संतोषजनक' स्थान दिया गया है, जो हमारी सराहनीय उपलब्धि है।
- 'ग्राम्या' की अपार सफलता के मद्देनजर ₹ 850 करोड़ के ग्राम्या फेज–2 के हमारे प्रस्ताव को संस्तुति प्राप्त हो गयी है।
- एकीकृत जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत ₹ 245 करोड़ की धनराशि के उपयोग हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर इकाईयों का गठन कर दिया गया है।

वर्ष 2011–12 में जलागम सम्बन्धी कार्यों के लिए ₹ 100.35 करोड़ का प्राविधान है।

17–वन एवं पर्यावरण :

- राज्य में 65 प्रतिशत वन भूमि है। मुझे बेहद खुशी है कि राज्य के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए 12 हजार वन पंचायतें कार्यरत हैं। राज्यवासियों ने सदियों से वनों को अपने बच्चों की तरह पाला है। मुझे गर्व है कि हमने अपने हितों की कुर्बानी देकर भी वनों को बचाया है। यही कारण है कि योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण में की गई राजकीय स्तर की रैंकिंग में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान दिया है।
- उत्तराखण्ड में वनों के सुदृढ़ीकरण के लिए '9 सितम्बर को वन पंचायत दिवस' घोषित किया गया है। विज़न 2020 के अन्तर्गत सरकार ग्राम सभाओं में 'ग्राम वन' विकसित करने, विद्यालयों में विद्यार्थी वाटिकाओं की स्थापना के अलावा नष्ट हो रहे वनों को बचाने व वन्य जन्तु एवं मानव संघर्ष को कम करने के लिए भी प्रयासरत है। इसके साथ ही सूख रहे जलस्रोतों को रिचार्ज करने तथा वनों से आम आदमी को जोड़ने का भी हमने बीड़ा उठाया है। 'मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड हरित विकास योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है। 'नक्षत्र वाटिका' एवं 'नवग्रह वाटिकाओं' की स्थापना सहित 'हर्बल गार्डनों' की स्थापना की जा रही है।
- महिलाओं की वानिकी में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। कैम्पा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु 'उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाइटी' का गठन किया गया है।
- मुझे प्रसन्नता है कि राज्य की 14 अनुपम पहल योजनाओं में 'मुख्यमंत्री हरित विकास योजना', 'जड़ी बूटी विकास योजना' तथा 'वन पंचायत सुदृढ़ीकरण' योजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। युवाओं को पर्यावरण संरक्षण में बढ़ावा देने के लिए राज्य के 3 माध्यमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष एक लाख की धनराशि का 'तरूश्री' सम्मान प्रदान किया जायेगा।
- चीड़ से प्राप्त होने वाला 'पिरूल', जो अभी तक पर्यावरण की दृष्टि से घातक समझा जाता रहा है, उसका जनहित में व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया गया है। इसका ईंधन हेतु ब्रिकेट, बिजली व गैसीफायर में उपयोग किया जा रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने हेतु बांस एवं रेशा प्रजातियों को हम नये उद्यमों से जोड़ रहे हैं। उत्तराखण्ड की जैव विविधता एवं नैसर्गिक सुन्दरता में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वनों को हमने ईको–टूरिज्म से जोड़ दिया है।
- हमने कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के लिए कार्बेट टाइगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन का गठन कर दिया है।

- विश्व स्तर पर चर्चित विषय जलवायु परिवर्तन से आम जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल, 2011 में जलवायु परिवर्तन पर हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी का अवसर भी हमारे राज्य को ही मिला है।
- हिमनदों पर व्यक्त की गई विषय विशेषज्ञों की गम्भीर चिन्ताओं को समझते हुए हमारी सरकार ने 'हिमनद प्राधिकरण' का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में हिमनदों को मानचित्रीकरण कर सूचीबद्ध किया जा रहा है।
- हम देवभूमि के लोगों का सौभाग्य है कि यह क्षेत्र पतितपावनी गंगा का मायका है। गंगा हमारी राष्ट्रीय धरोहर ही नहीं, हमारी आस्था का प्राण भी है। अतः इसके संरक्षण की पहली जिम्मेदारी भी हमारी ही है। गंगा की अविरलता एवं स्वच्छता को बनाए रखने तथा इसके प्रति जनमानस के कर्तव्य बोध को जागृत करने के लिए हमने 'स्पर्श गंगा अभियान' प्रारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत 'स्पर्श गंगा बोर्ड' का गठन कर दिया गया है। निर्मल नीर की यह पीर राज्य की अन्य सभी नदियों एवं गाड़–गधेरों की भी है। अतः स्पर्श गंगा अभियान से उनको भी जोड़ा गया है।
- कैम्पा के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 160 करोड़ की विभिन्न योजनाओं पर काम किया जायेगा। कैम्पा के तहत किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 332.78 करोड़ का प्राविधान है।

16–कृषि :

- उत्तराखण्ड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का मात्र 14 प्रतिशत भाग ही कृषि योग्य है। विजन 2020 के तहत हमने इस सीमित कृषि भूमि में अधिकाधिक उत्पादकता का बीड़ा उठाया है। खाद्यान्न के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में हम दलहनी एवं तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र की जैविक कृषि स्वरूप के साथ–साथ स्थानीय व परम्परागत बीजों की धरोहर को और समृद्ध कर रहे है। कृषि क्षेत्र में होने वाले नवीन वैज्ञानिक शोधों का लाभ हम आम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को निवेश तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी न्याय पंचायतों के मुख्यालय पर 'कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र' खोले गये है। साथ ही हर साल खरीफ तथा रबी में कृषक महोत्सव आयोजित किये जा रहे है। सरकार द्वारा कृषि विकास के सम्बन्ध में किए प्रयासों के फलस्वरूप उत्पादन एवं उत्पादकता में अपेक्षित सुधार हुआ है।

- प्रदेश में कृषि विकास को नयी राह देते हुए 245 ग्रामों में 'मुख्यमंत्री बीज ग्राम योजना' की शुरूआत की गयी है। यह उल्लेखनीय है कि 'अटल खाद्यान्न योजना' का एक सकारात्मक पक्ष यह भी उभरकर सामने आया है कि इससे हमारे परम्परागत बीज, जो कि गुणवत्ता की दृष्टि से विकास खण्ड स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, का इस योजना से विकास एवं सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- प्रदेश में 30 अटल आदर्श गाँवों में कृषि निवेश केन्द्र के भवन निर्मित किए जाने की योजना है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में स्थापित कृषक सूचना एवं परामर्श केन्द्र को कम्प्यूटरीकृत करके उन्हें ब्रॉड बैण्ड से जोड़ा जायेगा।

कृषि क्षेत्र हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 272.59 करोड़ का प्राविधान है।

19–गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग :

- सरकार गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में भी प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने गन्ना कृषकों के हित को ध्यान में रखकर देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य घोषित किया है। सरकार चीनी मिलों के आधुनिकीकरण करने एवं उन्हें स्व–सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
- नयी–पहल के रूप में बाजपुर चीनी मिल में 1 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का इथेनॉल प्लाण्ट स्थापित किया जायेगा।
- चीनी मिलों में सह–विद्युत परियोजनाओं को लोक निजी सहभागिता में स्थापित किया जायेगा।

गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग सम्बन्धी कार्यों हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 12.11 करोड़ प्राविधानित हैं।

20–उद्यान एवं जड़ी बूटी विकास :

- हमारी औद्यानिकी व दुर्लभ जड़ी–बूटियां हमें देश–दुनिया में नई पहचान दे सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न औद्यानिक फसलों, बेमौसमी सब्जियों, फलों के उत्पादन सहित आलू बीज एवं सब्जियों की पौध व बीज उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही हम जड़ी–बूटी के कृषिकरण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मौनपालन, चाय विकास तथा रेशम विकास को नये आयाम दे रहे हैं। राज्य में सेब, आम, लीची, अदरक, आलू, टमाटर आदि फसलों के लिए बीमा योजना लागू की गई है। जड़ी–बूटी उत्पादन के साथ–साथ हम इसके प्रसंस्करण व विपणन की प्रभावी पहल कर रहे हैं।

- उद्यान विकास के क्षेत्र में नयी पहल में ₹ 200 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल का निर्माण किया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 में उद्यान, रेशम तथा जड़ी–बूटी आदि कार्यक्रमों हेतु ₹ 104.20 करोड़ का प्राविधान है।

21–पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

- पशुपालन आदिकाल से ही हमारी आर्थिकी का प्रमुख आधार रहा है। हमने इस परम्परागत थाती को पुनः अपनी आजीविका एवं रोजगार से जोड़ने की पहल की है। अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत न्याय पंचायतों में पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना से पशुपालकों को उनके द्वार पर पशुपालन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- प्रदेश के अधिकांश भाग में चारे की कमी है, अतः विकास खण्ड स्तर पर चारा बैंक स्थापित किये जा रहे हैं।
- दुग्ध सहकारी समितियों तथा दुग्ध संघों को नवीन परिस्थितियों के अनुसार सुदृढ़ किया जा रहा है। दूध एवं दुग्ध पदार्थों के विविधीकरण तथा मूल्य संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। सम्पूर्ण देश में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत गोवंशीय पशुओं पर बर्बरता को रोकने, गोवंशीय पशुओं के विकास एवं कल्याण के लिए 'गो सेवा–आयोग' एवं गो वंश से सम्बन्धित शोध हेतु गो–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक (ऋषिकेश) में प्रारम्भ किया जा रहा है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहाँ 'गो–अर्क' के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए उसे विपणन कर से मुक्त किया गया है। मत्स्य पालन को भी हम उद्यम का मुख्य आधार बना रहे हैं।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 116.14 करोड़ का प्राविधान है।

22–सहकारिता विभाग :

- राज्य में सामुदायिक उद्यमिता की भावनाओं को विकसित करने के लिए सहकारिता को एक जनान्दोलन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण वितरण सहित खाद, बीज वितरण, कीटनाशक रसायन तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर उपलब्ध करायी जायेगी। जहां इस वर्ष सभी अटल आदर्श गांवों में 670 अटल मिनी बैंक की

स्थापना की गई है, वहीं आगामी वर्ष में न्याय पंचायत मुख्यालय के अतिरिक्त सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में 'अटल मिनी बैंक' स्थापित किये जायेंगे।

सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2011–12 में ₹ 43.72 करोड़ का प्राविधान है।

23–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष :

- हमारी सरकार ने सबकी पीड़ा हरने का बीड़ा उठाया है। सबके लिए स्वास्थ्य के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विजन 2020 में हमने दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। हमारी जीवनदायिनी 108 आपातकालीन सेवा इस प्रतिबद्धता को मूर्त रूप दे रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यह सेवा राज्य के लिए वरदान साबित हुई है तथा 108 सेवा ने विगत दो–ढ़ाई वर्षों में 1 लाख 82 हजार मां–बच्चों का जीवन बचाने के साथ–साथ लगभग 32 हजार लोगों के जीवन को विभिन्न दुर्घटनाओं में बचाया है। विपरीत परिस्थितियों में 2300 से अधिक बच्चों का जन्म चलती हुई एम्बुलेन्स में होना एक विश्व कीर्तिमान है।
- हमारी 108 सेवा अभी तक निकटस्थ अस्पताल में पहुँचाने की व्यवस्था कर रही है। अब जच्चा–बच्चा को अस्पताल से घर पहुँचाने की भी सुविधा प्रदान की जायेगी।
- सरकार अति आधुनिक उपकरणों युक्त सचल चिकित्सालय प्रत्येक जनपद में संचालित कर रही है। इसे और आगे बढ़ाते हुए बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, प० दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून में कार्डियोलॉजी केन्द्र, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार तथा जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में डॉयगनोस्टिक केन्द्र की स्थापना की जा रही है। रोगियों के तीमारदारों को रात्रि विश्राम की सुविधा दिल्ली के बाद अब हम राज्य के शीर्ष चिकित्सालयों में भी देने जा रहे हैं।
- जीवनदायिनी 108 आपात सेवा की असीम लोकप्रियता के बाद अब सरकार 104 निःशुल्क परामर्शी सेवा प्रारम्भ कर रही है। इस सेवा के अन्तर्गत चिकित्सकीय आवश्यकताओं के लिए कहीं से भी दूरभाष के माध्यम से परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा। सरकार आपातकालीन सेवाओं के अन्तर्गत जल एवं हवाई एम्बुलेंस सुविधा भी शुरू करने जा रही है। इस प्रकार उत्तराखण्ड जल, थल तथा वायु आपातसेवा को प्रदान करने वाला प्रथम राज्य होगा।

- राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य में पत्रकारों को भी चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा चुकी है। पर्वतीय क्षेत्रों के जनपदों के चिकित्सालयों को लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित करना प्रस्तावित है, ताकि इन क्षेत्रों में चिकित्सकीय एवं पराचिकित्सकीय मानव संसाधन की कमी तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी को दूर किया जा सके। राज्य में सभी जनपदों में एच0आई0वी0 / एड्स रोगियों के उपचार हेतु व्यवस्था उपलब्ध है। रैफरल लैबोरेटरी नैटवर्किंग के अन्तर्गत राज्य में तीन मेडिकल कॉलेजों क्रमशः जौलीग्रान्ट (देहरादून), हल्द्वानी (नैनीताल) तथा श्रीनगर (पौड़ी) में अब जॉच के सैम्पल भेजे जा सकेंगे। 'राज्य रक्त संचरण परिषद' का गठन किया जा रहा है।
- सरकार आयुष के विकास हेतु प्रयासरत है। राज्य में आयुर्वेदिक नर्सेस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। शीघ्र ही नव स्थापित आयुर्वेद विश्वविद्यालय का भवन निर्माण किया जायेगा। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, हरिद्वार का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आयुर्वेद की जन्म–स्थली उत्तराखण्ड राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान की स्थापना भी जल्दी ही की जायेगी। प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का उच्चीकरण किया जायेगा।
- स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु भगवानपुर–हरिद्वार में यूनानी मेडिकल कॉलेज तथा श्रीनगर–पौड़ी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।

वर्ष 2011–12 में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग के लिए लगभग ₹ 823.34 करोड़ का प्राविधान है।

24–चिकित्सा शिक्षा :

- राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सरकार विशेष प्रयास कर रही है। मात्र 15 हजार वार्षिक फीस पर हम एम0बी0बी0एस0 डिग्री दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर किया जायेगा। देहरादून में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। रुद्रपुर अस्पताल की सभी अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। देहरादून में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के बाद अब पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी एवं पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। हल्द्वानी मेडिकल

कॉलेज में राज्य के प्रथम राजकीय पैरा–मेडिकल संस्थान की स्थापना प्रगति पर है। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु बैचलर ऑफ रूरल मेडिसिन एवं सर्जरी पाठ्यक्रम भी उत्तराखण्ड में प्रारम्भ किये जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा कार्यों के समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय के अन्तर्गत पृथक चिकित्सा शिक्षा इकाई का गठन किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 149.70 करोड़ का प्राविधान है।

25–विद्यालयी शिक्षा :

- हमारा राज्य शिक्षा के सर्वोत्तम हब के रूप में आकार ले रहा है। उत्तराखण्ड में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें विकसित की हैं, जो देश के अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक के रूप में लोकप्रिय हुई हैं। उत्तराखण्ड देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिसने विद्यालयी शिक्षा में योग, आयुर्वेद, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार व उद्यमिता विकास को शामिल किया है।

- प्रदेश सरकार ने विजन 2020 के अन्तर्गत शत प्रतिशत साक्षरता एवं अनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित किया है। राज्य में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। देवभूमि मुस्कान योजना, पहल कार्यक्रम, सपनों की उड़ान, तेजस्वी योजना, गौरादेवी कन्या धन योजना को लागू किया गया है। विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं वैज्ञानिक जागरूकता तथा दृष्टिकोण विकसित किये जाने हेतु समस्त राजकीय इण्टर कॉलेजों में विज्ञान क्लबों की स्थापना की गई है। इसी क्रम में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण भी किया जायेगा।

- माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 44 जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण किया जा चुका है तथा 32 हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया गया है। अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जहाँ हाई स्कूल स्तर की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, उनमें से 06 विद्यालयों में इसकी स्थापना की जा चुकी है, शेष 18 विद्यालयों हेतु कार्रवाई की जा रही है।

- राज्य में उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा संस्कृत शिक्षा परिषद् से कक्षा 12वीं तथा उत्तर मध्यमा कक्षाओं में 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।

- माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिए राज्य स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानको मे आते है, का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया जायेगा। आगामी वर्षों मे 2 नए कस्तूरबा गाँधी विद्यालय, चकराता–त्यूनी (देहरादून) एवं खानपुर (हरिद्वार) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कॉलेजों के भवनहीन तथा जीर्ण–शीर्ण भवनो का निर्माण किया जायेगा। राजकीय विद्यालयों मे अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियो को लोक निजी सहभागिता के आधार पर इंजीनियरिंग एव मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग के लिए उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद से एक विद्यालय तथा प्रत्येक मण्डल में एक–एक बालिका विद्यालय कुल 15 विद्यालयों का चयन किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना की जायेगी एवं पिछड़े विकास खण्डो में बालिका छात्रावास संचालित किये जायेंगे।

वर्ष 2011–12 में विद्यालयी शिक्षा हेतु लगभग ₹ 3109.64 करोड़ का प्राविधान है जो कुल अनुमानित व्यय का 15.06 प्रतिशत है।

26–उच्च शिक्षा :

- प्रदेश सरकार द्वारा स्नातक स्तर तक शिक्षा नि:शुल्क कर दी गई है। उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के सहयोग से प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तथा गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्हें 'एडुसेट' से जोड़ा जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण मे उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण की सुविधा प्रदेश के 25 महाविद्यालयो मे कर दी गयी है। आगामी वर्षों मे शेष 45 महाविद्यालयो को भी इस आधुनिक सुविधा से जोड़ा जायेगा।
- प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा, जिसमें 25 प्रतिशत सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की जायेंगी तथा उनके लिए फीस में 25 प्रतिशत छूट की भी व्यवस्था की जायेगी। इन विश्वविद्यालयों मे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रोजगार स्थानीय लोगो को ही दिये जायेंगे।
- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से सर्वसुलभ उच्च शिक्षा सहित उत्तराखण्ड की भाषा एवं बोली के उन्नयन के प्रयास किये जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 323.51 करोड़ का प्राविधान है।

27–तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण :

- वर्तमान वैश्विक युग में तकनीकी शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार युवाओं में तकनीकी कौशल के उन्नयन एवं युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार उद्योगों एवं राज्य के विकास हेतु प्रशिक्षित एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त मानवशक्ति विकसित करने हेतु प्रयासरत है। वर्तमान में 38 राजकीय पॉलिटैक्निक, 01 शासकीय सहायता प्राप्त तथा 25 निजी क्षेत्रों के पॉलिटैक्निक संचालित है। पॉलीटैक्निकों में प्रवेश हेतु विकेन्द्रीकृत कम्प्यूटर आधारित कॉउन्सिलिंग आयोजित करने से अभ्यर्थियों को पर्याप्त सुविधा हुई है। राजकीय पॉलिटैक्निक में महिला छात्रावासों के निर्माण को त्वरित गति से किया जा रहा है। महिलाओं की विकास में भूमिका को और सुदृढ़ करने के लिए महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देहरादून में सुद्धोवाला पॉलिटैक्निक को महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया जायेगा। यह प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा।
- ₹ 2 करोड़ की लागत से प्रत्येक राजकीय पॉलिटैक्निक का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- सुमाड़ी, श्रीनगर में लगभग ₹ 500 करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (एन0आई0टी0) स्थापित किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में आगामी वित्तीय वर्ष में ₹ 200 करोड़ से अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जायेंगी। फिलहाल राजकीय पॉलिटैक्निक, श्रीनगर कैम्पस से संस्थान का शिक्षण प्रारम्भ किया गया है। इस संस्थान में 50 प्रतिशत सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की गयी हैं।
- काशीपुर में आई0आई0एम0 हेतु भूमि की व्यवस्था कर ली गई है। कुल लगभग 700 करोड़ की लागत से बनने वाले इस संस्थान में 250 करोड़ की धनराशि से प्रथम चरण में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। आगामी सत्र से आई0आई0एम0 की कक्षाओं का विधिवत् संचालन किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटित की गई है तथा ₹ 22 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य गतिमान है।
- सरकार ने प्रशिक्षण विभाग को तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़ा है ताकि इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके। राजकीय आई0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण एवं उनके भवन निर्माण हेतु प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' पदों हेतु चयन संस्था बनाया गया है।

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में ₹ 129.54 करोड़ का प्राविधान है।

28–भाषा :

- देवभूमि उत्तराखण्ड में देववाणी संस्कृत को पुनः प्रतिष्ठित करने की दिशा में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तराखण्ड में आदिकाल से संस्कृत जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन रही है। इस दिशा में संस्कृत को नवीन रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। आम जन में संस्कृत भाषा की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप समस्त सरकारी कार्यालयों की नाम पट्टिका हिन्दी भाषा के साथ संस्कृत में भी अंकित की जायेगी। राज्य के प्रमुख धर्म नगरी ऋषिकेश एवं हरिद्वार को संस्कृत नगरी घोषित किया गया है।
- उत्तराखण्ड की महान विभूति, हिन्दी साहित्य में प्रथम डी० लिट उपाधि से सम्मानित डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल को यथोचित सम्मान देते हुए हमने उनके नाम पर ही हिन्दी अकादमी का नामकरण किया है। साथ ही गढ़वाली, कुमाऊँनी तथा जौनसारी बोलियों को भाषा का दर्जा दिये जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद–347 के अधीन संकल्प पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

29–संस्कृति :

- सरकार राज्य के ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण–संवर्द्धन हेतु प्रयासरत है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जहाँ लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि को सहेजा जा रहा है, वहीं पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण एवं अनुरक्षण के साथ–साथ प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संग्रहित किया जा रहा है।
- भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक बृहद योजना 'भारत दर्शन' नाम से लोक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) के माध्यम से लागू की जायेगी।
- राज्य में 20 करोड़ की लागत से हिमालय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसमें उत्तराखण्ड की यत्र–तत्र बिखरी सांस्कृतिक धरोहरों को एक स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- देहरादून स्थित पुरानी जेल के नेहरू वार्ड को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। पौड़ी की पुरानी जेल भवन एवं परिसर को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का विचार है। देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, उत्तरकाशी एवं ऊधमसिंह नगर में प्रेक्षागृहों का निर्माण प्रगति पर है।

- प्रदेश की विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 'गुरु–शिष्य परम्परा' के अन्तर्गत 6 जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- राज्य में लोक संस्कृति संस्थान की स्थापना की जाएगी।

संस्कृति विभाग हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 32.01 करोड़ का प्राविधान है।

30–संस्कृत शिक्षा :

- यह हमारे लिए गौरव की बात है कि सरकार ने देववाणी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। राज्य के दोनों मण्डलों में एक–एक संस्कृत नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। संस्कृत शिक्षा परिषद् के गठन का निर्णय ले लिया गया है।

संस्कृत शिक्षा हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 3.64 करोड़ का प्राविधान है।

31–खेल एवं युवा कल्याण :

- राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में प्रथम शीतकालीन सैफ गेम्स का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
- बालिकाओं की खेलों में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में समुचित व्यवस्था की जायेगी। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलों, युवा महोत्सव, मिनी स्टेडियम निर्माण, युवा पुरस्कार, युवा सेमीनार आदि विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से युवा शक्ति का सदुपयोग किया जा रहा है।
- टिहरी झील को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जल क्रीडा का वृहद केन्द्र स्थापित किया जाएगा तथा औली को शीतकालीन क्रीडा का अन्तर्राष्ट्रीय स्थल बनाया जायेगा।

खेल एवं युवा कल्याण हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 40.20 करोड़ का प्राविधान है।

32–सूचना एवं लोक सम्पर्क :

- सरकार की नीतियों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं सरकार तथा जनता के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार पत्रकारों के कल्याण पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों

का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु दूरदर्शन के माध्यम से साप्ताहिक न्यूज मैगजीन प्रसारित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को अन्य माध्यमों से भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

- उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक परम्पराओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन करने तथा विभिन्न विषयों पर जन–जागरुकता के प्रसार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- देहरादून में पत्रकारों के लिए पत्रकार कॉलोनी का विकास किया जायेगा। पत्रकार कल्याण कोष में आगामी वर्ष में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 25.09 करोड़ का प्राविधान है।

33–गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

- उत्तराखण्ड राज्य उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमाओं के साथ–साथ नेपाल एवं चीन की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। साथ ही वन एवं वन्य जीव सम्पदा, पर्यटन तथा तीर्थाटन की दृष्टि से राज्य पर गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा की विशेष चुनौतियाँ हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश के बड़े क्षेत्र में राजस्व पुलिस एवं शेष क्षेत्र में नियमित पुलिस व्यवस्था है। उत्तराखण्ड पुलिस का मिशन जनता की सहभागिता से विधि सम्मत व्यवस्था स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम एवं शान्ति व्यवस्था बनाना है।
- राज्य में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र ही पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल) प्रारम्भ हो जायेगा। आतंकवादी घटनाओं के सम्बन्ध में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई के लिए पी0ए0सी0 हरिद्वार तथा आई0आर0बी0 रामनगर में कमाण्डो दस्ते गठित किये गये हैं। राज्य में आतंकवादी निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) का भी गठन किया गया है। पुलिस संचार व्यवस्था हेतु अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किये गये हैं।
- होमगार्ड्स विभाग पुलिस विभाग को सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा, आपातकालीन समय में सहयोग करता है। प्रदेश के प्रमुख नगरों में शान्ति व्यवस्था, गोपनीय सूचनाओं एवं आपदाओं के समय नागरिक सुरक्षा विभाग भी प्रशासन का सहयोग कर रहा है।

- राज्य में कारागार विभाग के अन्तर्गत 06 जिला कारागार, 02 उपकारागार एवं एक खुली जेल संचालित है। रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर एवं चम्पावत में जिला कारागार का निर्माण कराया जायेगा।

  वर्ष 2011–12 में पुलिस विभाग हेतु ₹ 687.83 करोड़, होमगार्ड्स विभाग हेतु ₹ 19.53 करोड़ एवं कारागार विभाग हेतु ₹ 31.45 करोड़ का प्राविधान है।

34–राजस्व :

- मान्यवर, मुझे यह बताने में अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि राज्य के सभी जनपदों में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कलक्ट्रेट स्तर पर तथा द्वितीय चरण में तहसील स्तर पर भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस योजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए नेशनल लैण्ड रिकार्ड्स माडर्नाईजेशन मैनेजमेन्ट प्रोग्राम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत भूमि का पंजीकरण, दाखिल–खारिज एवं भूमि के मानचित्र को कम्प्यूटर नेटवर्क में लाने की व्यवस्था की जायेगी।
- राज्य में पटवारी चौकियों, तहसील भवनों तथा कलेक्ट्रेट भवनों के निर्माण की समुचित व्यवस्था की जा रही है।

  राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में ₹ 123.45 करोड़ का प्राविधान है।

35–आपदा प्रबन्धन :

- यह सर्वविदित है कि हमारा राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। गत वर्ष हुई अभूतपूर्व अतिवृष्टि से प्रदेश के सभी नागरिकों को जूझना पड़ा है। इस आपदा से जन–धन की अपार क्षति ही नहीं हुई बल्कि इसने हमें आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत भी किया। सरकार के प्रयासों तथा आम जनता के सहयोग से हम इस विपदा से उबरने में कामयाब रहे, तथापि आपदा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति में अभी काफी समय लगेगा।
- प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की दृष्टि से आम जनता को जागरूक करने के लिए एक कारगर योजना बनायी गयी है।
- राज्य में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- प्रत्येक अटल आदर्श गांव में 'आपदा खोज एवं बचाव दल' का गठन किया जाएगा।

  आपदा प्रबन्धन हेतु वर्ष 2011–12 हेतु ₹ 633.47 करोड़ का प्राविधान है।

36–पंचायतीराज :

- पंचायती राज की दिशा मे कारगर पहल करते हुए हमने गावो से विकास की शुरूआत की है। न्याय पचायत स्तर पर ही सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अटल मिनी सचिवालयो की स्थापना की जाएगी।
- अटल आदर्श गांवों को मुख्य केन्द्र बनाकर उसके आस–पास के सभी गावो का समेकित विकास किया जायेगा।
- पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ एवं सशक्त बनाने हेतु राज्य वित्त आयोग की सस्तुतियों के अनुरूप पंचायतो को नियमित अनुदान तथा पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता अभिवर्द्धन हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत ₹ 74.35 करोड़ का प्राविधान है।

37–ग्राम्य विकास विभाग :

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। इस हेतु स्वरोजगार के क्षेत्र में आर्थिक उन्नयन एव श्रमपरक कार्यक्रमो के साथ आवासहीन परिवारो को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, ग्रामीण सयोजकता अन्तर्गत सड़क मार्गों के निर्माण की योजना सहित विभिन्न समेकित विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 250 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है। मुख्यमत्री शिल्प विकास योजना अन्तर्गत लगभग 5000 ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों के शिल्पकारों को चरणबद्ध प्रक्रिया से कौशल वृद्धि प्रशिक्षण देकर आजीविका सवर्द्धन क्षेत्र मे पहल की जा रही है। उत्तराखण्ड आजीविका परियोजना के माध्यम से स्वरोजगार के क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन कर विपणन की सुविधा प्रदान करते हुए आर्थिक उन्नयन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तराखण्ड दीन दयाल आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 मे लगभग 20 हजार आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

ग्राम्य विकास विभाग हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 551.82 करोड़ का प्राविधान है।

38–विज्ञान एव प्रौद्योगिकी :

- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का लाभ प्रत्येक क्षेत्र में लेते हुए प्रदेश तथा जनता के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। राज्य मे प्राकृतिक ससाधन प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, हिमनद, जलवायु परिवर्तन, सुदूर शिक्षा, सुदूर चिकित्सा आदि क्षेत्रों मे नवीन वैज्ञानिक कार्य किये जा रहे हैं। आम आदमी

के कल्याण के लिये कार्य कर रही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को गतिशील करने, उनमें आपसी समन्वय तथा समझदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योग से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। इसी दिशा में देहरादून में विज्ञान धाम की स्थापना की जा रही है।

39—सूचना प्रौद्योगिकी :

- आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, अतः सूचना प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र में उपयोग करना अपरिहार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्य कुशलता, सटीकता एवं त्वरित क्रियान्वयन सहित जनता के द्वार तक सूचना प्राप्ति सम्भव हो सकी है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी को जन—जन तक सुलभ करने के लिए प्रयासरत है।
- प्रदेश में स्टेट डाटा सेन्टर तथा स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना की जायेगी।
- हम आगामी वर्ष में सभी ब्लॉक तथा तहसीलों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जोड़ने की दिशा में अग्रसर हैं। इसके अतिरिक्त यू0आई0डी0 योजना भी शुरू करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं।

वर्ष 2011—12 में विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों हेतु ₹ 36.23 करोड़ का प्राविधान है।

40—पर्यटन :

- भौगोलिक, पर्यावरणीय, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं।
- विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से उत्तराखण्ड के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसके क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में सुनियोजित, दीर्घकालीन व सतत् पर्यटन का विकास करते हुए इसे 'धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड' के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है।
- उत्तराखण्ड को विश्व पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से साहसिक पर्यटन, ईको—टूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं, जिसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु लोक निजी सहभागिता के आधार पर ढाँचा सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा पर्यटन विकास की दिशा में शीतकालीन पर्यटन की भी शुरूआत की गई है, जिसके अन्तर्गत जोशीमठ, ऊखीमठ, मुखबा और खरसाली

तीर्थ स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन सर्किटों के विकास एवं चार धाम यात्रा मार्गों में अवस्थापना सुविधायें विकसित की जा रही हैं।

- कुम्भ की तर्ज पर आगामी 'नन्दा देवी राजजात' का आयोजन किया जायेगा। पर्यटन विकास को नया आयाम देते हुए ₹ 50 करोड़ की लागत से मेगा गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।
- पूर्णागिरी, जानकी चट्टी–यमुनोत्री एवं देहरादून–मसूरी में रज्जू मार्गों का निर्माण किया जायेगा।
- कुमाऊँ एवं गढ़वाल में तीन–तीन पर्यटन सर्किट तथा 2 पर्यटक स्थल विकसित किए जायेंगे।

पर्यटन क्षेत्र के लिए वर्ष 2011–12 में ₹ 107.57 करोड़ का प्राविधान है।

41–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

- राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। सरकार ने महंगाई से त्रस्त जनता को राहत पहुंचाते हुए बी0पी0एल0 के साथ ही ए0पी0एल0 परिवारों के लिए 'अटल खाद्यान्न योजना' प्रारम्भ की है। इसके अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार को ₹ 02 कि0ग्रा0 गेहूं एवं ₹ 03 कि0ग्रा0 चावल तथा ₹ 1 लाख 80 हजार वार्षिक आय से कम आय वाले ए0पी0एल0 परिवारों को ₹ 04 प्रति कि0ग्रा0 गेहूं एवं ₹ 06 कि0ग्रा0 चावल दिया जा रहा है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में दैवीय आपदा की सम्भावनाओं को देखते हुए तीन माह का खाद्यान्न और मिट्टी तेल का कोटा एडवांस में उपलब्ध कराया जा रहा है। सुदूरवर्ती इलाकों में वितरण सुचारू रखने के लिए हर ब्लॉक मुख्यालयों में खाद्यान्नों के समुचित भण्डारण की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण को सुनिश्चित करने हेतु राशन वितरण प्रणाली का रोस्टर लागू किया गया है। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु मूल्य समर्थन योजना चलाई जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रभावी प्रवर्तन किया जा रहा है। 'अटल आदर्श ग्राम योजना' के अन्तर्गत उचित दर की दुकान विहीन 35 न्याय पंचायत मुख्यालयों में दुकानें स्वीकृत की गई हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 332.21 करोड़ की व्यवस्था है।

42–श्रम एवं सेवायोजन :

- राज्य सरकार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है। श्रमिकों एवं सेवायोजकों के मध्य सौहार्द बनाने के भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। श्रमिकों के कल्याण हेतु समुचित ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के नौजवानों को उनकी योग्यता अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी सरकार निरन्तर प्रयासरत है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में ₹ 87.05 करोड़ का प्राविधान है।

43–नियोजन :

- राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु कुशल नियोजन जरूरी है। योजनाओं का नियमित मूल्यांकन, कार्यों का सत्यापन तथा गुणवत्ता नियोजन की प्रमुख निशानी है। सरकार इन बातों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए संसाधनों की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत लोक निजी सहभागिता के माध्यम से अधिकाधिक निवेश के लिए प्रयासरत है।
- विजन 2020 के अन्तर्गत दीर्घकालीन दृष्टि एवं सुस्पष्ट लक्ष्य रखकर विकास कार्य किये जा रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास का समुचित लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
- हमारा संकल्प वर्ष 2020 तक उत्तराखण्ड को समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ, सुसंस्कृत व हरित प्रदेश बनाने का है।

नियोजन विभाग हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 54.32 करोड़ का प्राविधान है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2011–12 में ₹ 18340.95 करोड़ की प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में ₹ 14634.99 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 3705.96 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2011–12 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश ₹ 7715.05 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 2955.31 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय :

वर्ष 2011–12 में ऋणों के प्रतिदान पर ₹ 1638.73 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ₹ 1812.03 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर ₹ 5308.74 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ₹ 361.51 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ₹ 1414.95 करोड़ व्यय अनुमानित हैं।

वर्ष 2011–12 में कुल व्यय ₹ 19366.91 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में ₹ 14325.69 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ₹ 5041.22 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में ₹ 6564.29 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा ₹ 12802.62 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में ₹ 3180.85 करोड़ आयोजनागत पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार ₹ 3383.44 करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा ₹ 1657.78 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2011–12 में अनुमानित घाटा ₹ 1025.96 करोड़ है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2011–12 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ₹ 690 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2011–12 में आरम्भिक शेष को लेते हुए अन्तिम शेष ₹ 42.74 करोड़ धनात्मक होना अनुमानित है।

मान्यवर,

हम महान संविधान के मूल सिद्धान्तों एवं लक्ष्यों के अन्तर्गत राज्य सरकार को एक लोक हितैषी संस्था के रूप में चलाए जाने को प्रतिबद्ध हैं, वहीं पारदर्शिता, दक्षता एवं कार्यकुशलता के साथ समयबद्ध कार्य निष्पादन के लिए भी कटिबद्ध है। जनता की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार होने के नाते यह हमारा परम दायित्व है कि संसाधनों का कुशल एवं स्वधार्य आधार पर विदोहन किया जाय। मुझे हर्ष है कि हम इस दिशा में लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं हमने लोकधन की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ–साथ इसका सदुपयोग जनहित में करने का दायित्व भी कुशलतापूर्वक निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से सरकार इस गुरुत्तर दायित्व को आगे भी निर्वहन करने में सफल होगी।

आप सभी जानते हैं कि मैं मूलतः कवि हूँ। अपनी भावनाओं को अपनी कविता से ही विराम देने की इच्छा को नहीं रोक पा रहा हूँ, अतः आपको मुखातिब अपनी कविता की कुछ लाईनें उद्घाटित कर रहा हूँ,

आशा की पलकें प्रगति पथ पर बिछाकर
कठिन राह में पग न पीछे हटाना,
हर बुराई कुचलकर बढ़ो तो सही
कोई मुश्किल नहीं आसमां को झुकाना।

मुझे उत्तराखण्डवासियों तथा कर्मचारियों पर गर्व है कि उन्होंने राज्य निर्माण में महती भूमिका निभाने के साथ-साथ इन दस वर्षों में राज्य को उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। मुझे उम्मीद ही नहीं भरोसा भी है कि इस देवभूमि उत्तराखण्ड को धरती का स्वर्ग एवं देश का अग्रणी राज्य बनाने में सबका योगदान आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनके सहयोग एवं परामर्श से यह बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है उसके लिए भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। मैं राजकीय मुद्रणालय तथा एन०आई०सी० के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से सम्भव हो सका है।]

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं वर्ष 2011-12 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रीमन्, (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

विपक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर वार्ता किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें, किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय।

(घोर व्यवधान)

('वेल' में पूर्व से खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही को 5.00 बजे से 6.00 बजे तक एक घंटे के लिए बढ़ाता हूँ और सदन की कार्यवाही को 5.15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन का स्थगन 5.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की कार्यवाही 5 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा श्री मनोज तिवारी आदि 'वेल' में बैठे थे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश पन्त जी ने उस दिन सदन में विश्वास दिलाया और कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे तो बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री किशोर उपाध्याय जी, माननीय विधायक, उत्तराखण्ड। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको व्यक्तिगत बैठक हेतु दिनांक 21–03–2011 सायं 07.00 बीजापुर गेस्ट हाउस में आमंत्रित किया है। कृपया बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी के संज्ञान में भी नहीं है। इस सम्बन्ध में जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है और न मुझे सूचना है। मान्यवर, जब माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी को जानकारी ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा मामला है कि जो............।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। माननीय बेहड़ जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्य पूर्ववत बैठे रहे) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया माननीय सदस्यों को अनुशासित करने में सहयोग करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मानानीय अध्यक्ष जी, चूँकि आपके संज्ञान में है कि जब माननीय किशोर उपाध्याय जी सदन मे आमरण अनशन पर बैठे थे। आपके मार्गदर्शन में और आपके सुझाव पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय प्रीतम सिंह जी, डा0 सिंघल जी, माननीय दिवाकर भट्ट जी, शहजाद जी ....।

श्री अध्यक्ष–

नहीं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय सदस्य को, यह आपके संज्ञान में भी है। आपके संज्ञान मे भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। ....

(माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत बैठे रहे)

जहॉं तक मेरी जानकारी है और आपके संज्ञान मे भी है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बात नहीं पहुँची तो आपके माध्यम से पहुँची होगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि लगातार मानानीय अध्यक्ष जी, आपने पहल की कि सदन व्यवस्थित हो और माननीय सदस्य यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं और उस दिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्गदर्शन मे माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी ने आपकी और हम सबकी बात को मानकर अपना आमरण अनशन स्थगित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मोबाईल से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं बात करी, आपसे भी बातचीत कराई और मुझसे भी बातचीत कराई और माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी से भी बातचीत की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था कि कल मैं आपसे आपकी समस्याओं के मुद्दे पर बातचीत करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में है कि मैंने सदन में यह विषय उठाया था तो उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आते है तो इस विषय को आगे बढ़ाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये आपके संज्ञान में है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, जो अवरोध पैदा हुआ है मै उस बात पर कहना चाहता हूँ कि 15 तारीख से लेकर आज तक सरकार की ओर से कोई बातचीत नहीं हुई, आज प्रात: माननीय मुख्यमंत्री जी का टैलीफोन आया था कि मैं माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी

से कल बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन मुझे कल शाम को जानकारी हुई कि माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी उत्तराखण्ड से बाहर है और इसलिए वार्ता नहीं हो पाई। मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, क्योंकि होली का अवसर था तो सभी माननीय विधायक अपने-अपने कामों से अपने घर या दूसरी जगह पर होते हैं, तो माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी को समय पर सूचना मिलती तो निश्चित रूप से वे आपसे वार्ता कर सकते थे। मैंने आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और आज मैंने सुबह माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश पन्त जी के सदन शुरू होने से पूर्व संज्ञान में लाया था कि माननीय श्री किशोर उपाध्याय से वार्ता के सम्बन्ध में टेलीफोन आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जिज्ञासा व्यक्त की थी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी के साथ बातचीत कर लेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो जायेगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी कहा था कि चूंकि आज पूरा दिन हमारे पास है, अगर दिन में भी किसी समय वार्ता हो सकती है और मैंने माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी से सुबह बात की तो मैंने निवेदन किया था कि आज सम्भावना है कि किसी समय सरकार से बातचीत हो और मैंने आग्रह किया था माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी से कि आपका मध्याह्न के बाद जो बैठने का निर्णय है आप अपने निर्णय में परिवर्तन करें।

तो मैं निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपकी ओर से विनिश्चय आ जाए कि सरकार जो बहुत गम्भीर मुद्दे हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि सारे मुद्दो पर समाधान निकलेगा, सारी समस्याओं का अन्त नहीं होता है, ये माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन जो समस्यायें अति महत्वपूर्ण है चाहे टिहरी जिले से सम्बन्धित हैं या हमारे माननीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री मनोज तिवारी, श्री मयूख महर, श्री राजेश जुवांठा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी की हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं खुद हमको भी लगता है कि यह संसदीय परम्परा नहीं है। मान्यवर, लेकिन जब मन में बहुत आक्रोश हो जाता है, जब कोई हथियार नही बचता, नियम के तहत, सवालो के तहत, जब माननीय विधायक अपनी बात को पिछले चार साल से सदन के अन्दर कहते आये हो और कोई समाधान नही निकलता हो और कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जब नियम और परम्पराओं को भी दरकिनार करना पड़ता है और भवावेश और जनसमस्याएं इतनी ऊपर हो जाती हैं कि हमारे नियम, परिनियम और परम्पराएं भी बौनी लगने लगती हैं। मैं सोचता हूँ कि माननीय विधायकगण आज उस हताशा की स्थिति मे हैं कि जब शायद परम्पराए और नियम बौने हो गये है और क्षेत्र की जनता की भावनाए और उनका लगाव ऊपर हो गया है। मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से सरकार से मांग करता हूँ। चूंकि

हम सब यहां पर सदन चलाने के लिए आये है और हम सब चाहते हैं कि यह सदन चले। समय–समय पर सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले, इसके लिए हमने अनेक अवसरो पर माननीय शहजाद जी से भी अनुरोध किया और अपने सभी विधायकगणों से भी अनुरोध किया और मैं आभारी हूँ अपने सभी माननीय सदस्यगणों का कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे गार्जियन हैं। मान्यवर, यह जो विवाद और अवरोध पैदा हुआ है। मान्यवर, अभी पिछले दो सत्र लोक सभा नहीं चली, लेकिन वार्ता हुई। वार्ता के बाद रास्ता निकला। मान्यवर, जो विपक्ष चाहता था कई मुद्दों पर सरकार दो कदम पीछे हटी है और कुछ मुद्दों पर विपक्ष पीछे हटा और वार्ता के बाद एक रास्ता निकला और सदन व्यवस्थित होकर चला। मै आपके माध्यम से चाहता हूँ कि अगर अड़ियल रवैया, चाहे सरकार की ओर से होता है तो वह भी उचित नहीं है और यदि हमारी ओर से अड़ियल रवैया होता है तो मैं सोचता हूँ कि वह भी उचित नहीं है। हम तो दो कदम पीछे हटने को तैयार हैं। अगर इनकी 20 समस्याएं हैं तो जो बहुत महत्वपूर्ण समस्याए हैं अगर सरकार का रूख उन पर सकारात्मक होता है तो मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्यो से अनुरोध करूँगा कि वे सदन की उच्च परम्पराओ को ध्यान मे रखते हुए अगर इस पीठ की ओर से विनिश्चय आ जाय और सरकार की ओर से सकारात्मक पहल होती है तो निश्चित रूप से हमारे माननीय सदस्यगण भी अपनी सीटो पर आकर इस सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका विनिश्चय, आपका मार्ग दर्शन, आपका संरक्षण इस दिशा मे चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय किशोर उपाध्याय जी को कल साय को वार्ता पर आमंत्रित किया था, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चूंकि मैं कल ही वापस आया था। मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अवगत कराया कि प्रात: उनकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। जो भी आपका माग पत्र है, उन सभी विषयो पर निरन्तर आपके विषयों को सुलझाने से सम्बन्धित सरकार गम्भीरता से समाधान का मार्ग निकाल रही है। मान्यवर, उसमें से कतिपय बिन्दु ऐसे है जिनका समाधान भी हो चुका है, जैसा आप भी भलीभांति जानते हैं और भी जो विषय है उनको वार्ता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महूँ भाई'', श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री राजेश जुवाँठा तथा श्री मयूख सिंह 'वेल' में बैठे थे)

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि सदन में जो परिपाटी पड़ने जा रही है, वह सर्वथा उचित नहीं कही जा सकती। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि हम सब लोग गम्भीरता से विचार करें कि समस्याओं के समाधान के लिए स्वस्थ परिचर्चा कराने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए यह सदन सुसंगत तरीके से कार्य करता रहा है। यदि इस सदन को धीरे-धीरे धरना स्थल में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यह उचित नहीं कहा जा सकता। श्रीमन्, मैं पुनः विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार हर स्तर पर वार्ता के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय नेतागण से अनुरोध करूँगा कि वे सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने में अपना सहयोग दें।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महरू भाई'' द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य की किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान) यह विकल्प नहीं है। आप यह अनुचित दबाव डाल रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

*काजी मो0 निजामुद्दीन-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके आदेश के बाद हमें भी वार्ता के लिए बुलाया था और बहकाकर वापस भेज दिया। (व्यवधान) मान्यवर, आपके आदेश का पालन भी नहीं किया।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों तथा माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि सरकार ने माननीय विधायकगण को वार्ता करने के लिए आमन्त्रित किया था। (व्यवधान) हम आपका संरक्षण चाहते हैं। (व्यवधान) बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों को भी वार्ता के लिए बुलाया गया था। आप ही ने तो हमें भरोसा दिलाया था। (व्यवधान) उसके बाद हम लोगों को सचिवालय ले जाया गया। (व्यवधान) हमें बुलाकर आश्वासन दिया जा रहा है। हमें परम्पराएं बताई जा रही हैं। हमें अनुशासन बताया जा रहा है और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी हमें सचिवालय ले जाते हैं, उसके बाद हमें आश्वासन दिया जाता है। यह क्या है ? (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपके निर्देश के बाद हम लोग वहाँ गये। हमें डेढ़ घण्टे बाहर कमरे में बैठाया गया। (व्यवधान)

*चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, हम लोग तो ऑफिस में जाना भी नहीं चाह रहे थे। अब तक 4 साल में ऑफिस तक नहीं देखा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इस सदन में आपसे बड़ा कौन है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो विकल्प नहीं है, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपकी पीठ की ओर से सरकार को निर्देशित किया जाता है और उसके बाद भी उसका अनुपालन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा कोई निर्देश नहीं था, वार्ता के लिये बात हुई थी और वार्ता हो गई है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हम आपके आदेश पर सी0एम0 हाउस गये थे।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, अगर ये लोग भी वहाँ वार्ता के लिये जाते तो इनको भी झूठे आश्वासन ही मिलते।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के विधायक थाने पर धरने पर बैठते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिये। हम लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, ऐसी बदकिस्मत सरकार शायद ही कोई हो, जिसके किसी विधायक को थाने में धरने पर बैठना पड़े, यह अफसोस की बात है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, यह लोग विधायकों को थाने में बन्द करवा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक राज बेहड जी, कृपया सदस्यों को व्यवस्थित करें।

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, आप पीठ से निर्देश दे दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

लेकिन यह विकल्प नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण कैसे मिलेगा, आप सरकार को निर्देश कर दें कि जिस स्थान पर वह विश्वविद्यालय चल रहा है, उसका स्थान नहीं बदला जायेगा। बाकी विषयों पर बात की जा सकती है।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, हमें तो 20 किलोमीटर सडक चाहिये।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय तिलक राज जी, क्या आपके सारे काम हो गये है ? इन्हीं का काम बचा है या आपके भी हैं कुछ काम ? कल ये उठ जायेंगे तो क्या फिर आप बैठ जाओगे ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय चीमा जी मुख्यमंत्री जी की तरफ से बोल रहे हैं ?

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, किसी भी माननीय सदस्य के स्थान पर कोई योजना चल रही हो तो उसका स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, उसके लिये धरना प्रदर्शन की जगह यह थोडे ही है। सडक पर बैठ जाईये, कहीं बैठ जाईये लेकिन यह जगह थोडे ही है धरने के लिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मानानीय चीमा जी, एस्कार्ट फार्म वाले छः महीने से बाहर धरने पर बैठे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इस सदन में सबसे अधिक असन्तुष्ट थे, तो वह चीमा जी थे, अब बीस सूत्रीय मिल गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हम माँग नहीं रहे है, सरकार द्वारा प्रस्ताव मंगाये गये थे।

डॉ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, सरकार ने घोषणा की थी कि 20–20 किलोमीटर सड़क दी जायेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सवाल 20 कि0मी0 सड़क का नहीं है, इस बीस किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् बैठे रहे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 07.00 बजे तक बढ़ाता हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें। (माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ द्वारा कुछ कहे जाने पर) ऐसा कभी हुआ नहीं। आप तो पुराने सदस्य है। सदन की बात सदन में होगी, सदन के बाहर की बात सदन के बाहर होगी। कृपया स्थान ग्रहण करें। (माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा 'वेल' में बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर) कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी, माननीय सदस्य श्री मयूख सिंह, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा 'वेल' मे पूर्ववत् बैठे रहे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक राज बेहड़ जी, कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करें, यह उचित नही है। माननीय किशोर उपाध्याय जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मानानीय मुख्यमंत्री जी एक परम्परा डालें। वह आयें और माननीय सदस्यों से वार्ता करें, भागने से थोड़ी काम चलेगा। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई तरीका नहीं है। मैं सदन की कार्यवाही 6.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 6.55 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 7.15 बजे तक बढ़ा दिया है और सदन की कार्यवाही 8.00 बजे तक के लिए बढ़ा दी है।

(सदन की कार्यवाही 7 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, कृषकों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने एवं कृषि विपणन विनियमन प्रणाली को प्रभावी रूप से एवं मण्डियों की स्थापना, पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 प्रवृत्त हुआ। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त इस अधिनियम का अनुकूलन एवं रूपान्तरण उत्तराखण्ड में प्रवर्तन हेतु किया गया। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सदन को व्यवस्थित करा दें। यह व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने गम्भीर विषय पर सरकार चिन्तित नहीं है। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है इसमें जनता की कई चिन्तायें हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा नियंत्रित विनियमित मण्डियों की सफलता सीमित रही। मुक्त एवं सीधे विपणन की प्रक्रिया नहीं प्रारम्भ हो सकी। संगठित खुदरा

विक्रय को फायदा नहीं हुआ। मूल्य सम्वर्द्धन के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश न होने के कारण नवीन प्रौद्योगिकी नहीं आ सकी। पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न होने के कारण किसान को समुचित लाभ नहीं मिला। क्रेता व्यापारियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से उत्पादक किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान हुआ। साथ ही बिचौलियों की श्रृंखला को छोटा नहीं किया जा सका। फलस्वरूप उपभोक्ता को अधिक मूल्य चुका कर खाद्य सामग्री क्रय करने को बाध्य होना पड़ा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस विधेयक को प्रवर समिति को दे देना चाहिए। सरकार जनता की परेशानियों को नहीं समझ रही है। किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ सरकार छलावा कर रही है। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि यह जो विधेयक लाया जा रहा है यह प्रदेश के किसानों के हित में, प्रदेश के व्यापारियों के हित में, प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में लाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह अपने आप में ऐतिहासिक कार्य सरकार करने जा रही है और माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हम माँग आधारित खेती को कराना चाहते हैं। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के वातावरण में अब एक वैकल्पिक विपणन तंत्र के विकास की आवश्यकता है। जिससे सीधे विपणन को बढ़ावा मिल सके, कृषि पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आसानी से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार को बढ़ावा हो तथा अभिनव विपणन तंत्रों एवं प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण सुनिश्चित हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के साथियों को यह भी बताना चाहता हूँ। मैं सोनिया गाँधी जी का एक पत्र यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अगर माननीया सोनिया गाँधी जी व्यापारियों की विरोधी हैं, किसानों की विरोधी हैं, उपभोक्ताओं की विरोधी हैं, उपभोक्ता की हत्यारी हैं, किसानों की हत्यारी हैं तो मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पत्र की प्रतिलिपि दे दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि विपणन अवस्थापना के विकास के लिए एवं कृषकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए

अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति केवल सार्वजनिक स्रोतों से नहीं हो पायेगी। अतः ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश भी आकर्षित हो। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो संस्तुतियाँ की जा रही है उसमें निजी सहकारी क्षेत्र में कृषि मण्डियों की स्थापना के लिए विधिक प्रावधान किये जाएं। इनके सम्बन्ध में सरकारों की भूमिका मण्डी प्रबन्धन पर नियंत्रण के स्थान पर इनकी स्थापना सुसाध्य बनाने वाले कारक की होनी चाहिए। मण्डियों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त रूप से केन्द्र, राज्य सरकारों को सहयोग देना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि इस विधेयक का उद्देश्य सीधे विपणन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना है। इसके अन्तर्गत कृषि फार्म पर ही उपज के श्रेणीकरण के पश्चात क्रेता, जिसमें मुख्यतः उत्पादकों अथवा उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां सम्मिलित होती हैं उपज का गठन कर सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' पर पूर्ववत नारे लगाते रहे)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इससे प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा, मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा मिलेगा।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पहले माननीय मंत्री जी की बात आ जाए, फिर आप प्रस्ताव कर दें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात का खण्डन करता हूँ कि सम्मानित सदस्य जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे देश में जहाँ–जहाँ भी जिन–जिन राज्यों ने इसको एडाप्ट किया है, स्वीकार किया है, वहाँ पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, वहाँ पर किसानों की मूल्य वृद्धि हुई है और साथ–साथ उपभोक्ताओं को भी उसका सीधा–सीधा लाभ मिला है, क्योंकि इसमें मार्केटिंग की व्यवस्था है, सीधी मार्केटिंग की व्यवस्था है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इस एक्ट के लिए जो पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक कमेटी बनाई थी उसकी संस्तुतियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, वर्तमान सरकार ने भी जो मंत्रिमण्डलीय समिति बनाई,

उसकी संस्तुतियों को स्वीकार करके इसमें इसको बनाया जा रहा है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि संविदा कृषि सम्बन्धी प्राविधान अंकित किये जायें इसमें निम्न तथ्यों पर ध्यान रखा जाए, संविदा के शर्तों के उल्लंघन की दशा में प्रायोजक अथवा किसान दोनों के सामने विवाद सुलझाने का आसान विकल्प होना चाहिए, प्रत्येक संविदा पंजीकृत होनी चाहिए, संविदा कृषि में अग्र एवं पश्च लिंकेज होने चाहिए, क्योंकि दोनों अवयवों कृषि निवेशों एवं विपणन सुविधाओं की निश्चितता नहीं होने पर लघु एवं सीमान्त कृषक संविदा कृषि में सहभागी नहीं हो सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, संविदा कृषि में पारदर्शिता एवं व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाये, संविदा कृषकों का संघ, समिति गठित की जाये, जिससे वे सामूहिक सौदेबाजी में सक्षम हो सकें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, बहुत गम्भीर विषय है, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि तत्काल एक घण्टे की चर्चा से मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे पहलू अछूते रह जायेंगे और मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत अच्छे भी विषय होंगे। तो प्रवर समिति सदन की समिति है, आप प्रवर समिति को सौंप दें, समय सीमा निर्धारित कर दें और जो भी प्रवर समिति की संस्तुतियाँ होंगी, उसमें विचार–विमर्श के बाद यदि प्रदेश के हित में कोई बात होगी तो मैं यह सोचता हूँ कि यह सदन सर्वसम्मति से इसे पास कर देगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जिस प्रवर समिति की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार में 5 मंत्रियों की समिति बनी थी और वर्तमान सरकार ने भी इसके लिए एक कमेटी बनाई थी और उन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर यह एक्ट बनाया गया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण श्री किशोर उपाध्याय, श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री मयूख सिंह, श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं श्री राजेश जुवांठा 'वेल' में पूर्ववत् बैठे हुए थे तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े थे और एक साथ अपनी बात कह रहे थे)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन सर्वोच्च है, इस सदन से ऊपर कोई नहीं है। यह सदन सर्वोच्च है, यह कार्य पालिका के भी ऊपर है इस सदन में जो निर्णय होगा मैं सोचता हूँ वह कार्य पालिका के ऊपर होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

('वेल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड 2 से खण्ड 95, खण्ड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011

{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011}

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो–

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली के प्रभावी विनियमन और उनके लिए उचित एवं आधुनिक मण्डी प्रणाली की स्थापना एवं विकास, कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात के उत्थान तथा मण्डियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करने के लिए और इस विषय से सम्बन्धित एवं आनुषंगिक मामलों के लिये

विधेयक

अध्याय–एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये।

2\. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में– परिभाषाएं

(एक) "कृषि उत्पाद" से कृषि, उद्यान–कर्म, पुष्पकर्म, द्राक्षा–कृषि, मधुमक्खी पालन, कोश कीट पालन, मत्स्य संवर्धन, पशुपालन या वन उत्पाद के सभी उत्पादन एवं वस्तुयें, चाहे वह प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं, की ऐसी मदें अभिप्रेत है, जिसको समय–समय पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट करे अथवा घोषित करे और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदो का सम्मिश्रण एवं प्रसंस्कृत मदें भी हैं और इसमें गुड, राब, शक्कर, खाण्डसारी व जगरी भी शामिल होंगे;

(दो) "कृषक अथवा उत्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कृषि उत्पादन को या तो स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उत्पादित करे, पाले–पोसे, किन्तु ऐसे उत्पादक सम्मिलित नहीं है, जो मण्डी कृत्यकारी जैसे–व्यापारी, दलाल या आढतिया के रूप में कार्य करता हो या जो साधारणतया कृषि उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारोबार करता हो;

(तीन) "बिल" से व्यापारी, कमीशन एजेन्ट अथवा आढतियो द्वारा जारी किया गया बिल, जैसा कि विहित हो, अभिप्रेत है;

(चार) "बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा–47 के अधीन गठित "उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड" अभिप्रेत है;

(पॉच) "व्यापार" से क्रय–विक्रय, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन या कृषि उत्पाद से सम्बन्धित क्रिया–कलाप अभिप्रेत है;

(छः) "क्रेता" से वह व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, फर्म या कम्पनी या सहकारी समिति या सरकारी एजेंसी, निगम, व्यापारी, कमीशन एजेन्ट या आढतिया अभिप्रेत है, जो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि या अभिकर्ता के रूप में कृषि उत्पाद को मण्डी क्षेत्र, जो इस अधिनियम द्वारा अधिनियमित हो, से क्रय करता है या क्रय करवाने के लिए सहमत हो;

(सात) "उपविधि" से कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी उपविधि अभिप्रेत है;

(आठ) "केन्द्रीय भण्डारागार निगम" से भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 (अधिनियम संख्या 58 वर्ष 1962) के अधीन स्थापित या स्थापित माना गया केन्द्रीय भण्डारागार निगम अभिप्रेत है;

(नौ) "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" से कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा धारा–36 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(दस) "कलक्टर" से उस जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, जहाँ उस मण्डी क्षेत्र का प्रधान मण्डी स्थल स्थित है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है, जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो;

(ग्यारह) "आयुक्त" से राज्य के ऐसे प्रशासनिक मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है, जहाँ उस मण्डी क्षेत्र का प्रधान मण्डी स्थल स्थित है;

(बारह) "कमीशन एजेन्ट, दलाल या आढ़तिया" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नगदी में हो या वस्तु में, अपने स्वामी की ओर से कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय की संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे स्वामी का सेवक नहीं है भले ही वह ऐसी संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो;

(तेरह) "समिति" से इस अधिनियम के अधीन गठित कृषि उत्पाद मण्डी समिति अभिप्रेत है;

(चौदह) "संविदा कृषि कर्म" से एक व्यक्ति के द्वारा, जिसे 'संविदा कृषि उत्पादक' कहा जायेगा, दूसरे व्यक्ति, जिसे 'संविदा कृषि प्रायोजक' कहा जायेगा, के मध्य इस आशय के लिखित करार, कि उसका कृषि उत्पाद, जैसा कि करार में विशेष रूप से उल्लिखित होगा, क्रय किया जायेगा, के अधीन किये जाने वाले कृषि कार्य अभिप्रेत हैं;

स्पष्टीकरण.– (क) "संविदा कृषि उत्पादक" से वैयक्तिक कृषक अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी नाम से पंजीकृत कृषकों के संगठन अभिप्रेत हैं;

(ख) "संविदा कृषि प्रायोजक" से किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी व्यक्तियों का समूह या निकाय, जो किसी भी नाम से तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन पंजीकृत हो, अभिप्रेत है;

(पन्द्रह) "संविदा कृषि कर्म करार" से संविदा कृषि कर्म हेतु 'संविदा कृषि उत्पादक' एवं 'संविदा कृषि प्रायोजक' के मध्य किये गये लिखित करार अभिप्रेत है;

(सोलह) "सहकारी क्रय–विक्रय समिति" से उत्पादकों की ऐसी सहकारी समिति अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2003) के अधीन पंजीकृत हो, और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि–उत्पादन के विक्रय या क्रय को बढ़ाना हो;

(सत्रह) "नाम–निर्दिष्ट" से राज्य के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नामित/नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(अठारह) "निर्यात" से कृषि उत्पाद को भारत वर्ष के बाहर भेजना अभिप्रेत है;

(उन्नीस) "निर्यातक" से कोई ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है, जो कृषि उत्पादों का निर्यात करे;

(बीस) "प्रथम आवक" से किसी ऐसे अधिसूचित कृषि उत्पादन के विक्रय, संग्रह या संव्यवहार के लिए मण्डी क्षेत्र में पहली बार आवक अभिप्रेत है, जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया हो, चाहे उसे उसी मण्डी क्षेत्र में किसी स्थल से या किसी अन्य मण्डी क्षेत्र से या राज्य या देश के बाहर से लाया गया हो;

(इक्कीस) "आयात" से कृषि उत्पाद को भारत के बाहर से मंगाना अभिप्रेत है;

(बाइस) "आयातक" से वह व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है, जो कृषि उत्पादों का आयात करे;

(तेइस) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(चौबीस) "अनुज्ञप्तिधारी" से किसी ऐसे व्यक्ति, संघ, फर्म, कम्पनी, सार्वजनिक उपक्रम और समिति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो;

(पच्चीस) "स्थानीय निकाय" से उत्तराखण्ड में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, छावनी परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(छब्बीस) "प्रबन्ध निदेशक" से राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध निदेशक के सभी या किसी कृत्य का पालन करने के लिए बोर्ड या प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत हो;

(सत्ताइस) "विपणन" से कृषि उत्पाद प्रवाह से जुड़े ऐसे सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत है, जो फसल के उत्पादन बिन्दु से प्रारम्भ होकर उसके अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचने तक सम्पन्न होते हैं यथा–श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण चैनल और वे अन्य सभी कार्य जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं;

(अट्ठाइस) "मण्डी क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम की धारा–10 के अधीन इस रूप में अधिसूचित हो या जो धारा–11 के अधीन यथा परिवर्तित हो;

(उन्तीस) "मण्डी परिव्यय" से दलाल, तौलक, मापक, पल्लेदार (उतारना–चढ़ाना और ढोना) सफाई, बीनाना, सिलना, ढेर लगाना, भाड़ा, बोरे भरना, संग्रह करना, वर्गीकरण करना, परीक्षण, चट्टे लगाना, मोहर लगाना, परिवहन, प्रसंस्करण आदि पर आने वाला व्यय अभिप्रेत है साथ ही उसमें किसी भी नाम से कहे जाने वाला कोई ऐसा परिव्यय भी सम्मलित है, जो व्यापार या अन्यथा किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या उससे अभिप्रेत किसी कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारी से वसूल किया जा सकता हो या उसको देय हो;

स्पष्टीकरण.– नमूने के क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में, मानक से अन्तर होने के कारण अथवा वास्तविक और मानक बाट या तौल में भिन्नता होने के कारण की गई कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायेगी;

(तीस) "मण्डी कृत्यकारी" से व्यापारी, दलाल, प्रसंस्करणकर्ता, संग्रहकर्ता एवं ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो इस अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अधीन घोषित किये गये हों;

(इकतीस) "सदस्य" से समिति के सदस्य अभिप्रेत है;

(बत्तीस) "अन्य पिछड़े वर्गों" से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची "एक" में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;

(तैंतीस) "पल्लेदार" से ऐसे श्रमिक अभिप्रेत है, जो किसी कृषि उत्पादन का ढेर बनाने, कृषि उत्पादन को लादने, उतारने, भरने या खाली करने अथवा ढोने के कार्य में लगाया गया हो;

(चौंतीस) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(पैंतीस) "प्रधान मण्डी स्थल" से मण्डी क्षेत्र का ऐसा भाग अभिप्रेत है, जो धारा 11 के अधीन इस रूप में घोषित हो;

(छत्तीस) "निजी मण्डी स्थल" से मण्डी क्षेत्र में अवस्थित मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल से इतर कोई ऐसा स्थल अभिप्रेत है, जहां किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत इस हेतु अनुज्ञप्ति दी गई हो, द्वारा अधिसूचित कृषि उत्पादों के विपणन के लिए अवस्थापना सुविधाएं सृजित अथवा विकसित की गई हो;

(सैंतीस) "प्रसंस्करण" से प्रक्रियाओं की श्रृंखला की एक या अधिक प्रक्रिया जैसे चूर्ण करना, पीसना, दाने निकलना, भूसी अलग करना, आधा पकाना, चमकाना, बिनौला अलग करना, दबाना, संसाधित या अन्य शारीरिक, यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिससे कृषि उत्पादन या उसके उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाये;

(अड़तीस) "प्रसंस्करण कर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अधिसूचित कृषि उत्पादन का स्वयं के लिए अथवा भुगतान के विरुद्ध प्रसंस्करण करता है;

(उनतालीस) "क्रय" से वस्तु विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम दी धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल की प्राप्ति भी अभिप्रेत है;

(चालीस) "पंजीकरण" से इस अधिनियम के अन्तर्गत कराये गये पंजीकरण अभिप्रेत हैं;

(इकतालिस) "विनियम" से इस अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(बयालिस) "फुटकर विक्रय" से ऐसे उत्पादन के ऐसे परिमाण का विक्रय अभिप्रेत है, जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उप विधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय सीमा से अधिक न हो;

(तैंतालिस) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(चवालीस) "विक्रय" से वस्तु विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम दी गई धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप भी अभिप्रेत है;

(पैंतालिस) "अनुसूचित जाति" एवं "अनुसूचित जनजाति" से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–366 के खण्ड (24) एवं (25) में क्रमशः समानुदेशित अर्थ अभिप्रेत है;

(छियालिस) "द्वितीय आवक" से ऐसा कृषि उत्पाद, जो किसी मण्डी क्षेत्र में उसके विक्रय के लिए पहली बार सौदा करने के पश्चात् अग्रेतर सौदे के लिए मण्डी क्षेत्र में लाया गया है, अभिप्रेत है;

(सैंतालिस) "विक्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कृषि उत्पाद को बेचता है या बेचने के लिए राजी होता है;

(अड़तालिस) "विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद" से इस अधिनियम की धारा–4 के अधीन अधिसूचित या धारा–12 के अधीन यथा रूपान्तरित कृषि उत्पाद अभिप्रेत है;

(उनचास) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(पचास) "राज्य भाण्डारागार निगम" से उत्तराखण्ड का राज्य भण्डारागार निगम अभिप्रेत है;

(इक्यावन) "उप मण्डी स्थल" से मण्डी क्षेत्र का ऐसा भाग अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम की धारा–11 के अधीन इस रूप मे घोषित हो;

(बावन) "व्यापारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अपने सामान्य व्यापारिक कार्यों के दौरान किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद को खरीदता है या बेचता है। इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण करता हो, लेकिन उसमें कृषक शामिल नहीं है;

(त्रेपन) "परिवहन" से व्यापार के सिलसिले में विपणन हेतु कृषि उत्पादों को ठेले, बैलगाड़ी, ट्रक या अन्य वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अभिप्रेत है;

(चौवन) "परिवाहक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कृषि उत्पादों का परिवहन करता है;

(पचपन) "मूल्य वर्धन" से प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, पैकिंग अथवा अन्य ऐसी संक्रिया अभिप्रेत है, जिससे कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की जाती है;

(छप्पन) "गाँव" से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1951) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) समानुदेशित अर्थ अभिप्रेत है;

(सतावन) "तोलने या मापने का यंत्र" से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 5 वर्ष 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) मे यथा परिभाषित, तोलने का यंत्र या मापक यंत्र अभिप्रेत है;

(अठावन) ''तोलक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के सौदे के सम्बन्ध में तोलने का काम करता है;

(उनसठ) ''बाट या माप'' से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रवलन) अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में यथा परिभाषित व्यापारिक बाट या माप अथवा मानक बाट या माप अभिप्रेत है;

(साठ) ''थोक सौदा'' से किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, थोक सौदों से उस उत्पादन के ऐसे परिणाम का क्रय और विक्रय अभिप्रेत है, जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उप विधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो;

(इकसठ) ''जिला पंचायत'' से उस जिले की जिला पंचायत अभिप्रेत है, जिसके क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल स्थापित है।

अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति

3. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की किसी मद को बढ़ा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे निकाल सकती है और उसके पश्चात् अनुसूची तदनुरूप संशोधित हो जायेगी।

अध्याय दो

मण्डी की स्थापना

किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादों के क्रय और विक्रय को विनियमित और नियंत्रित करने के आशय की घोषणा

4. यदि राज्य सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादों के क्रय और विक्रय को विनियमित किया जाए एवं उस प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र घोषित किया जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाय, ऐसे क्षेत्र की ऐसी तारीख से, जो अधिसूचित की जाय, इस अधिनियम के अधीन मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी।

मण्डी क्षेत्र की घोषणा तथा विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन का विकास एवं विनियमन

5. धारा-4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात् और ऐसी आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी जाँच, यदि कोई हो जो आवश्यक हो, करने के पश्चात् राज्य सरकार अन्य अधिसूचना द्वारा धारा-4

के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र या उसके किसी भाग को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र के रूप में घोषित करेंगे और धारा–4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के विपणन को इस अधिनियम के अधीन ऐसी मण्डी क्षेत्र में विकसित एवं विनियमित किया जायेगा।

6. (1) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है.– *मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड, किसान/उपभोक्ता, किसान मण्डी और निजी मण्डी*

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित मण्डी यार्ड;

(ख) मण्डी समिति द्वारा प्रबन्धित एक या एकाधिक उप मण्डी यार्ड;

(ग) मण्डी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित एक या एक से अधिक निजी मण्डी यार्ड/निजी मण्डियाँ;

(घ) मण्डी समिति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित एक या एक से अधिक किसान/उपभोक्ता मण्डियाँ।

(2) राज्य सरकार यथासम्भव शीघ्र धारा–4 के अधीन अधिसूचना द्वारा, मण्डी क्षेत्र में स्थित किसी संरचना, अहाते, खुली जगह, मुहल्ले को यार्ड या उप मण्डी यार्ड, जैसी भी स्थिति हो, घोषित कर सकती है।

7. धारा–11 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उस क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करेगी, जिसे मण्डी क्षेत्र से अलग किया जाना है या जिसे मण्डी क्षेत्र में समामेलित कर एक बनाया जाना है या विद्यमान मण्डी क्षेत्र को विघटित करने के बाद प्रत्येक मण्डी के जिस क्षेत्र को लेकर एक मण्डी बनाई जानी है, या विस्थापित की जाने वाली मण्डी का क्षेत्र, जैसी स्थिति हो, अधिसूचना में वह अवधि भी विनिर्दिष्ट की जायेगी, जिसके दौरान उठाई गई कोई आपत्ति यदि होगी तो उस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। यह अवधि छः सप्ताह से अधिक नहीं होगी। *किसी मण्डी को विस्थापित करने के लिए मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने, उन्हें समामेलित करने या विघटित करने के आशय की सूचना*

8. (1) धारा–10 के अधीन जारी अधिसूचना में उल्लिखित मण्डी क्षेत्र या अधिसूचना से प्रभावित इलाके या कोई निवासी, उक्त अधिसूचना में सम्बन्धित उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई अवधि के दौरान, उसमें दी गई किसी बात पर आपत्ति उठा सकता है या लिखित आपत्ति राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है। *धारा–6 के अधीन जारी अधिसूचना के बाद की प्रक्रिया*

(2) जब उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि बीत चुकी हो और निर्धारित अवधि के दौरान प्रस्तुत आपत्तियों पर, राज्य सरकार के विचार के बाद आदेश पारित किया गया हो तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है.–

(क) किसी क्षेत्र को या उसके किसी हिस्से को मण्डी क्षेत्र में शामिल करना या उससे हटाना;

(ख) समामेलित मण्डी क्षेत्र के लिए नई मण्डी समिति गठित करना; या

(ग) विद्यमान मण्डी क्षेत्र को विभाजित करना और ऐसे क्षेत्र के लिए, जैसी स्थिति हो, दो या अधिक मण्डी समितियाँ गठित करना; या

(घ) मण्डी को विस्थापित करना; और

(ङ) मण्डी में विनियमित की जाने वाली कृषि उपज की संशोधित सूची प्रकाशित करना।

सीमाओं में परिवर्तन का प्रभाव

9. जहाँ धारा–11 के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा मण्डी क्षेत्र का कोई हिस्सा अलग किया गया हो और ऐसे क्षेत्र के किसी दूसरे मण्डी क्षेत्र में शामिल किया गया हो तो राज्य सरकार सम्बन्धित मण्डी समिति से विचार–विमर्श करने के बाद यह निश्चित करने के लिए योजना तैयार करेगी कि एक मण्डी समिति में न्यस्त परिसम्पत्तियों और सम्पत्ति का कितना हिस्सा दूसरी मण्डी समिति में न्यस्त किया जायेगा और मण्डी समिति के उत्तरदायित्वों को किस विधि से दो मण्डी समितियों के बीच बाँटा जायेगा और ऐसी योजना गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

सीमाओं में परिवर्तन, समामेलन या विभाजन पर मण्डी समितियों के गठन आदि के सम्बन्ध में पारिणामिक आदेश जारी करने का राज्य सरकार का अधिकार

10. (1) धारा–12 के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने के बाद राज्य सरकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे पारिणामिक आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जारी कर सकती है.–

(क) जहाँ धारा–12 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी मण्डी क्षेत्र से कोई क्षेत्र अलग किया गया हो और ऐसे अलग हुए क्षेत्र को पृथक मण्डी क्षेत्र घोषित न किया गया हो या उपधारा (2) के अधीन

जारी अधिसूचना द्वारा मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई क्षेत्र शामिल किया गया हो तो, ऐसे बहिर्वेशन और अन्तर्वेशन की तारीख से पहले ऐसे मण्डी क्षेत्र के लिए गठित मण्डी समिति, इस अधिनियम में शामिल किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन ऐसी मण्डी समिति का पुनर्गठन होने तक, उक्त मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति के रूप में कार्य करती रहेगी;

(ख) विघटित मण्डियों का समामेलन होने के मामले में, प्रभारी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे–

(एक) एक अध्यक्ष, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(दो) कृषकों के दस प्रतिनिधि, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(तीन) व्यापारियों का एक प्रतिनिधि, जिसे सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(चार) मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी मण्डी समिति का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(पाँच) जिले में कार्यरत कृषि/सहकारिता विभाग का एक अधिकारी, जिसे कलक्टर की सिफारिश पर नामित किया जायेगा;

(छः) मण्डी समिति से लाईसेंस प्राप्त और मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रहे तौलकर्ताओं और पल्लेदारों का एक सदस्य, जिसे पल्लेदार और तौलकर्ताओं की पंजीकृत यूनियन द्वारा नामित किया जायेगा;

(सात) समिति मुख्यालय के स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि (नगरपालिका/महानगर पालिका, पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो) का अध्यक्ष।

(ग) विघटित मण्डी समितियों के मामले में, प्रत्येक के लिए एक अध्यक्ष, कृषकों के दस प्रतिनिधि और व्यापारियों

के एक प्रतिनिधि को मिलाकर प्रभारी समिति गठित की जायेगी; बशर्ते कि–

(एक) विघटित मण्डी समिति के अध्यक्ष को, नई स्थापित मण्डी समिति, जिसका वह मतदाता है, का अध्यक्ष नामित किया जाएगा और दूसरी मण्डी समिति के लिए सरकार, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नामित करेगी, जिसके पास धारा–17 की उपधारा (3) में निर्धारित योग्यताएं हों;

(दो) विघटित मण्डी समिति के कृषकों के एक प्रतिनिधि को उस नई स्थापित मण्डी समिति के सदस्य के रूप में, जो धारा–17 की उपधारा (3) में निर्धारित अर्हता रखते हो तथा उस मण्डी क्षेत्र का स्थायी निवासी हो, राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(तीन) विघटित मण्डी समिति के व्यापारियों के प्रतिनिधि को उस नई स्थापित मण्डी समिति, जिसका वह स्थायी निवासी हो, का सदस्य नामित किया जायेगा और दूसरी मण्डी समिति के लिए सरकार ऐसे अनुज्ञप्तिधारी प्रतिनिधि को नामित करेगी, जो धारा–17 की उपधारा (1) में निर्धारित अर्हताएं रखता हो;

(चार) मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार (जो ऐसी सोसायटी की प्रबन्ध समिति द्वारा चुना जायेगा) द्वारा नामित किया जायेगा;

(पाँच) कलेक्टर की सिफारिश पर जिले में कार्यरत कृषि विभाग का एक अधिकारी;

(छः) तौलकर्ताओं/पल्लेदारों का एक सदस्य, पल्लेदारों और तौलकर्ताओं की पंजीकृत यूनियन द्वारा नामित किया जायेगा;

(सात) उन स्थानों पर, जहाँ मण्डी समिति स्थित है, स्थानीय प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि (नगर पालिका / महा-नगरपालिका / पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष);

(आठ) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रभारी समिति, प्रबन्ध निदेशक के नियंत्रण में रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी।

(2) धारा-16 के उपबन्ध, उपधारा 1) के अधीन गठित मण्डी समिति पर लागू होंगे, क्योंकि वे पहली बार स्थापित होने वाली मण्डी समिति पर लागू होते हैं।

11. राज्य सरकार, जहाँ लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा- (प्रधान मण्डी स्थल उप मण्डी स्थल एवं निजी मण्डी स्थल की सीमाओं में परिवर्तन की घोषणा)

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या विद्यमान प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल को उत्सादित कर सकती है और नये प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल घोषित कर सकती है;

(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सभी या कृषि उत्पाद में से थोक संव्यवहार उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल के भीतर केवल किसी विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किये जायेंगे।

12. (1) राज्य सरकार, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाय तथा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से- (मण्डी क्षेत्र में परिवर्तन और कृषि उत्पादों की सूची में उपान्तरण)

(क) धारा-3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची में कोई कृषि उत्पाद सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई कृषि उत्पाद निकाल सकती है;

(ख) धारा–4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई क्षेत्र निकाल सकती है;

(ग) धारा–4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी मण्डी क्षेत्र को एक से अधिक पृथक मण्डी क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है;

(घ) धारा–4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दो या अधिक मण्डी क्षेत्रों को एक मण्डी क्षेत्र में आमेलित कर सकती है;

(ङ) यह घोषणा कर सकती है कि धारा–4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा।

(2) जब मण्डी समिति के कार्यकाल के दौरान मण्डी क्षेत्रों की सीमाओं में, जिसके लिए वह स्थापित की गयी हो, उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन परिवर्तन किया जाये तो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे.–

(क) मण्डी समिति विघटित हो जायेगी और उसके सदस्य ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार, परिष्कृत या नव निर्मित मण्डी क्षेत्र के लिए एक नई मण्डी समिति संघटित की जायेगी;

(ग) किसी विघटित मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों, संविदाओं, करारों अथवा किसी अन्य विषय या बात से सम्बन्धित विघटित मण्डी समिति की सम्पूर्ण सम्पत्ति यथा आस्तियां तथा सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें उस भाग पर अधिकारिता रखने वाली नई मण्डी समिति में निहित और उसको अन्तरित हो जायेगी।

(3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन कोई मण्डी–क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र नहीं रह जाता, वहाँ अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे–

(क) मण्डी समिति विघटित हो जायेगी और उसके सदस्य ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) उसमें स्थापित प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल, यदि कोई है, उस रूप में नहीं रह जायेंगे;

(ग) मण्डी समिति निधि की व्यय न की गयी शेष धनराशि और मण्डी समिति की अन्य आस्तियाँ तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे;

परन्तु यह कि राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार निहित आस्तियों के मूल्य से अधिक नहीं होगा।

मण्डी क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव

13. (1) किसी क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र घोषित किये जाने की तारीख से कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति, सम्बद्ध समिति द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के सिवाय, मण्डी क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय, क्रय या भण्डारण या तौलने या उस पर प्रसंस्करण करने के लिये किसी स्थान की न स्थापना करेगा, न उसे बनाये रखेगा और न ही उसकी स्थापना करने या उसे बनाये रखने की अनुमति देगा, भले ही किसी अन्य विधि, रुढ़ि, प्रथा या करार में कोई विपरीत बात अन्तर्विष्ट हो;

परन्तु यह कि इस उपधारा के उपबन्ध, स्वयं किसी उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले पोसे या प्रसंस्कृत किये गये कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में, या ऐसे व्यक्ति पर, जो अपने घरेलू उपभोग के लिये किसी कृषि उत्पाद को क्रय अथवा भण्डारित करता हो, लागू नहीं होंगे।

(2) कोई व्यक्ति, सम्बद्ध समिति से उसके लिए प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के सिवाय, किसी प्रधान मण्डी स्थल या किसी उपमण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल में किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, गोदाम परिचालक, तौलक, पल्लेदार या किसी ऐसी अन्य हैसियत में, जो विहित की जाय, न तो कारोबार करेगा और न काम करेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में, जिसे किसी बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा दी गई धनराशि के लिये प्रतिभूति के रूप में गिरवी या दृष्टिबन्धक रखा जायें, लागू नहीं होंगे।

नियमों या उपविधियों द्वारा यथाविहित के सिवाय कोई व्यापार प्रभार अनुज्ञेय न होना

14. (1) उस तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, कोई व्यक्ति प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा विहित व्यापार प्रभारों से भिन्न कोई व्यापारिक प्रभार न तो उदगृहीत करेगा, न प्रभारित करेगा, और न ही वसूल करेगा तथा कोई न्यायालय, किसी ऐसे संव्यवहार से उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दावे या प्रति दावे में कोई व्यापार प्रभार, जो इस प्रकार विहित न हो, अनुज्ञात नहीं करेगा।

(2) विक्रय संव्यवहार से पूर्व के सभी व्यापार प्रभारों का वहन विक्रेता द्वारा किया जायेगा और उसके पश्चात् उपगत प्रभारों का भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा।

मण्डी स्थलों/निजी मण्डी स्थलों उप मण्डी स्थलों से सम्बद्ध कतिपय उपबन्धों का मण्डी क्षेत्र शेष भाग में लागू होना

15. राज्य सरकार, यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जायें, यह घोषणा कर सकती है कि धारा-7 की उपधारा (2) और धारा-8 के उपबन्ध, प्रधान मण्डी स्थल और उप मण्डी स्थलों एवं निजी मण्डी स्थल के बाहर के मण्डी क्षेत्र के, अधिसूचना में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, सम्पूर्ण या किसी भाग पर भी लागू होंगे और तदुपरान्त उक्त उपबन्ध, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से तदनुसार लागू होंगे, और प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल से सम्बद्ध इस अधिनियम के शेष उपबन्ध भी, उसी तारीख से, यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस प्रकार विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू होंगे।

अध्याय तीन

मण्डी समिति का गठन

मण्डी समिति की स्थापना और उसका निगमन

16. (1) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के लिए, मण्डी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति होगी, जिसकी अधिकारिकता सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र पर होगी।

(2) ऐसी प्रत्येक मण्डी समिति शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली ऐसे नाम से एक निगमित निकाय होगी, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यह उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अधिरोपित ऐसे निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, अपने निगमित नाम से वाद लायेगी या उस पर वाद लाया जायेगा। यह, संविदा करने और कोई सम्पत्ति अर्जित करने, पट्टे पर देने, विक्रय करने या अन्यथा अन्तरित करने और उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए यह स्थापित की गई है, आवश्यक अन्य सभी बातें करने के लिए सक्षम होगी।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मण्डी समिति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझी जायेगी;

परन्तु यह कि समिति किसी स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण, अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन–चौथाई बहुमत द्वारा समिति की किसी बैठक में सम्यक रूप से पारित संकल्प के अनुसार तथा बोर्ड के लिखित पूर्व अनुमोदन के सिवाय, नहीं करेगी।

17. (1) धारा–16 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा, जैसी विहित की जाये :– मण्डी समिति का गठन

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या उनमें से किसी के भाग और मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली नगरीय स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि;

(ख) प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या उनमें से किसी के भाग और मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि और क्षेत्र पंचायतों का एक प्रतिनिधि;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त सहकारी विपणन समितियों का एक प्रतिनिधि;

(घ) मण्डी क्षेत्र भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त आढ़तियों का एक प्रतिनिधि;

(ङ) मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों का एक प्रतिनिधि;

(च) मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के सात प्रतिनिधि;

(छ) मण्डी क्षेत्र का एक व्यक्ति, जो उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ज) दो सरकारी पदधारी, जिनमें से एक व्यापार कर विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा;

(झ) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नाम–निर्दिष्ट व्यक्तियों में से–

(क) दो सदस्य किसी ऐसी ग्राम पंचायत के निवासी होंगे, जिसका मण्डी क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार हो;

(ख) पाँच सदस्य मण्डी क्षेत्र में कोई ऐसे उत्पादक विक्रेता होंगे, जो समिति से पिछले तीन वर्षों का प्रपत्र संख्या–6 में विक्रय वाउचर प्राप्त किये हो, जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा और दूसरा सदस्य नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से होगा।

(3) प्रत्येक समिति में, उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष और समिति के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक उपाध्यक्ष होगा।

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन संगठित समिति का कार्यकाल उपधारा (6) के अधीन समिति के संगठन के प्रकाशन के दिनांक से दो वर्ष का, यदि राज्य सरकार द्वारा उससे पूर्वतर समाप्त न कर दिया जाये, होगा;

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा,

(ग) कोई अशासकीय सदस्य, यदि वह समिति का लाइसेन्सधारी न रह गया हो या समिति में यथास्थिति, अन्यथा व्यापारी या आढ़ती के रूप में कार्य न करता हो, अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन नाम–निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, नाम–निर्देशन के 21 दिन के भीतर, प्रबन्ध निदेशक के यहाँ रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन संगठित समिति के संगठन को प्रबन्ध निदेशक द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से गजट में विज्ञप्ति किया जायेगा।

(7) राज्य सरकार, जहाँ वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, विज्ञप्ति द्वारा समिति का कार्यकाल एक बार में छः माह से अनधिक अवधि के लिये बढ़ा सकती है, किन्तु ऐसी वृद्धि की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(8) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा या उसके ओर से किये गये किसी कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उप सभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम–निर्दिष्ट होने के लिए किसी अर्हता का अभाव था, या उसके नाम–निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या इस आधार पर कि समिति में कोई रिक्ति या उसके संगठन में कोई अन्य त्रुटि हुई, आपत्ति नहीं की जायेगी।

18. (1) समिति का कोई सदस्य सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है। त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस दिनांक को इसे प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन से सभापति द्वारा स्वीकार किया जाये। कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का त्याग पत्र और नाम निर्देशन

(2) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने त्याग–पत्र दिया है, की रिक्तियों को भरने के लिए सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से व्यक्तियों को नाम–निर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट किये गये व्यक्ति समिति के अवशिष्ट कार्यकाल तक के लिये पदधारण करेंगे।

समितियों के सदस्यों, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का हटाया जाना

19. राज्य सरकार, प्रबन्ध निदेशक की सिफारिश पर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सहित किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह अपने अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा या कदाचार का या किसी अमर्यादित आचरण का दोषी पाया गया हो या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया हो या दिवालिया निर्णीत कर दिया गया हो और ऐसे सदस्यों की रिक्ति, यथास्थिति, धारा 17 की उपधारा (3) या धारा–18 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी;

परन्तु यह कि ऐसा कोई सदस्य पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि उसे सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर न दे दिया जाये।

समिति का निलम्बन

20. जहाँ प्रबन्ध निदेशक का यह समाधान हो जाये कि–

(क) कोई समिति जानबूझकर अपने कृत्यों के सम्पादन या अपने कर्तव्यों के पालन में विफल हो गयी हो, या इस अधिनियम या उसने किसी अन्य अधिनियमिति के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का अधिक्रमण किया हो या दुरूपयोग किया हो,

(ख) समिति के जारी रहने या उसके कार्य करते रहने से लोक व्यवस्था बनाये रखने पर या विपणन क्षेत्र या उसके भाग या अन्य विपणन क्षेत्रों में समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, और

(ग) ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, समिति के कार्य को छः माह की अवधि तक के लिए निलम्बित कर सकता है।

निलम्बन के परिणाम

21. (1) जहाँ कोई समिति धारा–20 के अधीन निलम्बित कर दी जाये, वहाँ उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होंने निलम्बन अवधि तक अपना–अपना पद रिक्त कर दिया और समिति की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन और सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जो ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन या तो स्वयं या ऐसे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, कर सकता है।

(2) जहाँ परिस्थितियों के अनुसार समुचित आधार हो, वहाँ प्रबन्ध निदेशक, समिति के विघटन के लिए निलम्बन की तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज सकता है।

(3) प्रबन्ध निदेशक, राज्य सरकार को धारा–20 के अधीन निलम्बन के विषय में तत्काल रिपोर्ट करेगा और यदि कोई विपरीत निदेश या आदेश प्रबन्ध निदेशक को राज्य सरकार से 15 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो, निलम्बन प्रथम आदेश में निदेशित अवधि के लिये जारी रहेगा अन्यथा वह उक्त मामले में राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

22. यदि किसी समय राज्य सरकार का, प्रबन्ध निदेशक की रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाये कि किसी समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, या समिति के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अपनी शक्तियों का अधिक्रमण किया है या उनका दुरूपयोग किया है, तो वह उन निमित्त कारणों का उल्लेख करते हुए, आदेश द्वारा, समिति को सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा विघटित कर सकती है। समिति का विघटन

स्पष्टीकरण–1. "जानबूझकर किये गये व्यतिक्रम" का तात्पर्य समिति से उद्भूत कर्तव्यों का पालन करने में विफलता, उस कर्तव्य का पालन में रजामन्दी का अभाव या उसकी अनिच्छा से है और ऐसी विफलता किसी घटना या अनवधानता से हुई त्रुटि का परिणाम नहीं होनी चाहिए।

2. कारणों को उल्लिखित करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कारण, जिन्होंने कार्यवाही के लिए प्रेरित किया है, राज्य सरकार में निहित शक्ति की विषयवस्तु और परिधि के सन्दर्भ में वास्तविक और सुसंगठित है।

23. समिति के विघटन पर– विघटन के परिणाम

(1) समिति के सभी सदस्यों, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं, के बारे में यह समझा जायेगा कि वे विघटन के दिनांक से अपने पद रिक्त कर चुके हैं।

(2) कलक्टर समिति का प्रशासक बन जायेगा और जब तक धारा–17 के अधीन नई समिति का गठन नहीं हो जाता है वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उप-सभापति और समिति की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

प्रथम समिति या नयी समिति का गठन

24\. (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के या धारा–12 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नयी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से करेगी जो राज्य सरकार की राय में धारा–17 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विभिन्न स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त हो।

(2) प्रथम समिति का कार्यकाल, उपधारा (1) के अधीन उसके संगठन के दिनांक से एक वर्ष होगा, किन्तु राज्य सरकार लोक हित में उसका कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है अथवा और आगे बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया अथवा आगे बढ़ाया गया कार्यकाल धारा–17 के अधीन समिति के संगठन के दिनांक को समाप्त हो जाये।

(3) प्रथम समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ निश्चित की जाये, किन्तु प्रथम समिति के कार्यकाल से अधिक न होगी।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

25\. यदि किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण अथवा अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाती है तो उसे उसी वर्ग के व्यक्ति से राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा, जिस वर्ग का वह व्यक्ति रहा हो, और इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट या नियुक्त व्यक्ति, उस व्यक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिसकी रिक्ति में वह सदस्य हुआ हो;

परन्तु यह कि छः मास से अनधिक अवधि की कोई रिक्ति, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा आदेश दिया जाये, तो भरी नहीं जायेगी।

समिति के कृत्य और कर्तव्य

26\. (1) समिति, मण्डी क्षेत्र में इस अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को प्रभावी करेगी,

उसमें अधिसूचित कृषि उत्पादों के क्रय तथा विक्रय के लिए ऐसी सुविधाओं की, जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर समिति को दिए गये किसी निर्देश में विनिर्दिष्ट की जायें अथवा समिति द्वारा आवश्यक समझी जायें, व्यवस्था करेगी और ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो उस मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उत्पादों के क्रय और विक्रय और नीलामी को विनियमित करने के लिए आवश्यक हो, और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी, जिनका इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाये।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति–

(एक) अधिसूचित कृषि उत्पादों के विक्रय और क्रय में लगे उत्पादकों और व्यक्तियों के बीच निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करेगी;

(दो) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थलों में विक्रेताओं द्वारा बिक्री किये गये अधिसूचित कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में विक्रेताओं को तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी;

(तीन) अधिसूचित कृषि उत्पादों का वर्गीकरण या मानकीकरण करेगी,

(चार) मण्डी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बाटों, मापों और तौलने तथा मापन उपकरणों की जाँच और सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश बाट उपकरणों की जाँच और सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1959 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5, वर्ष 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के उपबन्ध के उल्लंघन की रिपोर्ट सम्बद्ध प्राधिकारियों को देगी;

(पाँच) ऐसी समस्त सूचना का संग्रह और प्रचार करेगी, जो अधिसूचित कृषि उत्पादों के विक्रय, क्रय में

लगे उत्पादकों और अन्य व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो, और विशेष रूप से, ऐसे कृषि उत्पादों के, उन स्थानों में प्रचलित मूल्यों की सूचना रखेगी, जहाँ उसका निर्यात लाभप्रद हो अथवा जहाँ से उसका सम्बद्ध मण्डी क्षेत्र में आयात करना मितव्ययिता पूर्ण हो;

(छ:) व्यापारिक परिव्ययों, मण्डी परिपाटियों और अधिसूचित कृषि उत्पादों के क्रय और विक्रय की पारम्परिक प्रथाओं को स्थिर और विनियमित करेगी;

(सात) प्रधान मण्डी स्थल और उपमण्डी स्थलों में उत्पादकों के लिये, वहाँ पर क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हुए व्यक्तियों के लिए उचित सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और विशेष रूप से सड़कों, मार्गों, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों, दुकानों, आश्रय स्थानों, अड्डों, संग्रह–स्थानों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी अन्य सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करेगी, जो इस निमित्त विहित की जाए;

(आठ) मण्डी क्षेत्र में हाट और पैंठ एवं संग्रह केन्द्रों के समुचित विकास और उनमें क्रय और विक्रय के सौदों में लगे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगी;

(नौ) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को संवर्धित एवं प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक पद्धति को स्थापित कर सकेगी, अवसरचना का सृजन कर सकेगी और इस हेतु आवश्यक अन्य क्रिया कलापों और कार्यों का जिम्मा ले सकेगी;

(दस) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, मार्गों, जीप चलने योग्य सड़कों, रज्जुमार्गों, खच्चर पथ, पुलियों और जल कुण्डों का निर्माण और हैण्ड पम्पों का निर्माण और उनकी मरम्मत तथा अनुरक्षण की व्यवस्था करेगी;

(ग्यारह) कृषि उपज में मूल्य वर्धन के लिए क्रिया कलापों सहित कृषि प्रसंस्करण का उन्नयन करेगी तथा इस हेतु जिम्मा लेगी;

(बारह) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थलों में अनुज्ञप्ति धारियों में आपस में या अनुज्ञप्ति धारियों तथा उन व्यक्तियों के बीच, जो क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हैं, के सम्बन्ध में, सभी विवादों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी;

(तेरह) यथाविहित रूप में लेखा तैयार करेगी और उनकी लेखापरीक्षा करायेगी;

(चौदह) वार्षिक बजट तैयार करेगी, जिसमें आगामी वर्ष के सभी अग्रिम धन, ऋण, अनुदान और किये जाने वाले व्यय के प्राक्कलन दिखाये जायेंगे तथा जिसमें उसके द्वारा राज्य सरकार, बोर्ड अथवा राज्य के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त किसी वित्तीय संस्था से, जिसके अन्तर्गत कोई सहकारी बैंक भी है, (जिसे इसे इसके पश्चात् मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था कहा गया है) से लिए गये ऋण पर या उनके द्वारा उसे दिये गये अग्रिम धन पर ब्याज के भुगतान की या ऐसे ऋण के प्रति उसके प्रतिदाय की व्यवस्था की जायेगी और उक्त बजट बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी;

(पन्द्रह) ऐसे निर्माण कार्यों, जो प्रधान मण्डी स्थल तथा उपमण्डी स्थलों में करने का उसका प्रस्ताव हो, की योजनायें और प्राक्कलन तैयार करायेगी और उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) के अधीन भूमि अर्जन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी;

(सोलह) अपने मामलों से सम्बन्धित अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कोई वाद, कार्यवाही या कारवाई चलायेगी या उसका प्रतिवाद करेगी;

(सत्रह) अपनी मुहर, लेखा पुस्तिका तथा अन्य अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा और उनके रख–रखाव की व्यवस्था करेगी;

(अठारह) प्रधान मण्डी स्थल तथा उपमण्डी स्थलों में प्रवेश करने तथा उनका उपयोग करने को नियंत्रित व विनियमित करेगी;

(उन्नीस) ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का सम्पादन करेगी, जो बोर्ड या प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित किये जायें;

(बीस) अधिसूचित कृषि उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिये सभी सम्भव कार्य करेगी;

(इक्कीस) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा नियत न्यूनतम समर्थन कीमत से नीचे क्रय और विक्रय के निवारण के लिए उपाय करेगी;

(बाईस) मण्डी समिति में निहित प्रधान मण्डी स्थल और उप मण्डी स्थलों में व्यक्तियों और वाहनों का प्रवेश और यातायात विनियमित करेगी;

(तेईस) उन व्यक्तियों पर वाद चलायेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और उपविधियों का उल्लंघन करेंगे और ऐसे अपराधों का शमन करेगी;

(चौबीस) यदि क्रेता/विक्रेता ने, जैसी भी स्थिति हो, मजदूर और हमाल या पल्लेदार का प्रभार नहीं दिया है, तो उसे वसूल करेगी और तोलक, हमाल/पल्लेदारों को वितरित करेगी;

(पच्चीस) मण्डी में स्थिरता बनाये रखने की दृष्टि से–

(क) कृषकों को कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए किराये पर भण्डारण सुविधा प्रदान करेगी;

(ख) कृषि उत्पादों की पैकेजिंग सुविधा, पैकेजिंग प्रभार लेकर, प्रदान करेगी।

(छब्बीस) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005) की धारा–4 की

उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथाविहित मैनुवल तैयार करेगी तथा जनता के निरीक्षण के लिए उन्हें कार्यालय में रखेगी तथा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक मैनुवलों को अद्यतन करेगी; और

(सत्ताईस) समय-समय पर कृषि उत्पादों की यथाविहित दरों का, जो मण्डी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाये गये हैं, प्रकाशन एवं परिचालन करेगी।

27. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी; अर्थात् :- समिति की शक्तियां

(क) इस अधिनियम के अधीन ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर तथा ऐसे निबंन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अनुज्ञप्ति जारी या नवीकृत करना अथवा उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे अनुज्ञप्ति को जारी या नवीकृत करने से इन्कार करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करना;

परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व, समिति उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देगी;

(ग) (एक) अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीनीकरण करने के लिए ऐसे फीस उद्ग्रहीत करना, जो विहित किए जायें, और

(दो) मण्डी फीस, जो मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विक्रय के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादों की कीमत पर एक प्रतिशत से कम और ढाई प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और विकास उपकर, जो ऐसे सौदों पर इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन की कीमत के कम से कम आधा प्रतिशत और ढाई प्रतिशत से अधिक न हो, की दर पर, लगाना और उद्ग्रहीत करना। ऐसी फीस या विकास उपकर निम्नलिखित रीति से उद्ग्रहीत किया जायेगा :-

(अ) यदि उत्पाद आढ़तिया के माध्यम से बेचा जाय तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी फीस और विकास उपकर वसूल कर सकता है और क्रेता, समिति को उसका भुगतान करने के लिए दायी होगी;

(आ) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पाद क्रय करे, तो वह व्यापारी समिति को मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

(इ) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पाद क्रय करे, तो उत्पाद बेचने वाला व्यापारी, उस क्रेता से मण्डी फीस और विकास उपकर उद्गृहीत कर सकेगा और वह समिति को मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

परन्तु यह कि यदि केवल क्रेता ही अनुज्ञप्तिधारी हो तो वह मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा;

(ई) ऐसे उत्पाद के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी फीस और विकास उपकर को भुगतान करने के लिए दायी होगा;

परन्तु यह कि किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी फीस या विकास उपकर अधिरोपित नहीं किया जायेगा और न संग्रहित किया जायेगा, यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को केवल अपने घरेलू उपयोग के लिए किया जाय;

परन्तु यह और कि उत्पाद का विक्रेता, विकास उपकर का भुगतान करने के दायित्व से इस आधार पर, कि उसने विकास उपकर क्रेता से वसूल नहीं किया है, मुक्त न होगा।

(तीन) ऐसे कृषि उत्पाद को, जो उत्तराखण्ड राज्य में किसी अन्य राज्य से अथवा देश के बाहर से प्रथम बार विक्रय, भण्डारण, प्रक्रिया या संव्यवहार के लिए मण्डी क्षेत्र में आता है, "प्रथम आवक" के रूप में रजिस्टर्ड किया जायेगा और ऐसे उत्पाद पर मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान किया जायेगा;

(चार) यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, राज्य के भीतर के किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करके राज्य के ही किसी दूसरे मण्डी क्षेत्र से विक्रय, संग्रह या प्रक्रिया के लिए लाया जाता है तो ऐसी आवक "द्वितीय आवक" कहलायेगी और उस पर कोई मण्डी फीस एवं विकास उपकर उद्ग्रहणीय नहीं होगा;

(घ) उपविधियों में मण्डी फीस के भुगतान के लिए विहित अवधि की ठीक बाद की तारीख से मण्डी फीस की देय (असंदत्त) धनराशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूल करना, जिसकी गणना उपविधियों में विहित रीति से की जायेगी;

(ड) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति निधि का संचालन और उपयोग करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार या बोर्ड से या प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी अन्य समिति या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से जुटाना;

(छ) बोर्ड को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन पर बोर्ड और समिति के मध्य परस्पर सहमति हुई हो, उधार देना;

(ज) प्रबन्ध निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें बोर्ड अवधारित करे, किसी अन्य समिति को उधार देना;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जाएं;

(ञ) यदि कोई व्यक्ति मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करता है, तो मण्डी समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक उक्त अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाने के लिए सक्षम होगा तथा अतिक्रमण हटाने में आया व्यय सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता से भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से किसी मण्डी क्षेत्र के बाहर ले जाये या ले जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में यह अवधारणा की जायेगी कि उसने ऐसे कृषि उत्पाद को ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचा है और ऐसी स्थिति में ऐसे उत्पाद के, जिसके बेचे जाने की अवधारणा की जायेगी, कीमत को ऐसी युक्तियुक्त कीमत समझा जायेगा, जैसा विहित रीति से अभिनिश्चित किया जाये।

अपील

28. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, समिति द्वारा इस अधिनियम की धारा–27 के अधीन पारित किसी आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर, प्रबन्ध निदेशक को ऐसी रीति से, जो विहित की जायें, अपील कर सकेगा और प्रबन्ध निदेशक, अपीलकर्ता और समिति दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उसका विनिश्चय करेगा।

(2) प्रबन्ध निदेशक 30 दिन की उक्त अवधि बीत जाने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, समुचित कारणवश समय से अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।

(3) प्रबन्ध निदेशक, अपील की सुनवाई, ऐसी प्रक्रिया से करने के बाद, जो विहित की जायें, सुनवाई करेगा और उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, रुपान्तरित या समाप्त कर सकेगा।

(4) प्रबन्ध निदेशक, अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पर उस आदेश का प्रवर्तन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आस्थगन और मण्डी फीस या अधिरोपित जुर्माने की वसूली, अपीलार्थी से पर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त कर, स्थगित कर सकेगा।

(5) प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपील में पारित आदेश अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

वार्षिक विवरणी एवं फीस का अधिरोपण

29. (1) प्रत्येक थोक व्यापारी, आढतियों और अनुज्ञप्ति धारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 31 मार्च से पहले उसके द्वारा या उसके माध्यम से, पूर्व वित्तीय वर्ष में विक्रय या क्रय किये गये अधिसूचित कृषि उत्पादों की विवरणी, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से भेजेगा, जो उप–विधियों में विनिर्दिष्ट हो।

(2) यदि समिति की राय में, उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत जानकारी सही नहीं है या थोक व्यापारी अथवा आढतियों द्वारा मण्डी फीस की देय राशि से कम राशि जमा की गयी है तो, वह ऐसे थोक व्यापारी या आढतिया को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, मण्डी फीस के अधिरोपण की कार्यवाही कर सकती है।

समिति की ओर से संविदायें

30. (1) समिति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक संविदा, विहित रीति से, निष्पादित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धो का उल्लंघन करके समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कोई भी संविदा उस पर आबद्धकर न होगी।

(3) समिति का प्रत्येक आदेश, अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या उसकी अनुपस्थिति अथवा असमर्थ होने पर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से और जब समिति द्वारा प्राधिकार दिया गया हो तो सचिव के हस्ताक्षर से समिति की अधिकारिक मुहर लगाकर, प्रमाणित किया जायेगा।

मण्डी समिति निधि और उसका उपयोग

31. (1) प्रत्येक समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी, जो मण्डी समिति निधि कहलायेगी तथा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियॉं, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा लिए गये सभी ऋण तथा उसे दिये गये अग्रिम धन और अनुदान भी हैं, जमा की जायेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये समिति द्वारा किये गये सभी व्यय उक्त निधि से चुकाये जायेंगे और अधिशेष यदि कोई है, तो वह ऐसी रीति से विनियोजित की जायेगी, जो विहित की जायें।

(3) धारा-27 के खण्ड (पाँच) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति अपनी निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक का भुगतान करने के लिए कर सकती है-

(एक) समिति के लेखों की लेखा परीक्षा में हुए व्यय;

(दो) समिति द्वारा नियोजित अधिकारियों तथा सेवको के वेतन और भत्ते, जिनके अन्तर्गत अवकाश भत्ते, उपदान, अनुकम्पा भत्ता, चिकित्सा-सहायता और भविष्य निधि में अंशदान भी है;

(तीन) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय और उसके आनुषंगिक व्यय;

(चार) धारा-26 की उपधारा (2) के खण्ड (चौदह) में निर्दिष्ट ऋणों तथा अग्रिमों की मूलधन राशि या उन पर ब्याज;

(पांच) समिति के कब्जे में किसी भूमि और भवन का किराया और उसके कर;

(छः) समिति के सदस्यों का यात्रा भत्ता;

(सात) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अर्जित भूमि या भवन की लागत;

(आठ) मण्डी स्थलों के अनुरक्षण, विकास और सुधार की लागत;

(नौ) मण्डी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, भारवाही पशुओं, लद्दू पशुओं और वाहनों के लिए आश्रय स्थल, शेड, गाड़ी खड़ी करने की जगह और जल सुविधाओं और सुख साधन की व्यवस्था करने पर और मण्डी क्षेत्र में कृषि सुधार और कृषि विपणन के विकास पर, जिसके अन्तर्गत सम्पर्क सड़क, पुलिया, पुल का निर्माण अनुरक्षण और मरम्मत और अन्य ऐसे प्रयोजन भी हैं, व्यय;

(दस) समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम धन;

(ग्यारह) मण्डी क्षेत्र में कृषकों के लिए श्रेणीकरण, मानकीकरण एवं गुण-प्रमाणन सेवाओं पर व्यय;

(बारह) कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं विपणन से सम्बन्धित शोध पर व्यय; एवं

(तेरह) ऐसे अन्य व्यय, जो बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाय;

परन्तु यह कि मण्डी समिति मण्डी फीस से प्राप्त वार्षिक आय का 02 (दो) प्रतिशत अनिवार्यतः उपरोक्त उपधारा (3) के खण्ड (बारह) के उपबन्धों के अनुसार, व्यय करेगी।

(4) प्रत्येक समिति, वित्तीय वर्ष की शुद्ध आय (मण्डी फीस+अनुज्ञप्ति फीस) में से धनराशि, बोर्ड को अंशदान के रूप में, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर घोषित करे, भुगतान करेगी।

(5) प्रत्येक समिति, विकास उपकर के रूप में उद्गृहीत की गयी समस्त धनराशि को, प्रत्येक माह बोर्ड को भुगतान करेगी, जिसे धारा-62 के अधीन यथाविहित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जायेगा।

32. समिति के परिचालन, अनुरक्षण और प्रबन्ध सम्बन्धी व्ययों को पूरा करने के पश्चात् उसकी यथा उपलब्ध आय का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जायेगा; अर्थात् :- समिति के दायित्वों की प्राथमिकता

(एक) ऐसे ऋण को, जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत न हो, मूल धनराशि और उस पर देय ब्याज का प्रतिसंदाय;

(दो) ऐसे ऋण, जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत के अधीन दी गई ऐसी राशि का यदि कोई है, उस सरकार को मूल धनराशि और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूति उधार की मूल धनराशि और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय;

(चार) ऐसे उधार की, जिसकी राज्य सरकार द्वारा गारन्टी नहीं दी गई है, मूल धनराशि और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय;

(पाँच) शेष धनराशि का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन समिति को देय फीस की कटौती करने के लिए अथवा समिति के किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय के लिए, जैसा समिति उपयुक्त समझे अथवा जैसा प्रबन्ध निदेशक निदेश दें, किया जायेगा।

समिति को देय धनराशियों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली तथा वसूल न होने योग्य देयों को बट्टे खाते में डालने की शक्ति

33. (1) यदि विहित अवधि के भीतर समिति को देय किसी धनराशि का भुगतान न किया गया हो तो वह मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

(2) समिति किसी धनराशि को बट्टे खाते में डाल सकती है, जो उसे देय हो, यदि कलैक्टर प्रमाणित कर दें कि वह वसूल होने योग्य नहीं है;

परन्तु यह कि रूपये पांच हजार के अधिक कोई भी धनराशि, प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना, बट्टे खाते में नहीं डाली जायेगी।

अधिभार

34. (1) समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य, अधिकारी व सेवक, समिति की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग होने पर अधिभार के लिए दायी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरूपयोग, ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए, उसकी उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुआ हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरूपयोग हुई, धनराशि की वसूली ऐसी रीति से की जायेगी, जो विहित की जायें।

(3) किसी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए, जिसे उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से वसूल किया जा सकता है, किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

अध्याय चार

समिति के अधिकारी और सेवक

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

35. (1) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों तथा समिति के संकल्पों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का

पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग व ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें या समिति द्वारा उस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

(2) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

मण्डी समिति के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें

36. (1) प्रबन्ध निदेशक, विहित रीति से, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जो कि मण्डी समिति के कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक तथा उचित हो;

परन्तु यह कि किसी भी पद का सृजन राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक समिति के एक सचिव एवं ऐसे अन्य अधिकारी होंगे, जिन्हें प्रबन्ध निदेशक समिति के कृत्यों का दक्षता से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे, जो बोर्ड द्वारा ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर, जैसा बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों में उपबन्धित किया जाये, नियुक्त किये जायेंगे।

केन्द्रीकृत सेवा का गठन तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

37. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड सभी समितियों के लिए सचिवों और ऐसे अन्य अधिकारियों का एक सामान्य संवर्ग गठित करेगा, जिन्हें वह धारा–36 की उपधारा *(2)* के अधीन नियुक्त करने के लिए ठीक समझे।

सचिव के कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य

38. (1) समिति का सचिव, उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे कृत्यों का सम्पादन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किये जायें या जो उप–विधियों में उपबन्धित किये जायें या जैसा प्रबन्ध निदेशक लिखित आदेश द्वारा निदेश दें;

परन्तु यह कि जब किसी एक समिति में एक से अधिक सचिव तैनात किये जाये, तब प्रबन्ध निदेशक सचिवों में से एक सचिव को उसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी नामांकित

करेगा और उसमें से प्रत्येक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों, प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्यों को अवधारित करेगा।

(2) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, सचिव–

(क) निम्नलिखित पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा–

(एक) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से तथा दक्षतापूर्वक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए समिति के सभी अधिकारियों और सेवक; तथा

(दो) समिति के सभी क्रिया कलाप;

(ख) समिति के किसी कर्मचारी की उपेक्षा, दुराचरण या कर्तव्यच्युति के मामलों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए देगा और यदि इसके लिए सशक्त किया गया हो तो समिति के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक सम्बन्धी कार्यवाही करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड, प्रबन्ध निदेशक या समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये सभी आदेश का समुचित रूप से पालन किया जाये;

(घ) उचित रख रखाव हेतु, यह सुनिश्चित करेगा कि–

(एक) समिति के लिए और उसकी ओर से प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों के लेखे;

(दो) इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उप–विधियो के अधीन विनिश्चय के लिए आये हुये विवादों के अभिलेख;

(तीन) उसके द्वारा निपटाये गये विवादो का अभिलेख, ऐसे प्ररूप में हो, जो विहित किया जाये; और

(चार) इस अधिनियम के अधीन सभी अनुज्ञप्तिया उसके हस्ताक्षर से जारी की जायेंगी;

(ङ) मण्डी समिति की बैठक, यदि आवश्यक हो तो बुलायेगा और उसकी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रखेगा;

(च) मण्डी समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहेगा और विचार विमर्श में भाग लेगा, परन्तु कोई संकल्प या प्रस्ताव नहीं लायेगा या किसी ऐसी बैठक में मत नहीं डालेगा;

(छ) बजट प्रस्ताव तैयार करेगा;

(ज) समय–समय पर मण्डी समिति जैसी अपेक्षा करे, वैसे विवरणी, कथन, आँकड़े, प्राक्कलन व रिपोर्ट मण्डी समिति को देगा, जिसमें निम्न रिपोर्टें भी हैं :–

(एक) किसी कर्मचारी पर आरोपित अर्थदण्ड या जुर्माना या किसी कर्मचारी और मण्डी कृत्यकारी या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध की गई अनुशा–सनिक कार्यवाही;

(दो) किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम अथवा उपविधि के प्राविधानों के उल्लंघन की सूचना;

(झ) समिति के समक्ष ऐसे दस्तावेजों, किताबों, पत्रिकाओं या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा, जो आवश्यक हो;

(ण) मण्डी समिति द्वारा उद्ग्रहणीय या उसको देय फीस और अन्य धनराशि का संग्रह करेगा;

(ट) मण्डी समिति द्वारा विधिपूर्वक देय धन का नियमानुसार वितरण एवं भुगतान करेगा;

(ठ) समिति की ओर से वाद दायर करेगा, समिति के विरुद्ध दायर वादों का प्रतिवाद करेगा, अभियोजन चलायेगा तथा समिति का ऐसी समस्त कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करेगा;

(ड) समिति के सभी अधिकारियों, सेवकों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(ढ) समिति की सम्पत्ति व उसके कोष में यदि चोरी, कपट, गबन, हो तो उसकी रिपोर्ट यथासम्भव शीघ्र प्रबन्ध निदेशक को देगा।

समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के नियोजन की निबंधन और शर्तें

39. इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, धारा–36 के अधीन गठित किसी संवर्ग के सदस्यों के नियोजन की निबंन्धन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों के अनुशासन, नियंत्रण तथा दण्ड, जिसके अन्तर्गत पदच्युत किया जाना, हटाया जाना तथा पदावनित किया जाना भी है, से सम्बन्धित विषय, ऐसे विनियमों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से धारा–68 के क्रम में बोर्ड बनाये, शासित होंगे।

इस अधिनियम के अधीन कार्यरत व्यक्तियों का संरक्षण

40. बोर्ड और समिति का प्रत्येक अधिकारी या सेवक, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–21 के अर्थान्वयन में ''लोक सेवक'' समझा जायेगा।

अध्याय पाँच

मण्डी समिति एवं विशेष मण्डी का वर्गीकरण

मण्डी का वर्गीकरण

41. धारा–6 के अधीन गठित मण्डी समिति को राज्य सरकार यथा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

विशेष मण्डी और विशेष वस्तु मण्डी

42. (1) राज्य सरकार ऐसे पहलुओं यथा–उत्पादन (टर्न ओवर), बड़ा क्षेत्र और विद्यमान मण्डी में मौजूदा आधारिक संरचना के अलावा वस्तु विशेष के लिए अपेक्षित विशेष आधारिक संरचना पर विचार करने के बाद अधिसूचना द्वारा किसी मण्डी क्षेत्र को विशेष मण्डी या विशेष वस्तु मण्डी घोषित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, इस नियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, ऐसी मण्डियों में, जो उपधारा (1) के अधीन विशेष मण्डी के रूप में अधिसूचित की गई है, अधिसूचना द्वारा पृथक मण्डी समिति स्थापित कर सकती है।

(3) अधिनियम में मण्डी समिति के लिए और उसके सम्बन्ध में बनाये गये सभी उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष मण्डी के लिए स्थापित मण्डी समिति पर भी लागू होंगे।

विशेष मण्डियों के लिए मण्डी समिति का गठन

43. (1) विशेष मण्डी के लिए गठित प्रत्येक मण्डी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कृषक (राज्य सरकार द्वारा मण्डी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने तथा कृषि कार्य करने वाले किसानों में से) नामित किये जायेंगे;

–पाँच

(ख) व्यापारी (राज्य सरकार द्वारा राज्य की किसी मण्डी समिति के ट्रेडिंग लाईसेंस धारक व्यापारियों में से) नामित किये जायेंगे। इस प्रकार नामित किये गये व्यापारियों विशेष मण्डी की मण्डी समिति की अनुज्ञप्ति प्राप्त करेंगे; –दो

(ग) जिस क्षेत्र में विशेष मण्डी स्थित है, वहाँ के स्थानीय निकाय के सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी; –एक

(घ) उस जिले का कलक्टर या उसका नामिती, जिसमें विशेष मण्डी स्थापित है; –एक

(ङ) मुख्य नगर योजनाकार या ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी; –एक

(च) सम्बन्धित जिले का सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां; –एक

(छ) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के द्वारा नामित अधिकारी; –एक

(ज) कार्यपालक सदस्य (राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा) कार्यपालक सदस्य मण्डी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा; –एक

(झ) भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार या उसका प्रतिनिधि। –एक

(2) मण्डी समिति की बैठक छः महीने में कम से कम एक बार होगी।

44. विशेष मण्डी की मण्डी समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, जिसे सरकार द्वारा यथानिर्धारित अवधि के लिए नामित किया जायेगा। सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे। *विशेष मण्डी समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष*

45. (1) विशेष मण्डी की मण्डी समिति की कार्यपालिका में निम्नलिखित सदस्य होंगे– *विशेष मण्डी के लिए कार्यपालिका समिति*

(क) विशेष मण्डी की मण्डी समिति के ट्रेडिंग लाईसेंस धारक व्यापारियों का एक प्रतिनिधि;

(ख) उत्पादकों का एक प्रतिनिधि;

(ग) सम्बन्धित जिले का सहायक निबन्धक सहकारी समितियां;

(घ) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के द्वारा नामित अधिकारी;

(ङ) मण्डी समिति का कार्यपालक सदस्य, जो कार्यपालिका समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(2) आपात स्थिति में कार्यपालिका समिति उन मुद्दों पर निर्णय ले सकती है, जिसके लिए मण्डी समिति का अनुमोदन अपेक्षित हो, तथापि ऐसे निर्णयों पर निर्णय लिये जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर मण्डी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर या मण्डी समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति मे, ऐसे निर्णय अकृत और शून्य समझे जायेंगे।

(3) कार्यपालिका समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार बुलाई जायेंगी, लेकिन दो महीने में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

मुख्य मण्डी की मण्डी समिति के मुख्य कार्यपालक के कार्य और शक्तियां

46. मण्डी समिति का कार्यपालक सदस्य, विशेष मण्डी की मण्डी समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निम्नलिखित कार्य है :-

(क) कार्यपालिका प्रशासन के विषय में और मण्डी समिति के लेखा और अभिलेखों से सम्बन्धित विषयों में और कर्मचारियो की सेवा सम्बन्धी सभी प्रश्नो को निपटाने के लिए मण्डी समिति के सभी अधिकारियो एवं कर्मचारियों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रण रखना;

(ख) यथानिर्धारित निदेशों और मण्डी समिति द्वारा मण्डी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मण्डी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना;

(ग) कार्य की स्वीकृत मदो पर मण्डी समिति निधि से खर्च करना;

(घ) आपातकाल की दशा में किसी कार्य के निष्पादन या रोक या किसी कार्य के किये जाने पर, जिसमें मण्डी समिति की स्वीकृति की आवश्यकता हो, निर्देश देना;

(ड) इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों तथा उनकी उपविधियों के उल्लंघन पर मुकदमा चलाना;

(च) मण्डी कार्यकर्ताओं को अनुज्ञप्तियाँ जारी करना;

(छ) मण्डी समितियों का वार्षिक बजट तैयार करना;

(ज) मण्डी समिति की बैठकें बुलाने का प्रबन्ध करना और ऐसी बैठकों की कार्यवाईयों का अभिलेख रखना;

(झ) मण्डी समिति द्वारा कराये गये निर्माण कार्य का समय–समय पर निरीक्षण करना और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट मण्डी समिति के अध्यक्ष को भेजना;

(ञ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित मण्डी समिति या मण्डी समिति के सदस्यों द्वारा किये गये ऐसे कार्यों की रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक को देना, जो इस अधिनियम के प्राविधानों और नियमों तथा इसकी उपविधियों के विपरीत हो;

(ट) मण्डी समिति के कार्यों और निर्णयों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए यथावश्यक कदम उठाना।

अध्याय छः

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन, कृत्य और उनकी शक्तियाँ

47. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के नाम से एक बोर्ड, जिसका मुख्यालय रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) में होगा, गठित करेगी। बोर्ड की स्थापना

(2) बोर्ड उक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उक्त नाम से वाद लायेगा या उसके नाम से वाद लाया जा सकेगा तथा सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने तथा संविदायें करेगा।

(3) बोर्ड सभी प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण समझा जायेगा।

48. राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार की जायेगी– बोर्ड का गठन

(क) अध्यक्ष–कृषि मंत्री, राज्य सरकार किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी;

(ख) सदस्य–कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में नामित उत्पादक सदस्यों में से अधिकतम पाँच व्यक्तियों एवं नामित व्यापारिक सदस्यों में से एक एवं नामित आढ़तिया सदस्यों में से एक व्यक्ति तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम पाँच प्रतिनिधि, जो निम्न क्षेत्रों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेंगे;

(एक) निजी मण्डी से एक प्रतिनिधि,

(दो) कृषि बीमा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि,

(तीन) निर्यातकों से एक प्रतिनिधि,

(चार) विशेषीकृत कृषि व्यवसाय प्रबन्धन से एक विशेषज्ञ;

(पाँच) संविदा कृषि प्रयोजकों से एक प्रतिनिधि।

(ग) पदेन सदस्य–

(एक) प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/करेगी,

(दो) सचिव, कृषि,

(तीन) सचिव, वित्त,

(चार) सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,

(पाँच) सचिव, उद्यान,

(छः) सचिव, पशुपालन,

(सात) सचिव, सहकारिता,

(आठ) भारत सरकार, कृषि विपणन सलाहकार,

(नौ) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक, जो बोर्ड का पदेन सचिव होगा,

(दस) निदेशक, कृषि,

(ग्यारह) निदेशक, उद्यान,

(बारह) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।

(घ) कुल सदस्यों के एक तिहाई से बैठक की गणपूर्ति होगी।

49. कोई व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह– *अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता*

(क) ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ख) अननुमोचित दिवालिया है;

(ग) विकृत चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो;

(घ) बोर्ड अथवा मण्डी समिति के अधीन लाभ का पद धारण करता हो;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, धन सम्बन्धी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो; अथवा

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो बोर्ड के साथ/द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो।

50. (1) उपधारा (2) के प्राविधानों के अधीन रहते हुये, बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य, जो उसके पदेन सदस्य नहीं है, दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे। *अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि*

(2) बोर्ड के सदस्य के रूप में सदस्य, मण्डी समितियों के नामित सदस्य न रह जाने पर, सदस्यता खो देगा।

(3) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, जो पदेन सदस्य न रह गया हो, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र को स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

अध्यक्ष तथा सदस्यों, पदेन सदस्यों से भिन्न, के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

51. (1) अध्यक्ष तथा ऐसे सदस्यों को, जो पदेन सदस्य न हों, बोर्ड की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायेगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाये।

(2) यदि अध्यक्ष अथवा यथापूर्वोक्त कोई अन्य सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कृत्यों के निर्वहन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो अथवा उन परिस्थितियों में, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, अथवा ऐसे अवकाश पर अन्यथा अनुपस्थित हो, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन हेतु किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति

52. (1) बोर्ड अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन, जो बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से बनाये गये विनियमों में उपबन्धित की जाय, ऐसे अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति विभिन्न वेतनमानों में कर सकेगा।

(2) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, बोर्ड या किसी समिति का अधिकारी या सेवक नियुक्त कर सकेगा।

प्रबन्ध निदेशक का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण

53. बोर्ड के पर्यवेक्षण के अधीन रखते हुये, बोर्ड के समस्त अधिकारियों और सेवकों पर साधारण नियंत्रण तथा निर्देशन, प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

बोर्ड के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

54. बोर्ड की सभी कार्यवाहियां, अध्यक्ष एवं पदेन सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जायेंगी और बोर्ड द्वारा जारी किये गये सभी आदेश और अन्य लिखतें प्रबन्ध निदेशक या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

हित के कारण बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनर्हता

55. (1) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य–

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा–49 के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो; या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसका उस मामले में यथापूर्वोक्त ऐसा अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो, इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में बोर्ड की किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा।

(2) यदि बोर्ड के किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो कोई हित हो, तो वह बोर्ड की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा, जिसमें ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी मामले पर विचार किया जाये।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात बोर्ड के किसी सदस्य को, उक्त उपखण्डों में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निवारित नहीं करेगी।

अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

56. इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किया गया कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अवधिमान्य नहीं होगी कि–

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके संगठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता है, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता है।

नीति के प्रश्नों पर निदेश

57. (1) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बोर्ड, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्ग दर्शित होगा, जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

वार्षिक प्रतिवेदन, आंकड़े विवरणियां तथा अन्य सूचनाएं

58\. (1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे प्रतिवेदन, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य–कलापों का विवरण दिया जायेगा, तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और एक प्रतिवेदन में ऐसे कार्य कलापों का भी, यदि कोई हो, विवरण दिया जायगा, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में बोर्ड द्वारा किये जाने की सम्भावना है और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त उसे यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

(2) बोर्ड, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियाँ और बोर्ड के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्यकलापों अथवा बोर्ड के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे विशिष्टियाँ, जिसकी राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण

59\. बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाये, निष्पादित किया जायेगा।

बोर्ड की निधि

60\. (1) बोर्ड की एक अपनी निधि होगी, जो स्थानीय निधि समझी जाएगी और जिसमें बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त, धारा–61 के अधीन उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि में जमा की जाने के लिए अपेक्षित धनराशि को छोड़कर, समस्त धनराशि जमा की जाएगी।

(2) विशेष रूप से और विनियोग और विस्तारण के प्रयोजन और रीति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्–

(क) बोर्ड द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों को वेतन, छुट्टी भत्ता, उपदान, अन्य भत्तों, ऋण और अग्रिम और भविष्य निधि और उन सरकारी सेवकों को, जो प्रतिनियुक्त पर हो, पेंशन और अन्य अंशदान का भुगतान;

(ख) बोर्ड के सदस्यों को यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान;

(ग) बोर्ड के स्थापना से सम्बन्धित अन्य प्रयोजन और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए;

(घ) बोर्ड के विधिक खर्चों का भुगतान।

61. (1) बोर्ड के लिये "उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि" के नाम से ज्ञात एक पृथक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी; अर्थात् :– उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि

(क) धारा–31 की उपधारा (4) के अधीन समितियों से प्राप्त अंशदान, उसके उतने प्रतिशत को छोड़कर, जितने राज्य सरकार बोर्ड की निधि में जमा करने के लिये निदेश दें;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि, जिसे राज्य सरकार या बोर्ड निदेश दें।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, बोर्ड द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा; अर्थात् :–

(एक) मण्डी क्षेत्र में कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालों को सुविधायें;

(दो) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, हाट और पैंठ का विकास, संग्रह केन्द्र एवं रोप–वे का निर्माण और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण;

(तीन) मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, मण्डी की गलियों, रज्जुमार्ग, हैण्ड पम्पों की स्थापना तथा तालाबों और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत;

(चार) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों का मण्डी सर्वेक्षण और अनुसंधान, वर्गीकरण और मानकीकरण;

(पाँच) प्रचार, प्रख्यापन और विस्तार सेवा और विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय की स्थिति में सामान्य सुधार से सम्बन्धित विषय;

(छः) वित्तीय रूप से कमजोर और अल्प विकसित समितियों को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता;

(सात) मण्डी क्षेत्रों का बेहतर विकास और मण्डी समितियों का नियन्त्रण;

(आठ) प्रधान मण्डी स्थलों और उप मण्डी स्थलों और मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिए स्थल योजना और निर्माण प्राक्कलन तैयार करने में और महायोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मण्डी समितियों को तकनीकी सहायता;

(नौ) धारा–26 और 27 में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय, जो पूर्वोक्त खण्डों के अन्तर्गत न आते हों;

(दस) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए कोई अन्य प्रयोजन;

परन्तु यह कि मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों, गलियों के निर्माण एवं अनुरक्षण में इस निधि का अधिकतम 25 प्रतिशत ही व्यय किया जा सकेगा।

केन्द्रीय मण्डी निधि

62. (1) "केन्द्रीय मण्डी निधि" के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी, जिसका संचालन प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्–

(क) धारा–31 की उपधारा (5) के अधीन मण्डी समिति से प्राप्त विकास उपकर की समस्त धनराशि;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि, जिसे राज्य सरकार या बोर्ड निदेश दे।

(2) केन्द्रीय मण्डी निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा; अर्थात्–

(क) वित्तीय रूप से कमजोर और अविकसित समितियों को ऋण या अनुदान के रूप में सहायता;

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य;

(ग) कृषि उपज के मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण या उपगत व्यय;

(घ) राज्य सरकार या बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कोई अन्य प्रयोजन।

ऐसे व्यय पर निर्बन्धन, जिसकी व्यवस्था बजट में न हो

63. (1) उस दशा को छोड़कर, जब बोर्ड की राय में तुरन्त आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें, किसी वित्तीय वर्ष में कोई भी धनराशि, जो बोर्ड द्वारा आवर्तक अथवा अनावर्तक व्यय के लेखे में समय-समय पर उस निमित्त नियत की गई धनराशि से अधिक हो, व्यय नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी धनराशि की स्वीकृति बोर्ड से न ले ली जाये।

(2) यदि तुरन्त आवश्यक परिस्थितियों में कोई ऐसी धनराशि व्यय की जाये तो उसके सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन, जिसमें ऐसा व्यय उपदर्शित हो, बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा।

बोर्ड की उधार लेने की शक्ति

64. (1) बोर्ड, समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित धनराशि, या तो बन्धपत्र या निधिपत्र जारी करके अथवा अन्य प्रकार से या बैंकरों से प्रबन्ध करके उधार ले सकेगा।

(2) बोर्ड, राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों की धनराशि के अतिरिक्त, किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसी धनराशि ऋण पर नहीं लेगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उस निमित्त नियत धनराशि से अधिक हो।

(3) बोर्ड द्वारा इस धारा के अधीन जारी तकिया गया निधिपत्र ऐसी रीति से जारी, अन्तरित या व्यवहृत किया जायेगा और उसका मोचन किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

बोर्ड के दायित्वों की प्राथमिकता

65. बोर्ड के राजस्व का उपयोग, उसके व्ययों को पूरा कर लेने के पश्चात्, जहाँ तक उपलब्ध हो, निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा, अर्थात्-

(क) राज्य सरकर द्वारा बोर्ड को दिये गये ऋण के मूलधन और उस पर ब्याज, का जिसके अन्तर्गत ब्याज की बकाया राशि भी है, का प्रतिदाय;

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति, यदि कोई है, के अधीन दी गई धनराशियों के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिदाय;

(ग) बन्ध–पत्र, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हो, के मूलधन तथा उसके ब्याज का प्रतिदाय;

(घ) निधि–पत्र जो इस प्रकार प्रत्याभूत हो, के मूलधन तथा उसके ब्याज का प्रतिदाय;

(ड) निधि–पत्र, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, के मूलधन और उसके ब्याज का प्रतिदाय;

(च) बन्ध–पत्र, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, के मूल धन और उनके ब्याज का प्रतिदाय।

लेखे और लेखापरीक्षा 66. (1) बोर्ड, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, अपने कार्य–कलापों के कार्यक्रम का यथास्थिति, एक विवरण–पत्र अथवा अनुपूरक विवरण–पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगा/उसके दौरान किसी समय तैयार कर सकेगा और उन्हें सरकार को ऐसी रीति से तथा ऐसे तारीख तक, जैसा वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, उसके पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) बोर्ड, उचित लेखाबही और अपने लेखों के सम्बन्ध में अन्य बहियां रखवायेगा और तुलन पत्र तैयार करेगा।

(3) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा, ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को सभी विषयों के सम्बन्ध में लेखों को पेश किये जाने और जानकारी दिये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(4) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखे और उसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे, जो उनके सम्बन्ध में बोर्ड को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह उचित समझे, और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(5) राज्य सरकार–

(क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त बोर्ड के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी, और

(ख) बोर्ड के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी, जैसा वह उचित समझे।

67. (1) बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और सेवक, बोर्ड की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए अधिभार के दायी होंगे, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुये उसकी प्रत्यक्ष उपेक्षा या दुराचार का सीधा परिणाम हो। अधिभार

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

(3) कोई धनराशि, जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग में अधिभार की कार्यवाही के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पाई जाये, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी, और ऐसी धनराशि की वसूली के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) की कोई बात, उसमें निर्दिष्ट धनराशि को, ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक को पारिश्रमिक के मद में या अन्य प्रकार से देय किसी धनराशि में से वसूल करने से निवारित न करेगी।

68. बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, परिषद के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो। विनियम

69. (1) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित कृत्यों को करेगा और उसके पास आवश्यकतानुसार निम्न कृत्यों को करने के लिए शक्ति प्राप्त होगी :- बोर्ड की शक्तियां

(एक) मण्डी समितियों के कार्यकरण और उनके अन्य कार्यों का, जिसमें ऐसी मण्डी समितियों द्वारा बाजारों और मण्डी क्षेत्र के विकास के लिए किये गये कार्यक्रम भी हैं, समन्वय करना;

(दो) कृषि उत्पाद बाजारों के विकास हेतु राज्य स्तरीय योजना तैयार करना;

(तीन) मण्डी समिति के कार्यकरण, दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक नीतियाँ बनाना;

(चार) विपणन कार्यों के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत, नियम बनाना;

(पाँच) मण्डी के विकास के लिये, मण्डी समिति द्वारा नये स्थलों के चयन के लिए प्रस्ताव अनुमोदित करना;

(छः) मण्डी क्षेत्र में ढाँचागत निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुमोदित करना;

(सात) मण्डी समितियों द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर योजना और आगणन तैयार करने में मण्डी समिति का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना;

(आठ) ऐसे सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करना, जो बोर्ड की निधि से प्रभार्य हों;

(नौ) वर्ष के अन्त में प्रगति रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा आस्तियों एवं दायित्वों का विवरण पत्र प्रतिवर्ष प्रकाशित करना तथा उसकी प्रतियाँ राज्य सरकार एवं बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित करना;

(दस) कृषि उत्पादन के विनियमित क्रय–विक्रय से सम्बद्ध विषयो का प्रचार तथा विज्ञापन करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना;

(ग्यारह) बोर्ड एवं मण्डी समिति के अधिकारियों तथा सेवकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(बारह) आगामी वर्ष का बजट तैयार करना और अंगीकृत करना;

(तेरह) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, पर जैसा बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, मण्डी समितियो को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उधार देना;

(चौदह) ऐसे सभी अन्य कार्य करना, जो मण्डी समितियो के सामान्य हित में अथवा बोर्ड के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जाय, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये;

(पन्द्रह) कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिये सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना;

(सोलह) कृषि मण्डियों के प्रबन्धन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी स्थापित करना और उसे बढ़ावा देना;

(सत्रह) कृषि प्रसंस्करण क्रिया कलापों के साथ मूल्य वर्द्धन करना और उसे उन्नत बनाना;

(अट्ठारह) व्यापार, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के विस्तार और उनके अन्तरण कार्य के लिए पृथक कार्यवार विस्तार चैम्बर स्थापित करना और विनियमित विपणन और विपणन के विकास और सम्बद्ध मामलों के प्रसार के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना;

(उन्नीस) ई–व्यापार को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए, मण्डी समिति अवसरचना की विनियामक प्रक्रिया स्थापित करना, उससे सम्बन्धित अन्य कार्य–कलाप करना और आवश्यक कदम उठाना; और

(बीस) अधिसूचित कृषि उपज का श्रेणीकरण एवं मानकीकरण को संगठित करना।

70\. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त अथवा ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाये, प्रबन्ध निदेशक अथवा बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां तथा कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे। शक्तियों का प्रत्यायोजन

71\. (1) बोर्ड अपने कारबार के संव्यवहार के लिए तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान, तारीख और समय पर, जो अध्यक्ष अवधारित करे, अपनी बैठक आहूत करेगा। बोर्ड की बैठकों का संचालन

(2) बोर्ड के सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से एक सप्ताह पूर्व बोर्ड की बैठक की सूचना प्रेषित की जायेगी।

(3) विशेष परिस्थिति में, किसी प्रस्ताव विशेष पर परिचालन से कम से कम एक चौथाई सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) विशेष परिस्थितियों में आहूत बैठक में कुल सदस्यों के एक चौथाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

अध्यक्ष की शक्तियां

72. बोर्ड के अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात्–

(क) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना;

(ख) बैठको की तारीख, स्थान और समय अवधारित करना;

(ग) बोर्ड की बैठको के कार्यवृत्त प्रबन्ध निदेशक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करना; एव

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, समितियो एवं बोर्ड के दक्ष कार्यकरण सुधार हेतु प्रबन्ध निदेशक को निदेश देना।

प्रबन्ध निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य

73. (1) इस अधिनियम के उपबन्धो के अधीन रहते हुये, प्रबन्ध निदेशक, बोर्ड के अधिकारियों एव सेवकों तथा मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यो, उसके सचिव और अन्य अधिकारियों को निर्देश दे सकेगा अथवा उन पर नियन्त्रण रखेगा।

(2) प्रबन्ध निदेशक, समिति के मामलों से सम्बद्ध सभी लिखतो या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा और मण्डी समिति उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यो अधिकारियो या सेवको से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(3) समिति के मामलों से सम्बद्ध किसी कार्य के सम्बन्ध मे कोई शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार, प्रबन्ध निदेशक से समिति, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध जॉच करने या कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा कर सकेगी और प्रबन्ध निदेशक तद्नुसार कार्य करेगा।

(4) प्रबन्ध निदेशक को, इस अधिनियम के अधीन कोई जाच करने के प्रयोजन के लिये, वही शक्तिया प्राप्त होंगी, जो किसी वाद पर विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयो के सम्बन्ध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय मे निहित है, अर्थात–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों को प्रकट करने और उन्हें पेश करने की अपेक्षा करना।

(5) प्रबन्ध निदेशक, बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक सम्बन्धित लेखाओं और अभिलेखों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित मामलों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण करेगा।

(6) प्रबन्ध निदेशक, बोर्ड के निर्देशों और उसके द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

(7) प्रबन्ध निदेशक कार्य की स्वीकृत मदों पर, उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि एवं केन्द्रीय मण्डी निधि से व्यय कर सकेगा।

(8) वह आपात काल में ऐसे कार्यों को निष्पादित करने या रोकने के निर्देश जारी कर सकेगा और ऐसे कोई कार्य कर सकेगा जिसमें बोर्ड की स्वीकृति अपेक्षित हो।

(9) वह बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करवायेगा।

(10) वह बोर्ड के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करवायेगा।

(11) वह बोर्ड की बैठकों की व्यवस्था करेगा एवं बैठक का कार्यवृत विहित प्रक्रिया के अनुसार अभिलिखित करेगा एवं अध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षरों से कार्यवृत जारी करेगा।

(12) वह बोर्ड के विनिश्चयों के क्रियान्वयन हेतु विधि सम्मत कार्यवाही कर सकेगा।

(13) वह बोर्ड निधि, मण्डी विकास निधि एवं केन्द्रीय मण्डी निधि द्वारा कराये जा रहे मण्डी कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा एवं कार्यों का निरीक्षण करेगा।

(14) प्रबन्ध निदेशक, अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियम एवं उपविधियों के उपबन्धों विरुद्ध, बोर्ड अथवा मण्डी समितियों के द्वारा पारित संकल्पों/कार्यों को तत्परता से शासन के संज्ञान में लायेगा और शासन के निर्देश प्राप्त होने तक ऐसे संकल्पों/कार्यों को रोकेगा।

(15) प्रबन्ध निदेशक को समिति के द्वारा पारित प्रस्तावों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(16) प्रबन्ध निदेशक, बोर्ड के कार्यों के सफल संचालन हेतु प्रभावी कदम उठायेगा।

(17) प्रबन्ध निदेशक, कोई अन्य विषय, जो नियत किये जायें, के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कर सकेगा।

समिति के किसी सदस्य को हटाने की बोर्ड की शक्ति

74. (1) बोर्ड, समिति के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सकेगा, यदि उसकी राय में–

(क) वह सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, दुराचरण या कर्तव्य की घोर उपेक्षा का दोषी हो; या

(ख) वह अर्हता नहीं रह जाती है जो उसके सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिये आवश्यक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन हटाये जाने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को अपने विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

समिति का अधिक्रमण

75. जब बोर्ड की यह राय हो कि किसी समिति ने अपने कृत्यों का सम्पादन या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त शक्तियों का अधिक्रमण किया है या उनका दुरूपयोग किया है तो बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समिति को अधिक्रान्त कर सकेगा;

परन्तु यह कि अधिक्रमण का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक बोर्ड ने समिति को अपने विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

अधिक्रमण के परिणाम

76. (1) धारा–75 के अधीन समिति के अधिक्रमण की अधिसूचना के प्रकाशन पर, समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होंने अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये हैं।

(2) राज्य सरकार निदेश देगी कि धारा–17 के अधीन नई समिति गठित करने के लिये कार्यवाही की जाये और उस समय तक, जब तक यथापूर्वोक्त धारा–17 के अधीन नयी समिति गठित न हो जाये, बोर्ड, समिति के कृत्यों के सम्पादन के लिए, ऐसा प्रबन्ध करेगा, जो वह ठीक समझे और इस प्रयोजन के लिये निर्देश देगा कि इस अधिनियम के अधीन समिति और उसके अध्यक्ष के सभी कृत्यों का सम्पादन, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसे बोर्ड इस निमित्त नियुक्त करे और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, यथास्थिति, समिति का अध्यक्ष समझा जायेगा।

77\. (1) प्रबन्ध निदेशक, स्वतः या कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, समिति या उसके अध्यक्ष या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रतर निष्पादन को, आदेश द्वारा, निषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा संकल्प या आदेश लोक–हित के प्रतिकूल है अथवा उससे किसी मण्डी क्षेत्र, प्रधान मण्डी–स्थल या उपमण्डी–स्थल में कारोबार के दक्षतापूर्वक चलाने मे बाधा पड़ने की सम्भावना है अथवा यह इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये नियमों या उपविधियों के विरुद्ध है।

समिति द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रतर निष्पादन का निषेध करने की प्रबन्ध निदेशक की शक्ति

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या अग्रतर निष्पादन निषिद्ध किया जाये और वह आदेश प्रवृत्त बना रहे तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे, जिसे करने का अधिकार समिति को, संकल्प न पारित किये जाने या आदेश न दिये जाने की दशा में होता और जो अध्यक्ष या उसके किसी अधिकारी/कर्मचारी को ऐसे संकल्प या आदेश के अधीन किसी काम को करने या उसके जारी रखने को रोकने के लिये आवश्यक हो।

78\. (1) राज्य सरकार, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से, कि बोर्ड या समिति इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का समुचित रूप से प्रयोग या निर्वहन करती है, आयुक्त या कलेक्टर या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, बोर्ड या समिति की किसी सम्पत्ति, कार्यालय, दस्तावेज या किसी कार्य का निरीक्षण करने या कराने या बोर्ड या समिति के सभी या किसी कार्यकलाप की जाँच करने या कराने और ऐसी जाँच के परिणाम की रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर जैसी विहित की जाये, देने की अपेक्षा कर सकेगी।

राज्य सरकार की शक्तियां

(2) यथास्थिति, बोर्ड या समिति, ऐसे आयुक्त या कलैक्टर या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निरीक्षण के दौरान और समुचित रूप से जाँच करने के लिये, सभी सुविधायें देगा/देगी और, यथास्थिति, ऐसी निरीक्षण या जाँच के प्रयोजनों के लिये जब किसी ऐसे दस्तावेज या सूचना की माँग की जाये, जो उसके कब्जे में हो, तब उसे प्रस्तुत करेगा/करेगी।

अध्याय सात

संविदा कृषि कर्म

संविदा कृषि कर्म करार का स्वरूप

79. संविदा कृषि करार निम्नलिखित रीति से शासित होगा :–

(क) मण्डी समिति प्रायोजक स्वयं को मण्डी समिति में या निर्धारित अधिकारी से ऐसी रीति से पंजीकृत कराएगा, जैसा कि विहित हो;

(ख) संविदा कृषि प्रायोजक संविदा कृषि करार को इस निमित्त विहित किये गये अधिकारी से अभिलेखबद्ध करायेगा। संविदा कृषि करार स्वरूप ऐसा होगा कि उसमें ऐसे विवरण व शर्तों का उल्लेख हो, जो कि विहित की जाय;

कृषि सम्बन्धी संविदा करार में किसी बात के होते हुए भी संविदा कृषि करार से उद्भुत परिणाम के रूप में किसी हक, अधिकार, स्वामित्व या अधिग्रहण का अन्तरण या अन्य संक्रामक या संविदा कृषि प्रायोजक या उसके उत्तराधिकारी या एजेंट में निहित नहीं किया जायेगा।

(ग) संविदा कृषि करार से उत्पन्न विवादों के निपटारे हेतु इस निमित्त निर्धारित किये गये प्राधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। वह विहित प्राधिकारी विहित रीति से पार्टियों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद 30 दिन के भीतर संक्षेप में विवादों का सुलझायेंगे;

(घ) विहित प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित पार्टी खण्ड (ग) के अधीन निर्णय दिये जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी, पार्टियों को सुनवाई के पर्याप्त अवसर देने के बाद, 30 दिनों के अन्दर इस अपील को निपटा देगा और इस पर अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा;

(ङ) खण्ड (ग) के अधीन प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय तथा खण्ड (घ) के अधीन अपील पर दिया गया निर्णय किसी दीवानी न्यायालय के निर्णय के समान तथा प्रवर्तनीय होगा तथा आज्ञप्ति राशि उस प्रकार वसूल की जायेगी, जिस प्रकार भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है;

(च) संविदा कृषि करार से सम्बन्धित या इससे उठने वाले विवादों को, उसमें किये गये उपर्युक्त उपबन्धों के सिवाय किसी न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा;

(छ) संविदा कृषि करार के दायरे में आने वाले कृषि उपज को मण्डी यार्ड के बाहर संविदा कृषि प्रायोजक को बेचा जा सकता है और ऐसे मामलों में मण्डी शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

अध्याय आठ

प्रकीर्ण

80. (1) किसी समिति, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध, उसके द्वारा अपनी पदीय हैसियत में की गई या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि एक लिखित सूचना के, जिसमें वाद हेतुक और वादी का नाम तथा निवास स्थान और प्रार्थित अनुतोष का उल्लेख हो, तामील किये जाने की तारीख से दो माह व्यतीत न हो गये हों। समिति के विरुद्ध वाद

(2) उपधारा (1) के अधीन, सूचना–

(एक) जहां वह समिति के लिये हों, तो किसी भी कार्य दिवस को उसके कार्यालय में दी जायेगी या उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सचिव को दे दी जायेगी अथवा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी; और

(दो) प्रत्येक अन्य दशा में, सम्बद्ध व्यक्ति को दी जायेगी या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगा; और

(तीन) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है, जिसमें प्रार्थिक अनुतोष केवल व्यादेश हो, जिसका उद्देश्य, सूचना दिये जाने से, वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायेगा।

81. बोर्ड या किसी समिति द्वारा राज्य सरकार को, या किसी समिति द्वारा बोर्ड को, या किसी समिति द्वारा किसी अन्य समिति को या किसी व्यक्ति द्वारा किसी समिति को देय कोई धनराशि, मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी। मालगुजारी के रूप में देयों की वसूली

पंजीकरण और नवीनीकरण

82. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिसूचित कृषि उपज के सम्बन्ध में व्यापारी, कमीशन एजेंट, दलाल, पल्लेदार, वेयर हाउस मैन, संविदा कृषि क्रेता, प्रसंस्करण फैक्ट्री के स्वामी या संचालक या ऐसे अन्य मण्डी कर्मी के रूप में मण्डी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, पंजीकरण की मंजूरी या नवीनीकरण के लिए, मण्डी समिति को इस रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी विहित की जाय, आवेदन कर सकेगा।

(2) मण्डी समिति, पंजीकरण को मंजूर या नवीनीकृत कर सकेगी या निम्नलिखित एक या एक से अधिक कारणों के आधार पर पंजीकरण करने या नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकेगी :–

(क) आवेदक नाबालिग हो या सदाशयी न हो;

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अन्तर्गत व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया हो; या

(ग) आवेदक को इस अधिनियम के तहत दोषी घोषित किया गया हो।

(3) (क) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन, मण्डी समिति द्वारा, उपधारा (2) में यथा अपेक्षित चार सप्ताह में, निस्तारित कर दिया जायेगा, किन्तु यदि मण्डी समिति चार सप्ताह में उन आवेदनों को निस्तारित नहीं कर सकेगी तो–

(एक) आवेदक अपने आवेदन के बारे में मण्डी समिति को लिखित में अनुस्मारक भेज सकेगा,

(दो) इसके अतिरिक्त आवेदक इस सम्बन्ध में, लिखित रूप में, उस प्राधिकारी को सूचित कर सकेगा, जिसे बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित किया जाय।

(ख) अनुस्मरण दिये जाने के बाद दो सप्ताह की कालावधि के अवसान पर, यदि आवेदन निस्तारित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि यथा स्थिति, पंजीकरण या इसका नवीनीकरण स्वीकृत कर लिया गया है।

(ग) विहित प्राधिकारी, प्राप्त सूचना के आधार पर तथा दो सप्ताह की कालावधि के अवसान, के बाद केवल इस तथ्य की पुष्टि करेगा कि पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन मण्डी समिति को दिया गया है तथा उसके निस्तारण हेतु मण्डी समिति द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई है और तब वह उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन, दो सप्ताह के भीतर समझा गया पंजीकरयण या उसके समझे गये नवीनीकरण की मंजूरी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(4) इस धारा के अधीन मंजूर तथा नवीनीकृत किये गये सभी पंजीकरण, इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अध्यधीन होंगे।

83. राज्य सरकार, एक या एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में सीधे कृषक से, निम्नलिखित के लिए, कृषि उपज खरीदने हेतु निजी मण्डी स्थापित करने के लिए, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुरूप, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी– निजी मण्डी की स्थापना एवं कृषक से कृषि उपज की सीधी खरीद (उत्पादक से सीधी खरीद)

(क) कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिए,

(ख) विशिष्ट विनिर्देश के अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार,

(ग) अधिसूचित कृषि उपज का निर्यात करने के लिए, एवं/अथवा

(घ) अधिसूचित कृषि उपज का, मूल्य वर्द्धन द्वारा अन्य रीति से, श्रेणीकरण, पैकिंग और संव्यवहार करने के लिए।

84. (1) उपभोक्ता/कृषक मण्डी, यथा विहित विकसित अथवा अवसंरचना द्वारा विकसित किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मण्डी क्षेत्र में, स्थापित की जा सकेगी। ऐसे स्थान पर कृषि उपज का उत्पादक स्वयं यथाविहित रीति से, अपनी उपज को सीधे उपभोक्ता को बेचेगा; उपभोक्ता/कृषक मण्डी (उत्पादक द्वारा सीधा विक्रय की स्थापना)

परन्तु यह कि उपभोक्ता मण्डी में कोई वस्तु यथाविहित से अधिक नहीं खरीद सकेगा।

(2) मण्डी सेवा प्रभार, कृषि उपज के विक्रय पर, विक्रेता द्वारा एकत्रित किये जायेंगे और उपभोक्ता मण्डी के मालिक को दिये जायेंगे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपभोक्ता/कृषक मण्डी में किये गये संव्यवहारों पर कोई मण्डी फीस उद्ग्रहित नहीं की जायेगी।

(4) उपभोक्ता/कृषक मण्डी की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति, राज्य सरकार या प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रदान की जायेगी।

मण्डी समिति के मध्य विवाद का निपटारा

85. (1) किन्हीं दो या अधिक मण्डियों (चाहे वह किसी भी वर्ग की हो) के बीच उठे विवाद को प्रबन्ध निदेशक या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अन्य अधिकारी को संदर्भित किया जायेगा, दोनो पक्षो को सुनवाई के लिए युक्ति युक्त अवसर यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार दिये जाने के पश्चात् विवाद पर विनिश्चय किया जायेगा। राज्य सरकार, प्रदेश स्तर पर एक ''मण्डी नियामक प्राधिकरण'' गठित करेगी और उसके सुचारू रूप से कार्य करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) उपर्युक्त उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा तथा इसे किसी सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्ति

86. (1) मण्डी समिति का सचिव या राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी–

(क) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति पर अधिरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये, किसी/सभी युक्तियुक्त समयों पर कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय से सम्बन्धित सभी लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और किसी ऐसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहाँ पर ऐसी लेखा–बही या रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या ऐसा माल रखा गया हो अथवा रखे जाने का युक्तियुक्त विश्वास हो और ऐसी लेखाबही, रजिस्टार और अन्य दस्तावेजो से ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धरण, जो आवश्यक समझे जायें, ले सकेगा या लिवा सकेगा;

(ख) किसी लेखा–बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का, कारणों को अभिलिखित करते हुये, अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की मालसूची को तैयार कर सकेगा;

परन्तु यह कि ऐसी मालसूची की एक प्रति, ऐसी लेखाबही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रभारी व्यक्ति को, दी जायेगी;

(ग) जब कोई लेखा बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण से पाये जाते हैं तो यह उपधारणा की जायेगी कि–

(एक) ऐसी लेखा बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज उसी व्यक्ति के हैं,

(दो) उक्त लेखा बही व अन्य दस्तावेजों की लेख की विषय अन्तर्वस्तु सही है, और

(तीन) उक्त लेखा बही व दस्तावेज पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर व हस्तलेख है, जिसके द्वारा उसका लिखा जाना तात्पर्यित है या जिसके सम्बन्ध में यह उपधारणा की जा सकती है कि वे उसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख है, जो उस व्यक्ति के होने चाहिए;

(घ) किसी ऐसे कृषि उत्पाद को अधिग्रहीत कर सकता है, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है;

(ङ) किसी ऐसे गाड़ी या पशु को अधिग्रहीत कर सकेगा, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे कृषि उत्पाद को ले जाने के लिये प्रयोग में है या प्रयोग में रहा है और उसे उतने समय तक निरुद्ध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक हो;

परन्तु यह कि कृषि उत्पाद, गाड़ी या पशु को अधिग्रहीत करने वाला व्यक्ति, अधिग्रहण की रिपोर्ट तुरन्त उस मजिस्ट्रेट को देगा, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराध पर विचारण करने की अधिकारिता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457, 458 और 459 के उपबन्ध यथाशक्य, उपर्युक्त अधिग्रहीत कृषि उत्पाद, गाड़ी या पशु के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्ति पर लागू होते हैं;

परन्तु यह और कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन गाड़ी या पशु को अभिग्रहीत करने के आधार की सूचना उस व्यक्ति को, जिसके पास से वह अधिग्रहीत किया गया हो और उस मजिस्ट्रेट को, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो, अधिग्रहण किये जाने के चौबीस घण्टे के भीतर लिखित रूप से दी जायेगी।

(2) इस धारा के अन्तर्गत तलाशी एवं अधिग्रहण पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा–100 के अन्तर्गत तलाशी एवं अधिग्रहण के प्राविधान यथाशक्य लागू होंगे।

पुलिस सहायता

87\. बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या समिति का सचिव अथवा समिति द्वारा इस प्रकार अधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन और उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अन्य किसी विधि–सम्मत कार्य करने के लिए, जो उसे सौंपे गये है व आवश्यकता पड़ने पर, स्थानीय पुलिस अधिकारी, जो उप–पुलिस निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो, से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेगा।

शास्ति

88\. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम की धारा–13, 14 एवं 15 या उसके अधीन बनाये गए नियमों, या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर–

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो द्वितीय दोष सिद्धि या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की तारीख बाद के प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा;

परन्तु यह कि न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किसी विशेष या प्रतिकूल कारण के अभाव में, प्रथम अपराध के लिए जुर्माना दो हजार पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का धारा-13, 14 एवं 15 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, प्रथम सिद्ध दोष होने की तारीख से बाद के प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, पाँच सौ रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाये, तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माने के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मण्डी समिति को उसका भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकेगा और मण्डी समिति को भुगतान कर सकेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध 89. (1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भार-साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे तथा तद्नुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे;

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अध्याय में उपबन्धित दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराध का शमन 90. (1) मण्डी समिति अथवा मण्डी समिति के संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकार से मण्डी समिति का सभापति, जिसकी अधिकारिता में मण्डी क्षेत्र, प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल या निजी मण्डी स्थल आता है, ऐसे व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम

या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, या युक्तियुक्त रूप से किये जाने की आशंका है, वसूलीय किसी फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, शमन फीस के रूप में रुपये पचास हजार से अनधिक की धनराशि ले सकेगा और अपराध का शमन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किये जाने पर, ऐसे अपराध से सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, न जारी रखी जायेगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई हो तो, उक्त शमन के प्रभाव से, वह दोष–मुक्त हो जायेगा।

91. (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो। अपराधों पर विचारण

(2) जब तक प्रबन्ध निदेशक या सचिव मण्डी समिति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे समिति ने उस निमित्त संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया हो, परिवाद प्रस्तुत न किया जाये, तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

92. (1) मण्डी समिति, इस अधिनियम और, उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत, निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिए, उप–विधियां बना सकेगी; अर्थात् :– उप–विधियां

(क) अपने कार्यों का विनियमन;

(ख) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, तौलकों और पल्लेदारों के कर्तव्य; और

(ग) कोई अन्य विषय, जिसका उपबन्ध इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उप–विधियों द्वारा की जानी अपेक्षित हो;

परन्तु यह कि उस उपविधि से, जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुझाये गये प्ररूप या प्रतिमान उप–विधि को अंगीकार करके बनाई गई हो, भिन्न कोई उप–विधि, तब तक विधिमान्य न होगी जब तक कि वह प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दी जाये।

(2) यदि उपधारा (1) में से निर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में समिति ने कोई उप–विधियाँ नहीं बनाई हैं अथवा यदि समिति द्वारा बनाई गई उप–विधियाँ, प्रबन्ध निदेशक की राय में पर्याप्त नहीं हैं तो प्रबन्ध निदेशक उप–विधियाँ बना सकेगा, जिसमें ऐसे विषयों की उस सीमा तक व्यवस्था होगी, जो वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन उप–विधियाँ बनाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुये किया जायेगा।

नियम 93. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए नियमों में उपबन्ध किये जा सकेंगे :–

(एक) समिति के सदस्यों को नामित करने और उससे सम्बद्ध मामले, जिसके अन्तर्गत समिति के गठन से सम्बद्ध अन्य विषय भी हैं;

(दो) किसी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों के पद में रिक्ति का भरा जाना;

(तीन) समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नामित करना;

(चार) समिति की बैठकों से सम्बन्धित प्रक्रिया, जिसमें गणपूर्ति भी है;

(पाँच) यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो किसी समिति के सदस्यों को दिये जायें;

(छः) समिति तथा उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों और सेवकों के कृत्यों, शक्तियों और कर्तव्यों से सम्बद्ध मामले;

(सात) अनुज्ञप्ति फीस और मण्डी फीस, जो समिति द्वारा लगाये तथा वसूल किये जा सकते हैं और उनकी वसूली की रीति;

(आठ) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति को जारी किये जाने और उनके नवीनीकरण की निर्बन्धन और शर्तें;

(नौ) अनुज्ञप्ति जारी करने, अनुज्ञप्ति जारी करने से इन्कार करने, अनुज्ञप्ति नवीकृत व अनुज्ञप्ति रद्द करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(दस) अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा मासिक एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना;

(ग्यारह) मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उत्पाद के सौदों के सम्बन्ध में मण्डी फीस के अधिरोपण की पद्धति;

(बारह) इस अधिनियम के अन्तर्गत मतभेदों और विवादों के निपटाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(तेरह) रीति, जिनके अनुसार इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य के लिए नक्शे और प्राक्कलन तैयार किया जाना हो तथा स्वीकृति या अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाना हो;

(चौदह) समिति द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा पुस्तिकाएं;

(पन्द्रह) प्ररूप, जिनमें समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति, जिसके अनुसार उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी और वह समय जिस पर वे प्रकाशित किये जायेंगे;

(सोलह) किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों और विवरणियों के प्ररूप तथा उनमें उल्लिखित किये जाने वाले विशिष्टियाँ;

(सत्रह) समिति की अधिशेष निधियों के विनियोजन और उनका निस्तारण करने की रीति;

(अठारह) उत्तराखण्ड मण्डी विकास निधि में धनराशि जमा करने, उससे आहरण करने और उसके अनुरक्षण और उपयोग की रीति;

(उन्नीस) मण्डी क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले बांट, माप और तौलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय;

(बीस) व्यापारिक परिव्यय, जो प्रधान मण्डी स्थलों या उपमण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के किसी सौदे में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे;

(इक्कीस) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण और मानकीकरण;

(बाईस) व्यापारियों द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि–उत्पाद की कीमत सूची का प्रदर्शन;

(तेईस) रीति, जिसके अनुसार मण्डी क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की बिक्री या उसकी नीलामी की जायेगी और बोलियां लगाई जायेंगी तथा उन्हें स्वीकार किया जायेगा;

(चौबीस) शर्तें, जिनके अधीन समिति किसी सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है या अन्य रूप से उसका हस्तान्तरण कर सकती है;

(पच्चीस) समिति की ओर से संविदा करने के लिये प्राधिकार और उसे करने की रीति;

(छब्बीस) समिति के अधिकारियों और सेवकों के नियोजन की निबन्धन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के अनुशासन, नियंत्रण, दण्ड, पदच्युति, सेवामुक्ति तथा हटाये जाने से सम्बद्ध विषय;

(सत्ताइस) इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने और उसका निस्तारण करने के लिए प्रक्रिया;

(अठ्ठाईस) दलालों, आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का, यदि कोई हो, विनियमन;

(उनतीस) अनुज्ञप्ति जारी करने से इंकार करने, अनुज्ञप्ति रद्द करने तथा अधिरोपण आदेश के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया के विषय में;

(तीस) माध्यस्थम और अपीलों की फीस;

(इकत्तीस) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों और तौलकों द्वारा लेखा पुस्तिकाओं का रखा जाना, उनका प्रस्तुत किया जाना, तथा निरीक्षण;

(बत्तीस) नमूना बनाने, विक्रय, क्रय, तुलाई और सौदों को अभिलिखित करने के समय, स्थान तथा रीति और भुगतान करने का ढंग;

(तैंतीस) मण्डी क्षेत्र में लाये गये किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का संग्रह करने के लिये स्थान की व्यवस्था;

(चौंतीस) वार्षिक बजट तैयार करने और अनुमोदन के लिये उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;

(पैंतीस) समितियों के कृत्य सम्पादन का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय;

(छत्तीस) दलालों को, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से सौदे में काम करने का निषेध करना;

(सैंतीस) धारा–17 की उपधारा (1) के अधीन समितियों के सदस्यों के नाम निर्देशन से सम्बद्ध विषय;

(अड़तीस) धारा–37 के अधीन केन्द्रीकृत सेवा का गठन;

(उनतालीस) धारा–34 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया; एवं

(चालीस) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय या विहित किया जा सकता हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब सत्र में हो, रखा जायेगा और जब तक कोई बाद की तारीख निर्धारित न की जाये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से ऐसे रूपान्तरणों या संशोधनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान सभा करने के लिये सहमत हों, तथापि, ऐसा कोई रूपान्तरण या संशोधन उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाइयों का निवारण 94. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, ऐसी कठिनाई के निवारण हेतु, ऐसे आदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

निरसन एवं व्यावृत्तियाँ 95. (1) उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन रहते हुए कोई बात या कार्यवाई, इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धो के अधीन की गयी कार्यवाही समझी जायेगी।

अनुसूची

{धारा–3 देखिये}

(क) कृषि

(1) अनाज :–

1. गेहूं, 2. जौ, 3. धान, 4. चावल, 5. ज्वार, 6. बाजरा, 7. मक्का, 8. वेझर, 9. मडुवा, 10. जेई, 11. काकुन (कौंडी), 12. कोदों, 13. कुटकी, 14. सावाँ।

(2) द्वि–दलीय उत्पाद :–

1. चना, 2. मटर, 3. अरहर, 4. उरद, 5. मूंग, 6. मसूर, 7. लोबिया (बीज), 8. सोयाबीन, 9. खेसरी, 10. सनाई (बीज), 11. ढैंचा (बीज), 12. ग्वार, 13. मोठ, 14. गहत (कुलथी), 15. राजमा।

(3) तिलहन :–

1. सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, (जिसमें राई, दुवा, तारामीरा और तोरिया सम्मिलित है) 2. सेहुवा बीज, 3. अलसी, 4. अण्डी, 5. मूंगफली, 6. तिल बीज, 7. महुआ की गुठली, 8. गुल्जू, 9. बिनौला, 10. बरं अथवा कुसुम (बीज), 11. नारियल।

(4) रेशे :–

1. जूट, 2. सनई का रेशा, 3. रूई (ओटी हुई और बिना ओटी), 4. पटसन, 5. ढैंचा, 6. रामबांस, 7. मेसूटा।

(5) स्वापक :–

1. तम्बाकू।

(6) मसाले :–

1. धनियां, 2. पकी मिर्च, 3. मेथी (बीज), 4. सोंठ, 5. सौंफ, 6. हल्दी, 7. खटाई और अमचूर, 8. जीरा।

(7) घास तथा चारा :–

1. सभी प्रकार की घास तथा चारा (हरा तथा सूखा हुआ), 2. भूसा।

(8) विविध :–

1. चौलाई (बीज), 2. पोस्ता, 3. रामदाना, 4. अखरोट, 5. बान, 6. निमकौली, 7. सेलेरी का बीज, 8. अम्रि बीज, 9. महुआ का फूल (सूखा), 10. चिरौंजी, 11. बरसीम (बीज), 12. ल्यूसर्न (बीज), 13. मखाना, 14. गन्ना, 15. मैंसुटा (बीज), 16. गुड़ (गुडलौटा, गुडबाल्टी, गुडरसकट, गुडबड्डा), 17. राब (सलावट एवं गलावट), 18. पिपर मिन्ट, 19. गन्ने की खोई (बैगास), 20. मशरूम।

(ख) उद्यान कृषि

(1) सब्जियाँ :–

1. आलू, 2. प्याज, 3. लहसुन, 4. शकरकन्द, 5. अरबी, 6. अदरक (हरी), 7. कचालू, 8. मिर्च (हरी), 9. टमाटर, 10. बन्द गोभी, फूल गोभी, गाल और खौल गोभी, 11. गाजर, 12. मूली, 13. बैंगन, 14. टिन्डा, 15. लौकी, 16. हरी मटर, 17. शलजम, 18. परवल, 19. सेम, 20. साग (सब प्रकार के), 21. पान, 22. चुकन्दर, 23. रतालू, 24. जिमीकन्द, 25. सलाद, 26. सोया, 27. कटहल (कच्चा), 28. ककड़ी, 29. चिचिंडा, 30. करेला, 31. तोरई, 32. पेठा, 33. भिण्डी, 34. कद्दू, 35. ग्वार, 36. इमली, 37. बन्डा, 38. सिंघाडा, 39. लोबिया (हरी), 40. फ्रासबीन।

(2) फल :–

1. नीबू, 2. नारंगी, 3. मुसम्बी, 4. माल्टा, 5. छोटा चकोतरा, 6. केला, 7. अनार, 8. स्ट्राबेरी, 9. खरबूजा, 10. तरबूज, 11. फूट, 12. पपीता, 13. फालसा, 14. पोस्ता, 15. सेब, 16. अमरूद, 17. बेर, 18. आंवला, 19. लीची, 20. चीकू, 21. आडू, 22. लोकाट, 23. बेल, 24. अन्नानास, 25. आम, 26. प्लम (आलू बुखारा), 27. अन्जीर, 28. कटहल (पक्का), 29. कमरख, 30. करौंदा, 31. खजूर, 32. खिरनी, 33. खूबानी, 34. जामुन, 35. नाशपाती व नाख, 36. शरीफा, 37. शहतूत, 38. चकोतरा, 39. रसभरी।

(ग) पुष्पकर्म

(घ) द्राक्षा–कृषि

1. अंगूर।

(ङ) मधुमक्खी पालन

1. शहद, 2. मोम।

(च) कोशकीट पालन

1. रेशम।

(छ) मत्स्य संवर्धन

1. मछली।

(ज) पशुपालन उत्पाद

1. कुक्कुट, 2. अण्डा, 3. पशु, 4. भेड़, 5. बकरी, 6. मक्खन, 7. घी, 8. खोया, 9. पनीर, 10. दूध, 11. चमड़ा और खाल, 12. हड्डी, 13. गोस्त, 14. ऊन, 15. सुअर का बाल।

(झ) वन उत्पाद

1. गोंद, 2. लकड़ी, 3. तेन्दु की पत्ती, 4. लाख, 5. रीठा, 6. कत्था, 7. लीसा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–95, खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलबीर सिंह नेगी,
श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई", श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
श्री राजेश जुवांठा तथा श्री मयूख सिंह 'वेल' में बैठे थे)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सदन को व्यवस्थित कर दिया जाय। ऐसे थोड़ी चलेगा। यह धींगा तानी थोड़ी चलेगी सत्ता पक्ष की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, सदन तो व्यवस्थित हो जाए। (व्यवधान) ठीक है, विधेयक तो अव्यवस्थित सदन में पारित करा दिये लेकिन जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक चर्चा कैसे होगी ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित कर दें तो मैं तत्काल तैयार हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ सदन में आया हूँ। लेकिन सदन व्यवस्थित तो करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो गम्भीर विषय है। सदन व्यवस्थित नहीं है और आप कह रहे है कि चर्चा कर लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे स्थगित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर
माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री गगन सिंह रजवार, श्रीमती अमृता रावत, श्री केदार सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री शहजाद की कुल 07 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से राज्य में घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु बिक्री केन्द्रों का विस्तार न होने के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा टिहरी गढवाल मोटर ओनर्स कारपोरेशन लि0 की बसों को उत्तरकाशी से नगुण–भवान–सुवाखोली–मसूरी नया मार्ग एवं पुराने मार्गों से वाया मसूरी सीधे देहरादून तक परमिट न दिये जाने से बस मालिकों, चालकों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व परिचालकों के साथ ही जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री केदार सिंह रावत की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए एवं माननीय सदस्य श्री गगन सिंह रजवार की सूचना, जो जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी सेरा में हिमालय हाइड्रो पावर कम्पनी द्वारा वन विभाग की अनुमति के बिना 1–2 कि0मी0 टनल का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में है, को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

जो माननीय सदस्यगण 'वेल' में हैं, कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से फिर अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया माननीय सदस्यों को अनुशासित करने में सहयोग प्रदान करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था, माननीय सदस्यों की जो समस्यायें हैं, उनका निस्तारण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन यह उचित स्थान नहीं है, आप तो काफी वरिष्ठ सदस्य हैं।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

जो नियम–310 की परिधि में नहीं आते हैं, उनको कैसे लिया जा सकता है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सहयोग करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री मयूख महर, माननीय श्री राजेश जुवांठा, माननीय श्री महेन्द्र सिंह माहरा, माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी, माननीय श्री किशोर उपाध्याय एवं माननीय श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया, सदन का त्याग करें।

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह तो लोकतंत्र का गला घोंटना है। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य एवं माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधान सभा सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री राजेश जुवांठा, श्री मयूख महर एवं श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल माननीय सदस्य, विधान सभा को आज दिनांक 22 मार्च, 2011 से तीन उपवेशनों के लिये निलम्बित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि श्री किशोर उपाध्याय, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री राजेश जुवांठा, श्री मयूख महर एवं श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल माननीय सदस्य, विधान सभा को आज दिनांक 22 मार्च, 2011 से तीन उपवेशनों के लिये निलम्बित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं मार्शल को निर्देश देता हूँ कि श्री मयूख महर, श्री राजेश जुवांठा, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री किशोर उपाध्याय एवं श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल को सदन से बाहर ले जाने में सहायता करें।

मैं मद संख्या–32 एवं 33 को स्थगित करता हूँ।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 7 बजकर 39 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून,
दिनांक 22 मार्च, 2011

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

जनजाति उप योजना का मासिक प्रगति विवरण

(टी0एस0पी0)

(वित्तीय वर्ष 2010–11)

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

उत्तराखण्ड शासन

20 मार्च, 2011 तक की स्थिति

योग :– 21580.70 20077.04 12436.18 8539.75

योग :– 21580-70 20077-0412436-18 8539-75

योग :– 21580.70 20077.04 12436.18 8539.75

सब्जियों निजि मुद्रणालयों में नियोजन
ईंट छँटाई
निजि पुस्तकालयों में

सब्जियों निजि मुद्रणालयों में नियोजन
ईंट छँटाई
निजि पुस्तकालयों में

सब्जियों निजि मुद्रणालयों में नियोजन
ईंट छँटाई
निजि पुस्तकालयों में

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–9 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 45–46 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2011 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित
श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री किशोर उपाध्याय, मा0 सदस्य
विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित
प्रश्न संख्या 09 का संलग्नक

नोट– जिन जनपदों में व्यय अवमुक्त धनराशि से अधिक दर्शाया गया है, वह विगत वर्षों में अवशेष धनराशि के व्यय के कारण परिलक्षित हुई है।

वित्तीय वर्ष 2007–08

जनपद	आवंटन	व्यय
1	2	3
उत्तरकाशी	235.580	388.330
चमोली	357.850	482.150
टिहरी	1324.560	1441.140
देहरादून	644.450	867.150
पौड़ी	1527.450	1571.330
रुद्रप्रयाग	518.580	569.110
हरिद्वार	–	5.530
पिथौरागढ़	676.470	635.850
चम्पावत	384.730	424.850
अल्मोड़ा	646.550	503.080
बागेश्वर	310.200	329.120
नैनीताल	964.050	734.510
ऊधमसिंह नगर	–	18.580
रखरखाव	1339.500	1359.070
जल संस्थान	–	–
योग	8930.000	9340.400

वित्तीय वर्ष 2008–09

जनपद	आवंटन	व्यय
1	2	3
उत्तरकाशी	101.400	10.830
चमोली	303.450	211.530
टिहरी	2230.545	1882.560

1	2	3
देहरादून	387.675	276.510
पौड़ी	1214.780	1191.010
रुद्रप्रयाग	567.425	158.890
हरिद्वार	—	—
पिथौरागढ़	528.545	326.510
चम्पावत	243.645	47.390
अल्मोड़ा	856.440	769.200
बागेश्वर	295.675	304.740
नैनीताल	609.450	762.900
ऊधमसिंह नगर	28.530	−7.350
रखरखाव	1019.070	—
जल संस्थान	200.000	174.000
योग	8586.830	6108.720

वित्तीय वर्ष 2009—10

जनपद	आवंटन	व्यय
1	2	3
उत्तरकाशी	—	—
चमोली	—	185.890
टिहरी	4872.365	1633.852
देहरादून	398.020	438.202
पौड़ी	1056.620	583.643
रुद्रप्रयाग	954.640	282.428
हरिद्वार	10.000	—
पिथौरागढ़	402.385	358.699
चम्पावत	18.040	119.633
अल्मोड़ा	587.790	762.822
बागेश्वर	54.685	120.180
नैनीताल	346.815	322.508
ऊधमसिंह नगर	25.355	20.354
रखरखाव	—	950.000
जल संस्थान	304.306	330.306
योग	9032.021	6118.747

वित्तीय वर्ष 2010—11

जनपद	आवंटन	व्यय
1	2	3
उत्तरकाशी	70.000	36.665
चमोली	55.000	83.594
टिहरी	400.820	1819.869
देहरादून	257.670	342.908
पौड़ी	432.460	460.385
रुद्रप्रयाग	1321.360	412.310
हरिद्वार	17.000	16.250
पिथौरागढ़	88.000	90.040
चम्पावत	56.000	201.353
अल्मोड़ा	1465.580	403.759
बागेश्वर	177.080	8.291
नैनीताल	429.100	310.420
ऊधमसिंह नगर	8.000	3.135
रखरखाव	—	—
जल संस्थान	—	—
योग	4778.070	4188.979

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 46–47 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2011 के द्वितीय मंगलवार हेतु निधारित श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री किशोर उपाध्याय, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का संलग्नक

केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त जनपदवार वर्षवार स्वीकृत धनराशि एवं व्यय का विवरण

नोट– प्रत्येक जनपद जिसमें वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश स्वीकृत नहीं है परन्तु व्यय की राशि अंकित की गयी है उसमें व्यय की गयी राशि विगत वर्षों में प्राप्त राशि से व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2007–08

जनपद	केन्द्रांश	व्यय
1	2	3
अल्मोडा	151.14	12.84
बागेश्वर	42.56	21.96
चमोली	—	33.98
चम्पावत	51.88	40.39
देहरादून	—	23.99
हरिद्वार	68.66	64.45
नैनीताल	—	33.84
पौडी	—	48.68
पिथौरागढ	—	35.00
रुद्रप्रयाग	—	41.34
टिहरी	195.97	35.03
ऊधमसिंह नगर	88.23	35.87
उत्तरकाशी	65.92	—
योग	664.36	427.37

वित्तीय वर्ष 2008–09

जनपद	केन्द्रांश	व्यय
1	2	3
अल्मोडा	—	26.86
बागेश्वर	—	17.14
चमोली	35.66	28.75

1	2	3
चम्पावत	—	13.21
देहरादून	—	34.5
हरिद्वार	69.61	52.10
नैनीताल	41.06	2.03
पौड़ी	265.39	46.46
पिथौरागढ़	450.17	—
रुद्रप्रयाग	—	11.84
टिहरी	—	142.48
ऊधमसिंह नगर	—	53.76
उत्तरकाशी	—	49.02
योग	861.89	478.15

वित्तीय वर्ष 2009–10

जनपद	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3
अल्मोड़ा	—	106.77
बागेश्वर	63.81	73.39
चमोली	—	33.98
चम्पावत	61.59	37.86
देहरादून	138.55	70.95
हरिद्वार	68.66	64.45
नैनीताल	79.13	100.82
पौड़ी	—	21.70
पिथौरागढ़	—	165.51
रुद्रप्रयाग	36.11	41.14
टिहरी	161.44	184.57
ऊधमसिंह नगर	100.39	42.98
उत्तरकाशी	67.67	96.48
योग	773.98	1102.23

वित्तीय वर्ष 2010–11

जनपद	केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3
अल्मोड़ा	443.48	99.22
बागेश्वर	122.9	32.33
चमोली	125.79	71.25

1	2	3
चम्पावत	118.67	20.25
देहरादून	266.8	147.14
हरिद्वार	152.44	20.07
नैनीताल	97.05	89.26
पौड़ी	—	25.30
पिथौरागढ़	—	113.70
रुद्रप्रयाग	69.53	38.72
टिहरी	310.95	155.72
ऊधमसिंह नगर	—	49.42
उत्तरकाशी	—	36.82
योग	1707.61	889.20

नक्शी "ङ"

(देखिए अधि0 प्रप0 सं0-11 का [illegible] पीछे पृष्ठ 47 पर)

नोट रीडिंग गया है छपने हेतु
दिनांक 20-3-18

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 विधान सभा / 308-29-06-2013-200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो) इ

द्विवार्षिक द्विवार्षिक द्विवार्षिक